# नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

तृतीय

वार्षिक रिपोर्ट

2018-19

# तीसरी वार्षिक रिपोर्ट

# 2018-19


| विषय-वस्तु | पृष्ठ संख्या |
|---|---|
| **निदेशक मंडल** | 1 |
| **अध्यक्ष का संबोधन** | 2 – 3 |
| **रिपोर्ट्स:** | |
| निदेशकों की रिपोर्ट | 4 – 24 |
| वार्षिक विवरणी का सार (फॉर्म एमजीटी-9) | 25 – 29 |
| सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट | 30 – 32 |
| **वित्तीय विवरण:** | |
| लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट | 33 - 42 |
| तुलन पत्र | 43 |
| लाभ एवं हानि का विवरण | 44 |
| नकदी-प्रवाह का विवरण | 45 |
| इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण | 46 |
| वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां - टिपण्णी 1 से 38 तक | 47 – 76 |
| **वित्तीय विवरणों पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां** | 77 |

# निदेशक मंडल

## निदेशक मंडल (05.08.2019 को)

1. श्री विनोद कुमार यादव, अंशकालिक अध्यक्ष
2. श्री अचल खरे, प्रबंध निदेशक
3. श्री राजेंद्र प्रसाद, निदेशक परियोजना
4. श्री अरुण बिजलवान, निदेशक वित्त
5. श्री विजय कुमार, निदेशक चल स्टॉक
6. श्री संदीप कुमार, निदेशक (बिजली एवं प्रणाली)
7. श्री आर.एन. सिंह, अंशकालिक निदेशक
8. सुश्री नमिता मेहरोत्रा, अंशकालिक निदेशक
9. श्री पी. आर. पटेलिया, अंशकालिक निदेशक

## कंपनी सचिव

सुश्री सुमिता शर्मा

## पंजीकृत कार्यालय

दूसरी मंजिल, एशिया भवन, रोड नंबर 205,
सेक्टर - 9, द्वारका, नई दिल्ली - 110077
दूरभाष: 91-11-2807000 / 01; फैक्स: 91-11-28070150
ई-मेल: comp.sec@nhsrcl.in; वेबसाइट: www.nhsrcl.in
CIN: U60200DL2016GOI291002

## सांविधिक लेखा परीक्षक

मेसर्स सहगल मेहता एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

## सचिवीय लेखा परीक्षक

श्री अनिल आनंद, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस

# अध्यक्ष का संबोधन

# अध्यक्ष का संबोधन

**प्रिय शेयरधारक दोस्तों,**

मैं वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की इस तीसरी वार्षिक आम बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं।

भारत की पहली हाई स्पीड रेल (एच एस आर) परियोजना के कार्यान्वयन की प्रेरक यात्रा में बहुत सी उपलब्धियां पहली बार हुई हैं जैसे कि भारत में पहली बार समुद्र के नीचे की सुरंग, विशेष संरचनाएं जिनमें विशाल जटिल पुल और लंबी अवधि / विशेष अवधि पुल शामिल हैं, ग्रीन हाई स्पीड रेल रेटिंग के पायलट संस्करण को लागू करने वाली पहली भारतीय कंपनी आदि।

कंपनी ने इन सभी चुनौतियों का सामना करते हुए अपना तीसरा वर्ष पूरा कर लिया है, और एचएसआर परियोजना के कार्यान्वयन के लिए जमीनी काम पूरा करने में महत्वपूर्ण **प्रगति** हासिल की है। परियोजना के अधिकांश मूल डिजाइन कार्य को अंतिम रूप दे दिया गया है; तकनीकी मानकों को मजबूती दी गई; परियोजना निष्पादन के विभिन्न पहलुओं के लिए सलाहकार मौजूद हैं; अनुबंध पैकेज आमंत्रित किए जा रहे हैं । कंपनी ने परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि का लगभग 40% अधिग्रहण कर लिया है।

एचएसआर परियोजना में जापानी शिंकानसेन प्रणाली की तर्ज पर कुछ **महत्वपूर्ण विशेषताएं** प्रस्तावित हैं, जैसे कि,

(i) एक साधन से दूसरे साधन पर यात्रियों के निर्बाध हस्तांतरण के लिए एकीकृत मल्टी मोडल ट्रांजिट सिस्टम (एमएमआई) बनाने के लिए मौजूदा रेलवे और मेट्रो के साथ एचएसआर यात्री टर्मिनलों का एकीकरण।

इसके अलावा, खुदरा, बैंकिंग, रेस्तरां इत्यादि जैसी यात्री सुविधाएं स्टेशन को केवल पारगमन के साधन के बजाय एक गंतव्य स्थान बनाती हैं। यह एचएसआर स्टेशनों के आसपास के क्षेत्र में भूमि के आंतरिक वाणिज्यिक मूल्य को बढ़ाने के लिए भी प्रेरित करेगा और इस प्रकार क्षेत्र के समग्र आर्थिक / पारगमन उन्मुख विकास को बढ़ावा देगा।

(ii) भारत में उच्च गति रेल परियोजनाओं के भविष्य के विकास के लिए एचएसआर प्रशिक्षण संस्थान 'ज्ञान प्रदर्शन' के रूप में कार्य करेगा, आदि।

मौजूदा रेलवे सुविधाएं (जैसे स्टोर डिपो, सीपीओएच वर्कशॉप, एफबीडब्ल्यू प्लांट, आदि) और साथ ही उपयोगिताओं (जैसे ओवरहेड इलेक्ट्रिकल लाइन, भूमिगत केबल, पानी की पाइपलाइनें, सीवरेज लाइनें, गैस और पेट्रोलियम उत्पाद की पाइपलाइनें, ओएफसी केबल आदि) जो एचएसआर संरेखण के रास्ते में आ रहे हैं उन्हें शिफ्ट करने के लिए मैप किया गया है । सिग्नलिंग केबल्स और टेलीकॉम और ओएफसी उपकरणों आदि की शिफ्टिंग के काम के लिए टेंडर दे दिए गए हैं।

एचएसआर प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण का काम भी तेजी से चल रहा है, जिसमें कुल चार पैकेजों में से तीन अनुबंध पैकेज प्रदान किये जा चुके हैं।

कंपनी, अनुपूरक - पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट में सुझाए गए उपायों को अपनाने के अतिरिक्त पर्यावरण संरक्षण के लिए विभिन्न कदम उठा रही है जैसे कि पेड़ प्रत्यारोपण, जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (आईजीबीसी) द्वारा विकसित ग्रीन हाई स्पीड रेल रेटिंग के पायलट संस्करण का कार्यान्वयन आदि ।

कंपनी परियोजना प्रभावित लोगों (पीएपी) की जरूरतों के बारे में भी संवेदनशील है और इसलिए उसने पीएपी के पुनर्वास के लिए आय बहाली के उद्देश्य से व्यावसायिक प्रशिक्षण की परिकल्पना की है। कंपनी ने हाल ही में जिला पालघर, महाराष्ट्र में और उस जिले एवं आसपास के लोगों की चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक मोबाइल चिकित्सा स्वास्थ्य इकाई भी प्रदान की है।

कंपनी को परिचालन कारोबार के लिए वाणिज्यिक परिचालन अभी शुरू करना है। कंपनी का कुल इक्विटी पूंजी अंशदान आज की तारीख में 4,555 करोड़ रु. है।

अंत में, मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि भारत की पहली हाई स्पीड रेल को आगे बढ़ाने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना है, और यात्रा अभी शुरू हुई है। तथापि, यह आश्वासन दिया जाता है कि हम हर किसी की पूर्ण संतुष्टि के अनुसार कार्य को पूरा करेंगे । डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम के शब्दों में - **"हमें अपने देश को सफलता से कुछ कम नहीं देना है। आइये हम सफलता को अपना लक्ष्य बनाएं।"**

**हस्ता / -**
**(विनोद कुमार यादव)**
**अध्यक्ष**

**दिनांक : 23-09-2019**
**स्थान : नई दिल्ली**

# रिपोर्ट्स

# निदेशकों की रिपोर्ट

**सम्माननीय शेयरधारकों**

आपकी कंपनी के निदेशकों को, वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कंपनी के मामलों पर, अपनी तृतीय रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है।

नेशनल हाई स्पीड रेल कार्पोरेशन लिमिटेड (एन.एच.एस.आर.सी.एल.), कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(45) के प्रावधानों के अनुसार एक सरकारी कंपनी है और यह भारत सरकार, गुजरात सरकार और महाराष्ट्र सरकार के बीच, क्रमशः 50:25:25 के अनुपात में इक्विटी की सहभागिता वाला एक संयुक्त उपक्रम है।

एन.एच.एस.आर.सी.एल., भारत में उच्च गति की पहली रेल परियोजना को क्रियान्वित कर रही है, यथा जापान की शिनकान्सेन तकनीक पर आधारित, मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट (एम.ए.एच.एस.आर. प्रोजेक्ट), जिसके लिए भारत और जापान के बीच सहयोग के ज्ञापन पर 12 दिसंबर 2015 को हस्ताक्षर किया गया था। एम.ए.एच.एस.आर. प्रोजेक्ट अपनी नवीनतम तकनीक के माध्यम से, यात्री परिवहन प्रणाली को पूरी तरह से बदल देगा और इससे यात्री परिवहन / रेल संचालन के एक नए युग का प्रारंभ होगा। इससे न केवल रोजगार के अवसरों का सृजन होगा, अपितु यह देश के आर्थिक विकास को गति भी प्रदान करेगा। भारत तथा जापान के माननीय प्रधानमंत्रियों के द्वारा, 14 सितंबर 2017 को साबरमती, गुजरात में परियोजना का शुभारंभ किया गया था।

**परियोजना की वर्तमान स्थिति**

**क. परिदृश्य**

एम.ए.एच.एस.आर. प्रोजेक्ट, मुंबई में बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लैक्स से प्रारंभ होकर, अहमदाबाद में साबरमती रेलवे स्टेशन के नजदीक समाप्त होगा। इसका संरेखण (508.09 किमी.), गुजरात (8 जिलों में 349.03 किमी.), दादरा और नागर हवेली (4.30 किमी.) तथा महाराष्ट्र (3 जिलों में 154.76 किमी.) से होकर गुजरेगा। उपरोक्त हाई स्पीड रेल कॉरीडोर में 12 स्टेशन होंगे, जिनके नाम हैं, मुंबई, ठाणे, विरार, बोइसर, वापी, बिलीमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आनंद-नाडियाड, अहमदाबाद और साबरमती। इसके अतिरिक्त तीन डिपो भी प्रस्तावित हैं, यथा ठाणे और सूरत दोनों जगहों पर एक-एक डिपो और साबरमती में एक डिपो और वर्कशॉप। परियोजना की अनुमानित लागत, रु. 1,08,000 करोड़ (लगभग) है।

बिलिमोरा में एचएसआर स्टेशन का प्रस्तावित आंतरिक भाग

**ख. सलाहकारों की नियुक्ति**

इस वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने निम्नलिखित बड़े सलाहकारी कार्य सौंपे हैं। :-

i. साबरमती में परियोजना के साथ, हाई स्पीड रेल टर्मिनल के लिए पर्यवेक्षण तथा परियोजना प्रबंधन सलाहकारी सेवाएँ (जनवरी 2019 में)।

ii. नौ (9) हाई स्पीड रेल स्टेशनों के लिए मल्टी-मॉडल ट्रैफिक इंटीग्रेशन प्लानिंग तथा अहमदाबाद में समेकित भवन के लिए बेसिक आर्किटेक्चरल डिजाइन (मई 2018 में)।

iii. वडोदरा स्टेशन तथा यार्ड क्षेत्र में वास्तुकला तथा तकनीकी सेवाओं से संबद्ध कार्यों के लिए । उपरोक्त कार्य के लिए महाराजा सयाजीराव यूनीवर्सिटी ऑफ वडोदरा के निर्माण प्रभाग को नियुक्त किया गया है (1 अप्रैल 2018 में)।

iv. एम.ए.एच.एस.आर. प्रोजेक्ट के लिए प्लानिंग तथा मॉनीटरिंग सेवाएँ (मई 2018 में)।

कंपनी ने सी-5 पैकेज (वडोदरा सेक्शन के लिए सिविल कार्य, जहाँ संरेखण नजदीक में है और वर्तमान पश्चिमी रेलवे मेनलाइन को क्रॉस करता है तथा वडोदरा स्टेशन को अपने में शामिल करता है।) के 8 किमी. विस्तार के लिए तथा सी-7 (अहमदाबाद तथा साबरमती क्षेत्र के लिए सिविल कार्य, जहाँ संरेखण नजदीक में है और वर्तमान पश्चिमी रेलवे मेनलाइन को क्रॉस करता है तथा अहमदाबाद और साबरमती स्टेशनों को अपने में शामिल करता है।) के 18 किमी. विस्तार के लिए, निर्माण प्रबंधक सामान्य संविदाकार (सी.एम.जी.सी.) को भी प्रस्तावित किया है, क्योंकि इन विस्तारों में निर्माण कार्य तकनीकी रूप से काफी चुनौतीपूर्ण थे। इन दो सेक्शनों के लिए निर्माण कार्यों की जटिलताओं को देखते हुए, जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी (जे.आई.सी.ए.) तथा एन.एच.एस.आर.सी.एल. ने डिजाइन के चरण में, निर्माण प्रबंधक सामान्य संविदाकार (सी.एम.जी.सी.) के रूप में संविदाकार को शामिल करने / नियुक्त करने में अपनी सहमति जताई है। यह निर्माण की योग्यता के दृष्टिकोण से डिजाइन को, निर्माण की योजना को और परियोजना की लागत को अनुकूल करने के उद्देश्य से किया गया है। इस आशय के एक समझौता ज्ञापन पर जे.आई.सी.ए. तथा एन.एच.एस.आर.सी.एल. के बीच, 24 अक्टूबर 2017 को हस्ताक्षर किया गया था। उपरोक्त समझौता ज्ञापन से आगे बढ़ते हुए, जे.आई.सी.ए. के द्वारा अहमदाबाद – साबरमती (सी-7 पैकेज) के लिए मई 2018 में तथा वडोदरा (सी-5 पैकेज) के लिए दिसंबर 2018 में सी.एम.जी.सी. को नियुक्त किया गया है।

भरूच में प्रस्तावित एचएसआर स्टेशन

**ग. तकनीकी मानकों को अंतिम रूप देना**

जापान में विशेषज्ञ समिति के द्वारा सिफारिश के लिए, कंपनी के द्वारा बिजली आपूर्ति तथा ओवरहेड उपकरण (ओ.एच.ई.) के लिए विशिष्टताओं तथा मानकों की नियमावली (एम.एस.एस.) (संशोधित संस्करण) तथा बिजली आपूर्ति, एस.एण्ड टी., तथा ओ.सी.सी. के लिए विशिष्टताओं तथा मानकों (एस.एस.) पर चर्चा की जा रही है। उपरोक्त एस.एस. के अद्यतनीकृत संस्करण को ज्यों ही अंतिम रूप प्रदान कर उनका अनुमोदन किया जाता है, इन्हें आपकी कंपनी के द्वारा अपनाया जाएगा। चल स्टॉक के एम.एस.एस. तथा एस.एस. के संशोधित संस्करण, जिसे समिति का अनुमोदन प्राप्त हो गया था, कंपनी के द्वारा अपनाया जा चुका है।

इस वर्ष के दौरान आपकी कंपनी के द्वारा, विभिन्न पैकेजों में बिजली आपूर्ति प्रणाली, चल स्टॉक, ओ.एच.ई. के लिए निरीक्षण तथा अनुरक्षण कारों, पुल संबंधी कार्यों तथा बिजली और यांत्रिक (ई. तथा एम.) कार्यों के लिए तकनीकी विशिष्टताओं (टी.एस.) की समीक्षा की गई है और उनपर टिप्पणी प्रदान की गई है। अंतिम संस्करण, सामान्य सलाहकारों, यथा जापान इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स कॉनसोर्टियम (जे.आई.सी.सी.) के द्वारा 2019-20 में सुपूर्द किया जाएगा।

ट्रेन परिचालन, सिगनल तथा दूरसंचार, सिविल, ट्रैक, चल स्टॉक तथा ईलेक्ट्रिकल (ओ.एच.ई.) के लिए अनुपालन मानकों को अंतिम रूप दिया जा चुका है।

**घ. डिजाइन**

वर्तमान समय में, डिजाइन के कार्य पूरी गति पर हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान समाप्त हुए, बड़े डिजाइन के कार्य निम्नलिखित हैं।:

i) क्रियान्वयन को गति प्रदान करने के उद्देश्य से, स्थल की स्थिति के अनुरूप मानक डिजाइनों में सुधार लाने के लिए, डिजाइन फाइनालाइजेशन मेनुअल (डी.एफ.एम.) को अंतिम रूप दिया जा चुका है और इन्हें विशेष सिविल पैकेजों के लिए अपनाया गया है, जिनमें पुलों, स्टेशन भवनों, सुरंगों, इत्यादि का निर्माण शामिल है।

ii) वायाडक्ट्स तथा पुलों, सुरंगों, अर्थ स्ट्रक्चर्स तथा ट्रैक कार्यो के लिए, डिजाइन बेसिस रिपोर्ट (डी.बी.आर.) को अंतिम रूप दिया जा चुका है और इन्हें जापान में विशेषज्ञ समिति का अनुमोदन मिल चुका है।

iii) संरेखण डिजाइन तथा दो पुलों (गुजरात में) के डिजाइन को अंतिम रूप दिया जा चुका है और इन्हें जापान में विशेषज्ञ समिति का अनुमोदन मिल चुका है।

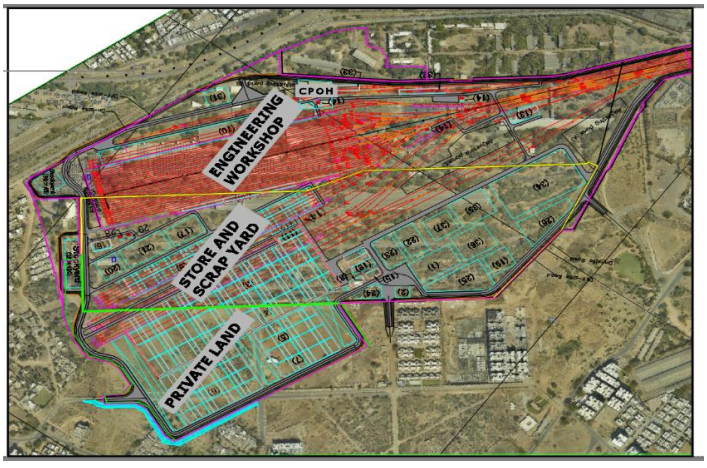


प्रस्तावित साबरमती डिपो योजना

iv) बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लैक्स (बी.के.सी.) में टर्मिनल स्टेशन की योजना, मुंबई मेट्रोपॉलीटन रीजन डेवलपमेंट ऑथिरिटी (एम.एम.आर.डी.ए.) की भूमि पर भूमिगत स्टेशन के रूप में बनाई गई है।

एम.एम.आर.डी.ए. ने वाणिज्यिक विकास को अधिकतम रूप प्रदान करने के लिए, इस स्टेशन के उपर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेन्टर (आई.एफ.एस.सी.) के गगन-चुंबी इमारतों की योजना बनाई है। एम.एम.आर.डी.ए. नियुक्त सलाहकार के द्वारा, ऊपर की इमारत के वजन को ध्यान में रखते हुए, भूमिगत स्टेशन का समेकित डिजाइन बनाया जा रहा है।

v) एम.ए.एच.एस.आर. के 8 स्टेशनों (यथा वापी, बिलीमोरा, भरुच, आनंद, बी.के.सी., अहमदाबाद तथा वडोदरा) के लिए स्टेशन की योजनाओं को अंतिम रूप दिया जा चुका है।

vi) विशिष्टताओं तथा मानकों की नियमावली (एम.एस.एस.) तथा ओ.एच.ई. और ट्रैक्शन प्रणाली के लिए किए गए सिमुलेशन अध्ययनों के परिणामों के आधार पर, बिजली आपूर्ति के लिए मूल डिजाइन को अंतिम रूप प्रदान किया जा चुका है।

vii) सूरत डिपो तथा चार स्टेशनों (यथा. भरुच, वापी, बिलीमोरा तथा सूरत) के लिए बिजली और यांत्रिक (ई.तथा एम.) कार्यों के लिए मूल डिजाइन को अंतिम रूप प्रदान किया जा चुका है।

viii) 2018-19 में, 90 जनरल अरेंजमेंट ड्रॉइंग्स (जी.ए.डी.) (2017-18 में तैयार किए गए 59 के अतिरिक्त) तैयार की गई हैं, जिनमें से 40 जी.ए.डी. (2017-18 में अनुमोदित किए गए 58 के अतिरिक्त) को हितधारकों का अनुमोदन मिल चुका है।

ix) रेलवे टेक्नीकल रिसर्च इंस्टीच्यूट (आर.टी.आर.आई.), जापान, के विशेषज्ञों के द्वारा, विस्तृत सर्वेक्षण और जाँचों के उपरांत, ट्रेन के परिचालन के दौरान किसी भूकंप की पूर्व चेतावनी देने के लिए, छह स्थानों को भूमिगत सीस्मोमीटर्स के प्रतिस्थापन के लिए नियत किया जा चुका है।

अहमदाबाद में प्रस्तावित एचएसआर स्टेशन

**ङ. निविदा देना :**

एच.एस.आर. प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण के साथ, संपूर्ण एम.ए.एच.एस.आर. परियोजना को 27 संविदा के पैकेजों के माध्यम से क्रियान्वित करने की योजना बनाई गई है, जिनमें प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित चार पैकेज शामिल हैं। प्रशिक्षण संस्थान के तीन पैकेजों के लिए कार्य सौंपा जा चुका है। 2018-19 में आमंत्रित प्रमुख निविदा 237 किमी.

(चैनेज 156.6 किमी. से चैनेज 393.7 किमी. तक) के सिविल कार्यों के सी – 4 पैकेज के लिए बिड है (अवसंरचना के क्षेत्र में अब तक की सम्भवतः सबसे बड़ी निविदा है)।

**च. वर्तमान रेल सुविधाओं तथा उपयोगिताओं का स्थानांतरण :**

भारतीय रेल, मैट्रो तथा हाई स्पीड नेटवर्क के बीच यात्री परिवहन को आसान बनाने के लिए, साबरमती तथा अहमदाबाद में एच.एस.आर. के यात्री टर्मिनल को रेलवे तथा मैट्रो से एकीकृत किया गया है। इसके परिणामस्वरूप एम.ए.एच.एस.आर. संरेखण, अहमदाबाद क्षेत्र में (साबरमती से वातवा के बीच लगभग 19 किमी. के लिए) रनिंग लाइनों, रेलवे प्लेटफार्मों तथा अन्य अनुरक्षण सुविधाओं सहित वर्तमान भारतीय रेल की अवसंरचनाओं के काफी नजदीक आ गया है। इसके कारण, विभिन्न रेल सुविधाओं (जैसे साबरमती क्षेत्र में भंडार डिपो; केन्द्रीय आवधिक ओवरहॉलिंग (सी.पी.ओ.एच.) वर्कशॉप; इंजीनियरिंग वर्कशॉप; फ्लश बट वेल्डिंग (एफ.बी.डब्लू.) प्लांट, कॉनकोर साइडिंग, अहमदाबाद में रेलवे के विभिन्न कार्यालयों, रेलवे सिगनलिंग, टेलीकॉम तथा बिजली उपयोगिताओं) को उनके वर्तमान स्थान से, नए स्थानों पर स्थानांतरित करना आवश्यक हो गया है।

CPOH मुख्य शेड, वातवा (निर्माणाधीन)

इसके अतिरिक्त, काफी संख्या में ईलेक्ट्रिकल ओवरहेड लाइनों (एम.ए.एच.एस.आर. संरेखण का उल्लंघन करने वाली) को भी, उनके उपयोगकर्ता मालिकों के सहयोग से पुनर्स्थानापित किया जाना है। चूंकि यह संरेखन घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्र में आता है, अतः एच.एस.आर. के सिविल कार्यों को स्थान देने के लिए काफी बड़ी संख्या में जनोपयोगी सेवाओं, जैसे पानी और नालियों के पाइपों, सड़कों, लाइटों, दूरसंचार के तारों तथा अन्य अवसंरचनाओं को भी पुनर्स्थानापन्न किया जाना है। एच.एस.आर. के निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए, इन निर्माण-पूर्व क्रियाकलापों को तेजी से पूरा करना अनिवार्य रूप से अपेक्षित होगा।

वास्तविक स्थानांतरण से पहले सभी उपयोगिताओं की मैपिंग की जाती है और एम.ए.एच.एस.आर. परियोजना के संपूर्ण संरेखण के लिए अभी तक, ओवरहेड ईलेक्टिकल लाइनों की 1622 उपयोगिताओं और भूमिगत तारों, पानी के पाइपलाइनों, नालियों की लाइनें, गैस तथा पैट्रोलियम उत्पादों के पाइपलाइनों तथा भंडारण के प्रतिस्थापनों, ओ.एफ.सी. तारों, इत्यादि की 3418 उपयोगिताओं की मैपिंग की जा चुकी है।

इस वर्ष के दौरान, 524 ओवरहेड ईलेक्ट्रिकल लाइनों को स्थानांतरित किया जा चुका है। कॉनकोर के इनलेंड कंटेनर डिपो तथा पश्चिमी रेल की परिसंपत्तियों, यथा इंजीनियरिंग वर्कशॉप, भंडार डिपो, केन्द्रीय आवधिक ओवरहॉलिंग

वर्कशॉप, इत्यादि का स्थानांतरण प्रगति पर है। अहमदाबाद के नजदीक ओ.एन.जी.सी. के पाइपलाइन्स को भी स्थानांतरित किया जा रहा है।

एम.ए.एच.एस.आर. परियोजना के संपूर्ण संरेखण के लिए, एक्सट्रा हाई टेंशन लाइनों को हस्तांतरित करने के लिए, पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पी.जी.सी.आई.एल.) (गुजरात और महाराष्ट्र के लिए) तथा अडानी ईलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड (ए.ई.एम.एल.) (महाराष्ट्र के लिए) के साथ एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किया जा चुका है।

इनके लिए निविदाएँ सौंपी जा चुकी हैं -- (क) अहमदाबाद तथा साबरमती स्टेशनों पर सिगनलिंग केबल्स और गीयर्स का स्थानांतरण तथा (ख) अहमदाबाद तथा वडोदरा स्टेशनों पर पश्चिम रेलवे से संबंधित दूरसंचार, ओ.एफ.सी. उपकरण का स्थानांतरण।

साबरमती स्टोर डिपो (निर्माणाधीन) में शेड

DMC मुख्य शेड, वातवा (निर्माणाधीन)

**छ. एच.एस.आर. प्रशिक्षण संस्थान**

वडोदरा में एक समर्पित हाई स्पीड रेल प्रशिक्षण संस्थान बनाया जा रहा है। इस संस्थान में जापान के शिन शिराकावा में स्थिति ईस्ट जापान रेलवे कंपनी (जेआर– ईस्ट) के हाई स्पीड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के समकक्ष सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी जैसे ड्राइवर सिमुलेटर, ट्रैक सर्किट, ओएचई में सम्मिलित बिजली आपूर्ति, सैंपल ट्रैक आदि। वडोदरा का हाई स्पीड रेल प्रशिक्षण संस्थान, ज्ञान के एक केन्द्र तथा भारत में भविष्य में बनाई जाने वाली अन्य हाई स्पीड कॉरिडोरों के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह भी काम करेगा। प्रशिक्षण संस्थान के छात्रावास भवन के निर्माण का कार्य प्रगति पर है और दिसंबर 2019 तक इसके पूरा हो जाने की संभावना है।

छात्रावास भवन (टी.आई. – 3) के एक विंग में कर्मचारियों का प्रशिक्षण, मार्च 2019 से प्रारंभ हो चुका है। "निर्माण के पहलु" पर 56 कर्मचारियों के पहले बैच को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद(अप्रैल 2019 में), 100 मी. के स्लैब ट्रैक के साथ प्रशिक्षण लाइन (टी.आई. – 2) को पूरा किया जा चुका है।

एचएसआर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वडादोरा में स्लैब ट्रैक के साथ ट्रेनिंग लाइन बिछाना

## ज. बिजली आपूर्ति स्रोत के क्रियाकलाप

एन.एच.एस.आर.सी.एल. ने एक "मानद लाइसेंसधारी" के रूप में, गुजरात तथा महाराष्ट्र के बिजली प्राधिकारियों से एम.ए.एच.एस.आर. सब-स्टेशनों (ट्रैक्शन सब-स्टेशन : 14, गैर-ट्रैक्शन सब-स्टेशन : 15) के लिए बिजली आपूर्ति के स्रोतों की व्यवस्था के लिए कनेक्शन का आवेदन किया है।

बिजली आपूर्ति के प्राधिकारियों ने, अपने ग्रिड सब-स्टेशनों से एम.ए.एच.एस.आर. के सब-स्टेशनों तक नेटवर्क के निर्माण के लिए निविदाएँ माँगी हैं।

## झ. भूमि अधिग्रहण

संयुक्त मापन सर्वेक्षण (जे.एम.एस.) रिपोर्ट (प्रक्रियाधीन) के आधार पर, परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि की आवश्यकता निम्नानुसार है। :

| राज्य | प्रभावित गाँवों की संख्या | भूमि की आवश्यकता (हेक्टे. में) / प्लॉट (संख्या में) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | सरकारी | निजी | भारतीय रेल | जंगल | कुल |
| **गुजरात** | 198 | 86.86 हेक्टे. / 915 | 724.13 हेक्टे./ 5441 | 125.87 हेक्टे./ 95 | 2.83 हेक्टे./ 10 | **939.69 हेक्टे./ 6461** |
| **महाराष्ट्र** | 97 | 66.07 हेक्टे. / 340 | 267.65 हेक्टे. / 1808 | 1.63 हेक्टे. /6 | 95.85 हेक्टे. /190 | **431.2 हेक्टे./ 2344** |
| **दादरा और नागर हवेली (डी.एन.एच.)** | 2 | 1.70 हेक्टे. / 10 | 7.00 हेक्टे. / 110 | 0 | 0 | **8.70 हेक्टे./ 120** |
| **कुल** | **297** | **154.63 हेक्टे./ 1265** | **998.78 हेक्टे. / 7359** | **127.50 हेक्टे./ 101** | **98.68 हेक्टे./ 200** | **1379.59 हेक्टे./ 8925** |

वर्ष 2018-19 के दौरान, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं। :

i) सामाजिक प्रभाव आकलन (एस.आई.ए.) रिपोर्ट, स्वदेशी लोगों की योजना (आई.पी.पी) और पूरक पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन (एस.-ई.आई.ए.), इत्यादि की अंतिम रिपोर्टें, अगस्त 2018 में जे.आई.सी.ए. को सौंप दी गई है और उनका अनुमोदन प्राप्त हो चुका है।

ii) 246 गाँवों (कुल 297 गाँवों में से) के लिए जे.एम.एस. को पूरा किया जा चुका है, यथा गुजरात में 182 गाँव, महाराष्ट्र में 62 गाँव तथा दादरा और नागर हवेली के यू.टी. में 2 गाँव।

iii) एस.आई.ए. से छूट का अनुमोदन मिल चुका है और राज्य में सभी 198 गाँवों के लिए गुजरात सरकार के राजपत्र में अधिसूचना जारी हो गई है।

iv) 31वें मार्च 2019 को अधिग्रहित की गई भूमि की स्थिति निम्नानुसार है।:

क) गुजरात – 939.69 हैक्टे. की भूमि की कुल आवश्यकता में से लगभग 412 हैक्टे. भूमि (सहमति के आधार पर 224 हैक्टे. निजी भूमि सहित)

ख) महाराष्ट्र – 431.2 हैक्टे. की भूमि की कुल आवश्यकता में से लगभग 62 हैक्टे. भूमि (सीधी खरीद के तरीके के माध्यम से 6.11 हैक्टे. निजी भूमि सहित)

**ञ. पर्यावरणीय आकलन तथा वैधानिक अनुमतियाँ :**

इस वर्ष के दौरान, पर्यावरणीय आकलन तथा वैधानिक अनुमतियों के क्षेत्र में उठाए गए प्रमुख कदम निम्नानुसार हैं। :

i) परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव का आंकलन प्रस्तुत करने और उन्हें कम करने के विभिन्न उपायों को प्रस्तावित करने के उद्देश्य से सितंबर 2018 में पूरक पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन (एस.-ई.आई.ए.) को प्रकाशित किया गया है, ताकि पर्यावरणीय परिणामों की पहचान की जा सके और परियोजना की योजना बनाने, डिजाइन और प्रबंधन में इनका समाधान किया जा सके।

ii) एस.-ई.आई.ए. के एक हिस्से के रूप में, पर्यावरण सूचना के खुलासे और जनसंपर्क के क्रियाकलापों का आयोजन, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों तथा दादरा और नागर हवेली के केन्द्रशासित प्रदेश में जिला-स्तर पर किया गया है। आम जनता, विस्तार से इस परियोजना को जान सके, इसके पड़ने वाले प्रभावों और उन्हें कम करने के बारे में ध्यान दे, इस उद्देश्य से जनसंपर्क अभियान चलाए गए हैं। संबंधित जिला प्रशासन तथा एन.एच.एस.आर.सी.एल. के अधिकारियों के द्वारा, लोगों की शंकाओं का समाधान भी किया गया है।

iii) एम.ए.एच.एस.आर. परियोजना से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने के लिए, आपकी कंपनी ने विभिन्न सरकारी संगठनों को नियुक्त किया है, (यथा राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान काउंसिल की प्रमुख प्रयोगशालाओं में से एक; मेनग्रोव सोसायटी ऑफ इंडिया; और जुलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कोलकाता)।

इन संगठनों द्वारा उनके संबंधित रिपोर्टों (यथा क्रमशः बेस लाइन डाटा कलेक्शन रिपोर्ट, इंटीग्रेटेड मेनग्रोव कंजरवेशन एंड मैनेजमेंट प्लान तथा स्टडी ऑन फॉनल कंपोनेंट्स एंड प्रीपरेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड कंजरवेशन प्लान फॉर ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो सेंक्चुरी) में प्रभाव को कम करने के सुझावों को पर्यावरण प्रबंधन योजना और पर्यावरण पर्यवेक्षण योजना के तहत् एस.-ई.आई.ए. में शामिल किया जा चुका है।

vi) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी.) ने दिनांक 22 फरवरी 2019 के पत्र संख्या 11-1/2019-1ए-III के तहत्, गुजरात के भरुच जिले में नर्मदा नदी पर कोस्टल रेगुलेटरी जोन (सी.आर.जेड) क्लीयरेंश की मंजूरी प्रदान कर दी है।

vii) राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड (एन.बी.डब्लू.एल.) ने निम्नलिखित के लिए, कुछ शर्तों और प्रभाव को कम करने के कुछ उपायों के साथ, वन्यप्राणी अनुमति की अनुशंसा कर दी है।

क) ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो वन्यप्राणी अभयारण्य (दिनांक 4 मार्च 2019 के पत्र सं. डेस्क-23(2)/ डब्लूएल/ सर्वे/ सी.आर. सं. 195/4291/2018-19 के तहत्)।

ख) संजय गाँधी नेशनल पार्क तथा टुंगारेश्वर वन्यप्राणी अभयारण्य (दिनांक 4 मार्च 2019 के पत्र सं. डेस्क-23(2) /डब्लूएल/सर्वे/सी.आर. सं. 132/4290/2018-19 के तहत्)।

viii) परियोजना के निर्माण स्थल पर पेड़ों का कम से कम काटा जाना सुनिश्चित करनेके लिए, कंपनी ने पेड़ों के ट्रांसप्लांटेशन के लिए मशीनों को लगाया है और पहले चरण में अहमदाबाद के निर्माण स्थल पर पेड़ों का ट्रांसप्लांटेशन प्रारंभ कर दिया है।

अहमदाबाद स्थल पर वृक्षों का प्रत्यारोपण।

## ट. पुनर्वास कार्य योजना (आर.ए.पी.)

जे.आई.सी.ए. को अगस्त 2018 में, आर.एफ.सी.टी.एल.ए.आर.आर. के तहत सौंपी गई, पुनर्वास कार्य योजना (आर.ए.पी.) रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई है।

परियोजना के लिए स्वदेशी लोगों की योजना (आई.पी.पी.) के साथ एक आर.ए.पी. बनाई गई है, ताकि परियोजना के प्रभावों का आंकलन किया जा सके और प्रभाव को कम करने के उपायों को विकसित कर योजना से प्रभावित लोगों (पी.ए.पी.) को मुआवजा प्राप्त करने, आर.एण्ड आर. सहायता के साथ दूसरे उपायों जिससे उनके सामाजिक– आर्थिक मानक और जीविकोपार्जन क्षमता को सुधारने के उपाय हैं, में सहायता दी जा रही है। परियोजना के लिए प्रस्तावित आमदनी नवीकरण योजना का उद्देश्य परियोजना प्रभावित परिवारों (पी.ए.एच.) की आमदनी को परियोजना–पूर्व स्तरों या उससे अच्छी स्थिति तक विकसित करना है और यह परियोजना प्रभावित क्षेत्रों में पी.ए.एच. के पुनर्वास का

महत्वपूर्ण हिस्सा है। पी.ए.एच. के पास उनकी वर्तमान गतिविधियों एवं कौशलों का लाभ उठाने के लिए, विभिन्न उपलब्ध विकल्पों में से एक को चुनने का अवसर होगा। सभी पी.ए.पी. को उपलब्ध विकल्पों के बारे में उचित जानकारी हो और उन्हें भागीदारी का पर्याप्त अवसर मिले, इसे सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्तर पर काम किया जाएगा।

वडोदरा में भूमि अधिग्रहण सहमति शिविर का आयोजन

वित्तीय वर्ष 2018-19 के समापन के उपरांत, आपकी कंपनी के द्वारा सामाजिक जिम्मेदारियों की दिशा में किए गए वादों को पूरा करने के लिए वड़ोदरा, गुजरात में रुडसेट (ग्रामीण विकास तथा स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान) के सहयोग से "कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग प्रोग्राम" शीर्षक वाला पहला उद्यमशीलता का कार्यक्रम आयोजित किया गया। उक्त 45 दिनों के कार्यक्रम में 28 उम्मीदवार सम्मिलित हुए थे, यह कार्यक्रम आई.टी. कौशल प्रदान करने के अतिरिक्त स्वयं का व्यापारिक प्रतिष्ठान स्थापित करने की जानकारी प्रदान करने पर केन्द्रित था।

**वित्तीय रूपरेखा**

**क. वित्तीय सारांश या मुख्य विशेषताओं के साथ निष्पादन**

आपकी कंपनी ने अभी व्यावसायिक संचालन शुरु नहीं किया है। इस वर्ष के दौरान, कोई परिचालन आय नहीं हुई है, हालांकि, कंपनी ने 68.27 करोड़ रु. का ब्याज आय अर्जित किया है।

**<u>वित्तीय प्रदर्शन संकेतक</u> :**

(करोड़ रु. में)

| क्रम. सं. | विवरण | 2018-19 | 2017-18 |
|---|---|---|---|
| 1. | परिचालन आय | **शून्य** | **शून्य** |
| 2. | अन्य आय | **68.27** | **29.64** |
| 3. | कर-पूर्व लाभ | **62.95** | **27.84** |
| 4. | करोपरांत लाभ | **46.09** | **19.43** |
| 5. | निवल मूल्य / शुद्ध संपत्ति | **3124.48** | **680.19** |
| 6. | प्रतिधारित आय के लिए हस्तांतरण | **69.48** | **25.19** |

**ख. विदेशी मुद्रा आय और व्यय**

आपकी कंपनी ने वर्ष 2018-19 के दौरान कोई विदेशी मुद्रा आय अर्जित नहीं की है और 31 मार्च 2019 तक 16.73 करोड़ रु. का विदेशी मुद्रा व्यय किया गया है।

**ग. शेयर पूंजी की संरचना**

आपकी कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 20,000 करोड़ रुपये है, जिसमें भारत सरकार (जी.ओ.आई.), गुजरात सरकार (जी.ओ.जी.) और महाराष्ट्र सरकार (जी.ओ.एम.) क्रमशः 50:25:25 के अनुपात में योगदान करेगी।

31 मार्च 2019 तक, आपकी कंपनी की पेड–अप शेयर पूंजी 2,455 करोड़ रुपये है जिसे भारत सरकार (यथा 2350 करोड़ रुपये) और गुजरात सरकार (यथा 105 करोड़ रुपये) द्वारा योगदान दिया गया है।

वर्ष के समापन के उपरांत, आपकी कंपनी ने भारत सरकार को, आपकी कंपनी के इक्विटी शेयर पूंजी में उसके योगदान के बदले में 2,100 करोड़ रुपये के बराबर के इक्विटी शेयरों का आबंटन किया है।

**अनुपालन**

**क. कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन**

i) **जमा**

इस वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने आम जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है।

ii) **इंटर-कार्पोरेट ऋणों, प्रतिभूतियों या निवेशों का विवरण**

आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार किसी भी इंटर– कॉरपोरेट ऋण की गारंटी नहीं प्रदान की है या कोई निवेश, (सुरक्षित या असुरक्षित), नहीं किया है।

iii) **संबंधित पक्ष के लेन-देनों का प्रकटीकरण**

संबंधित पक्ष के लेन-देनों का विस्तृत प्रकटीकरण, वर्ष 2018-19 के वित्तीय विवरणों में नोट सं. 31 के तहत् दिया गया है।

iv) चूंकि आपकी कंपनी अभी निर्माण के चरण में है और इसने अपना व्यवसायिक परिचालन अभी तक प्रारंभ नहीं किया है, अतः 2018-19 के दौरान शेयरधारकों के लिए किसी प्रकार के **लाभांश** की अनुशंसा नहीं की गई है।

v) समीक्षाधीन अवधि के दौरान, आपकी कंपनी के **व्यवसाय की प्रकृति** में कोई बदलाव नहीं आया था।

vi) ये वित्तीय विवरण जिस अवधि से संबंधित हैं, उस वित्तीय वर्ष के समापन तथा रिपोर्ट करने की तारीख के बीच, ऐसे कोई **वस्तुगत बदलाव और वादे** नहीं हुए हैं, जो आपकी कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले हों।

vii) समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार **लागत रिकार्डों** का अनुरक्षण लागू / प्रयोज्य नहीं है, क्योंकि आपकी कंपनी ने व्यवसायिक परिचालन अभी तक प्रारंभ नहीं किया है और तदनुसार 2018-19 के दौरान कंपनी का कोई व्यवसायिक टर्नओवर नहीं है।

viii) **सचिवीय मानकों का अनुपालन**

आपकी कंपनी, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आई.सी.एस.आई.) के द्वारा जारी प्रयोज्य सचिवीय मानकों का अनुपालन कर रही है।

ix) **जोखिम प्रबंधन**

आपकी कंपनी, वर्तमान में एक पूर्व परिचालन स्तर पर होने के कारण, जोखिम प्रबंधन नीति बनाने की प्रक्रिया में है। बीमा कंपनियों से उचित मूल्य के बीमा कवर प्राप्त कर एवं संपत्तियों की सुरक्षा हेतु अन्य उपायों के माध्यम से संपत्तियों एवं कुछ विशेष देनदारियों के जोखिम को कम किया गया है।

वित्तीय जोखिम के संबंध में, समय–समय पर वैधानिक लेखा परीक्षकों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी. एवं ए.जी.) द्वारा किए जाने वाले नियमित लेखापरीक्षा के अलावा, कंपनी ने बाहरी पेशेवर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कंपनियों को, आंतरिक लेखा परीक्षक के तौर पर शामिल कर, पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण उपाय किए हैं।

x) समीक्षा अवधि के दौरान, नियामकों या अदालतों या ट्रिब्यूनलों ने ऐसा कोई भी **महत्वपूर्ण एवं वस्तुगत आदेश** नहीं पारित किया है जो जारी व्यवसाय की स्थिति और भविष्य में कंपनी के संचालनों को प्रभावित करे।

xi) **ऊर्जा संरक्षण**

ऊर्जा संरक्षण को अपनाने वाले ऊर्जा संरक्षण निर्माण कोड (ई.सी.बी.सी.) के प्रावधानों को, साबरमती एचएस.आर. टर्मिनल तथा सी-4 पैकेज [यथा वायाडक्ट्स, पुलों, अनुरक्षण डिपो तथा स्टेशनों (वापी, बिलीमोरा, सूरत तथा भरूच) में सिविल और भवन-निर्माण कार्यों के लिए डिजाइन और निर्माण] के लिए बिड स्पेसिफिकेशन / निविदा में शामिल किया गया है।

वर्ष के समापन के उपरांत, ग्रीन हाई स्पीड रेल (एच.एस.आर.) के पहले संस्करण की रेटिंग का विकास इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (आई.जी.बी.सी.) के द्वारा किया गया है, जो भारत में किसी एच.एस.आर. परियोजना के लिए पहली बार किया गया है।

चल स्टॉक में, विभिन्न उपायों जैसे एल.ई.डी. आधारित बिजली तथा री-जनरेटिव ब्रेकिंग, इत्यादि की योजना बनाई जा रही है।

xii) **तकनीकी समावेशन**

वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने, एक ट्रस्ट यथा हाई स्पीड रेलवे (एच.एस.आर.) इनोवेशन सेन्टर का गठन किया है। उक्त ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य है, हाई स्पीड रेलवे (एच.एस.आर.) तकनीक के संबंधित क्षेत्रों में स्वदेशी

क्षमताओं, लागत-हितैषी समाधानों का विकास करना। लक्षित, अनुप्रयुक्त सहयोगी अनुसंधान के माध्यम से, आपकी कंपनी विभिन्न चयनित परियोजनाओं में शामिल होगी।

चल स्टॉक सब-ग्रुप के सुझावों के अनुसार, मेक इन इंडिया प्रयासों के तहत्, छह ट्रेन सेटों की असेम्बली की परिकल्पना की जा रही है।

**ख.** वर्ष 2018-19 के दौरान आपकी कंपनी को, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 151 के तहत कोई **अध्यक्षीय निर्देश** नहीं प्राप्त हुआ है।

**ग. सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई)**

आरटीआई अधिनियम, 2005 की कानूनी आवश्यकताओं के संदर्भ में कंपनी की वेबसाइट पर अपीलीय प्राधिकरण, लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक जन सूचना अधिकारी के नाम, सहित आवश्यक अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।

आमतौर पर आर.टी.आई. के प्रश्न, भूमि अधिग्रहण, नियुक्ति तथा बुलेट ट्रेन परियोजना के बारे में सामान्य सूचनाएँ, इत्यादि से संबंधित होते हैं और उनका जवाब सामान्यतः नियत समय में दे दिया जाता है। वर्ष के दौरान, प्राप्त होने वाले सभी 100 आवेदन का निस्तारण कर दिया गया है।

**आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की उपयुक्तता**

बोर्ड ने अपने कारोबार के व्यवस्थित एवं कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए नीतियों एवं प्रक्रियाओं को अपनाया है, इनमें कंपनी की नीतियों का पालन करना, कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी एवं गलतियों की रोकथाम एवं पहचान करना, लेखा अभिलेखों की सटीकता एवं पूर्णता सुनिश्चित करना और समय पर विश्वसनीय वित्तीय विवरण तैयार करना शामिल है। कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, कंपनी के संचालन आकार, पैमाने और जटिलताओं के अनुरूप है।

**सूचना प्रोद्योगिकी का विकास**

वर्ष 2018-19 के दौरान, निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। :

i) आँकड़ों की रिकवरी के प्रावधानों के साथ मुख्यालय में, नेटवर्क भंडारण की सुविधा स्थापित की गई है।

ii) कार्पोरेट कार्यालय तथा स्थल के कार्यालयों में, फायरवाल के माध्यम से नेटवर्क की सुरक्षा और एंटीवायरस क्रियान्वित किया गया है।

iii) सभी स्थल कार्यालयों तथा कार्पोरेट कार्यालय को, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा से जोड़ दिया गया है।

iv) स्थल से स्थल तक, सेशन इनीसियेशन प्रोटोकॉल (एस.आई.पी.) ट्रंक तथा एक्सचैंज संपर्क (वडोदरा, मुंबई तथा सूरत के कार्पोरेट तथा स्थल कार्यालयों के बीच) स्थापित किया जा चुका है।

v) सभी अधिसूचनाओं के प्रकाशन के लिए भूमि अधिग्रहण के प्रबंधन, गुजरात में सहमति करार तथा महाराष्ट्र में विक्रय करार के क्रियान्वयन सहित, भूमि अधिग्रहण के अंतर्गत क्रियाकलापों के पर्यवेक्षण के लिए, सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया जा चुका है।

**मानव संसाधन**

आपकी कंपनी मानव संसाधनों को बहुत महत्व देती है। कंपनी की एच.आर. नीतियां, उपलब्ध उत्कृष्ट प्रतिभाओं को आकर्षित करने और अपने साथ जोड़ने का उद्देश्य रखती हैं। कर्मचारियों को पी.एस.यू., मैट्रो कंपनियों, निजी क्षेत्र से नियुक्त किया जाता है या सामान्य तौर पर केंद्र सरकार के विभागों/ केंद्रीय पी.एस.यू., राज्य सरकारों और राज्य पी.एस.यू. आदि से प्रतिनियुक्ति पर रखा जाता है।

बीते वर्ष से कंपनी की जनशक्ति क्षमता दोगुनी हो गई है। 31 मार्च 2019 को कुल जनशक्ति क्षमता 212 थी (प्रतिनियुक्ति पर रखे गए 51 कर्मचारी शामिल)।

इस वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने वर्तमान विभिन्न कर्मचारी कल्याण के उपायों, जैसे कर्मचारियों के लिए एग्रोनॉमिक रूप से डिजाइन किए गए वर्कस्टेशन और लंबर सपोर्ट वाली कुर्सियाँ, कार्यस्थल पर कम आवाज वाला धूल-रहित वातावरण, कर्मचारियों के लिए पूल यातायात, एक विशेष उम्र के उपरांत कर्मचारियों के लिए नियमित निवारक स्वास्थ्य जाँच की सुविधा, इत्यादि को जारी रखने के अतिरिक्त नई पेंशन योजना में योगदान के साथ एन.एच.एस.आर.सी.एल. के नियमित कर्मचारियों के उपादान तथा सेवानिवृति के उपरांत चिकित्सा लाभों की दिशा में निधियों के प्रबंधन के लिए, दो ट्रस्टों का गठन किया है। इसके अतिरिक्त आपकी कंपनी ने अपने कर्मचारियों को, जापान फाउंडेशन के सहयोग से जापानी भाषा की शिक्षा देना भी प्रारंभ कर दिया है। वर्ष के दौरान, कंपनी के अधिकारियों के दो बैचों को इस पाठ्यक्रम की शिक्षा प्रदान की गई।

एन.एच.एस.आर.सी.एल. कॉर्पोरेट कार्यालय में जापानी भाषा कक्षा।

आपकी कंपनी, महिला कर्मचारियों को अनुकूल और सुरक्षित कार्य करने का वातावरण उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्प है और वर्ष के दौरान, कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोषण) अधिनियम 2013, के प्रावधानों के अनुरूप एक आंतरिक शिकायत समिति का भी गठन किया है। 2018-19 के दौरान, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

आपकी कंपनी अपने कर्मचारियों के प्रदर्शन को पोषित करती है और उनका सम्मान करती है एवं रचनात्मकता एवं उत्कृष्टता को बढ़ावा देती है। कंपनी अपने कर्मचारियों के पेशेवर विकास के लिए नियमित रूप से राष्ट्रीय/ अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण की व्यवस्था करती है। वर्ष 2018-19 के दौरान 73 कर्मचारियों ने जापान में ज्ञान सहयोग कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण प्राप्त किया

और 25 कर्मचारीगण, सामान्य प्रबंधन से लेकर तकनीकी विषयों से जुड़े मुद्दों पर विभिन्न संस्थानों / निकायों के साथ सहयोग करके कंपनी द्वारा आयोजित घरेलु प्रशिक्षण में शामिल हुए।

**सतर्कता**

इस वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने अनियमितताओं की रोकथाम और कार्यविधिक त्रुटियों के निवारण के लिए एक आंतरिक समिति का गठन किया है। इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों तथा मुख्य अधिकारियों के बीच जागरूकता और सतर्कता के स्तर को बढ़ाने के लिए और नैतिकता को अपनी आदत बनाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए, "संस्थान में स्व-नियमन – सतर्कता का उत्कृष्ट रूप" तथा "दैनिक कामकाज के विभिन्न आयामों में आंतरिक जाँच तथा सतर्कता" शीर्षक वाले विभिन्न घरेलु कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

श्री एच.एल. सुथार, कार्यकारी निदेशक / डिजाइन को, सतर्कता संबंधी कार्यों की देखरेख के लिए आपकी कंपनी के अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी (सी.वी.ओ.) के रूप में नामित किया गया है।

**पुरस्कार तथा सम्मान**

वर्ष 2018-19 के दौरान, आपकी कंपनी ने निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त किए हैं।:

1. शासन में नवीन प्रक्रिया के योगदान के लिए, डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम केन्द्र द्वारा प्रायोजित, कलाम इनोवेशन इन गर्वनेन्स अवार्ड 2019। यह पुरस्कार, 28 फरवरी 2019 को नई दिल्ली के प्रवासी भारतीय केन्द्र में आयोजित एक कार्यक्रम में, श्री राजीव कुमार, उपाध्यक्ष, नीति आयोग के द्वारा प्रदान किया गया था।

शासन में नवाचार के लिए कलाम इनोवेशन इन गवर्नेंस अवार्ड 2019

2. भूमि सर्वेक्षणों (यथा एल.आई.डी.ए.आर. सर्वेक्षण) में नवीनतम तकनीक का उपयोग करके, मुंबई – अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरीडोर के सर्वेक्षण के लिए, जियोस्पेटियल मीडिया एंड कम्यूनिकेशन द्वारा प्रायोजित, इंडिया जियोस्पेटियल अप्लिकेशन एक्सेलेंस अवार्ड। यह पुरस्कार, 11 फरवरी 2019 को नई दिल्ली में आयोजित एक सम्मेलन में, जनरल वी. के. सिंह(सेवानिवृत), तत्कालीन राज्यमंत्री, विदेश मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया गया था।

3. मिड-डे इंफोमीडिया लिमिटेड द्वारा प्रायोजित, "इमर्जिंग इंफ्रा कंपनी ऑफ द इयर 2018-19" की कोटि में इंफ्रा आइकॉन्स अवार्ड 2018। यह पुरस्कार, 27 जुलाई 2018 को मुंबई में आयोजित एक समारोह में, श्री प्रवीन डरारे, अतिरिक्त महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण, के द्वारा प्रदान किया गया था।

आपकी कंपनी का तृतीय स्थापना दिवस, 12 फरवरी 2019 को कार्पोरेट कार्यालय, नई दिल्ली में, अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड तथा सचिव, रेलवे बोर्ड की गरिमामय उपस्थिति में, कार्पोरेट कार्यालयों तथा स्थल कार्यालयों के निदेशकों / अधिकारियों (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से) के साथ मनाया गया।

आपकी कंपनी गाँधीनगर, गुजरात में जनवरी 2019 के दौरान आयोजित, 9वें वायब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में शामिल हुई थी। कंपनी ने अपने स्टॉल में, जानकारीवर्धक वीडियो और पैनलों आदि के साथ, एक हाई स्पीड रेल ड्राइविंग यूनिट सिमुलेटर का प्रदर्शन किया। एम.ए.एच.एस.आर. परियोजना के बारे में जागरूकता लाने के लिए, "बुलेट ट्रेन" विषय पर अनेक अन्य गतिविधियाँ, जैसे पेंटिंग प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता, इत्यादि का भी आयोजन किया गया था। ट्रेन सिमुलेटर को देखकर, कार्पोरेट क्षेत्र, स्थानीय निवासियों, सरकारी अधिकारियों, राज्य सरकार के अधिकारियों, मीडिया घरानों और बच्चों, इत्यादि की काफी रुचि जगी।

आपकी कंपनी ने, भारत की पहली हाई स्पीड रेल को एक नाम देने और एक शुभंकर देने का भी विनिश्चय किया है। सरकार की वेबसाइट, यथा www.mygov.in के माध्यम से इस उद्देश्य की एक खुली प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है, जिसमें क्रमशः ट्रेन के शुभंकर की डिजाइन और उसके नाम के लिए जीतने वाली प्रविष्टि को 1,00,000 रु. और 50,000 रु. की पुरस्कार राशि रखी गई है। इस प्रतियोगिता को बहुत अच्छी सहभागिता मिली है और 22,000 से अधिक प्रविष्टियाँ प्राप्त हुई हैं। एक स्वतंत्र सरकारी डिजाइन संस्थान से, पूर्व-निर्धारित योग्यता के आधार पर प्रविष्टियों को छाँटने का आग्रह किया गया है।

**विज़न और मिशन**

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने निम्नलिखित को अपने मिशन और विज़न के लिए लागू किया है / अपनाया है।:

I. विज़न :

जीवन की बेहतर गुणवत्ता और देश के विकास के लिए, तकनीकी उत्कृष्टता के साथ सुरक्षित, विश्वसनीय और दीर्घकालिक हाई स्पीड रेल सेवाएँ मुहैया कराना।

II. मिशन :

1. ग्राहकों की संतुष्टि के लिए, एक कार्यकुशल, सुरक्षित, संधारणीय और विश्वसनीय परिवहन का विकल्प उपलब्ध कराना।
2. अत्याधुनिक हाई स्पीड रेल यातायात की अवसंरचना के निर्माण, परिचालन और अनुरक्षण के द्वारा संपूर्ण राष्ट्र के लोगों को एक-दूसरे से जोड़ना।
3. हाई स्पीड रेल तकनीक के समावेशीकरण, स्वदेशीकरण और नवोन्मेष को बढ़ावा देना।

**बोर्ड की समितियाँ**

**क. कार्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति**

कंपनी ने अभी तक वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ नहीं किया है और इसलिए वित्तीय वर्ष के दौरान कोई भी संचालन लाभ अर्जित नहीं किया है। इसके अलावा, सी.एस.आर. गतिविधि पर खर्च करने का प्रावधान, पिछले 3 वर्षों में अर्जित औसत शुद्ध लाभ की उपलब्धता पर लागू होता है, इसलिए कंपनी अपने निगमन के बाद, 3 वित्त वर्ष के

उपलब्ध लाभों के आधार, पर सी.एस.आर. बजट आवंटित करने के बाद वर्ष 2019-20 में सी.एस.आर. पर खर्च करने में सक्षम होगी।

मार्च 2018 में सुश्री नमिता मेहरोत्रा, मनोनीत निदेशक की अध्यक्षता में एक बोर्ड स्तर की 'कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समिति', जिसे 'सी.एस.आर. समिति' के नाम से जाना जाता है, और जो सी.एस.आर. संबंधित कार्य करती है, बनाई गई है, साथ में उस समिति के सदस्य के रूप में श्री राजेन्द्र प्रसाद, निदेशक परियोजना और श्री अरुण बिजलवान, निदेशक वित्त; और समिति के सचिव के तौर पर कंपनी सचिव सुश्री सुमिता शर्मा हैं।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के समापन के उपरांत, सी.एस.आर. समिति ने 21 जून 2019 को अपनी पहली बैठक बुलाई थी। कंपनी की सी.एस.आर. नीति नियमानुसार मौजूद है और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

**ख. अन्य समितियाँ**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) के संदर्भ में जिसे कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 (एम.सी.ए. अधिसूचना 05.07.2017 के माध्यम से संशोधित किया गया) के साथ पढ़ा जाए, यथा संयुक्त उपक्रम की असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी होने के नाते एन.एच.एस.आर.सी.एल. को अपने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों को रखने की आवश्यकता नहीं है।

तदनुसार, लेखापरीक्षा समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति एवं शेयरधारक संबंध समिति का गठन भी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 178 जिसे कंपनी (बोर्ड की बैठकें एवं उसके अधिकार) नियम, 2014 के नियम 6 के साथ पढ़ा जाए, करना आवश्यक नहीं है।

**कॉरपोरेट गवर्नेंस**

कंपनी कॉरपोरेट गवर्नेंस की वास्तविक भावना का पालन करती है और पारदर्शिता, जवाबदेही, संचालन संबंधी नैतिक प्रथाओं और पेशेवर प्रबंधन पर फोकस के साथ सर्वोत्तम शासन प्रथाओं को लागू करती है।

**निदेशक मंडल**

**क. बोर्ड की संरचना**

31 मार्च 2019 तक, आपकी कंपनी के बोर्ड में नौ (9) निदेशक हैं, यथा पाँच (5) पूर्णकालिक निदेशक (यानि प्रबंध निदेशक, निदेशक परियोजना, निदेशक वित्त, निदेशक चल स्टॉक और निदेशक बिजली एवं प्रणाली तथा रेल मंत्रालय के द्वारा तीन (3) मनोनीत निदेशक (अंशकालिक अध्यक्ष समेत) तथा गुजरात सरकार के द्वारा एक (1) मनोनीत निदेशक।

**ख. मुख्य प्रबंधकीय अधिकारी**

आपकी कंपनी के बोर्ड के द्वारा प्रबंध निदेशक, निदेशक परियोजना, निदेशक वित्त, निदेशक चल स्टॉक और निदेशक बिजली एवं प्रणाली तथा कंपनी सचिव को, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप मुख्य प्रबंधकीय

अधिकारी घोषित किया गया है। आपकी कंपनी के बोर्ड के द्वारा वित्त निदेशक को सी.एफ.ओ. के रूप में भी नियुक्त किया गया है।

**ग. निदेशकों का पारिश्रमिक**

सरकारी कंपनी होने के कारण, आपकी कंपनी के पूर्ण–कालिक निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार करती है तथा वे सरकार की नियुक्ति के नियमों और शर्तों के अनुसार, व्यावसायिक महंगाई भत्ता (आई.डी.ए.)/ केंद्रीय महंगाई भत्ता (सी.डी.ए.) वेतनमान के अनुसार पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं।

भारत सरकार द्वारा तथा शामिल होने वाले राज्य सरकारों के द्वारा नामित, मनोनीत निदेशकों (कंपनी के पेड-अप शेयर पूँजी में शेयर होने पर) को कंपनी में निदेशक की भूमिका निभाने के लिए किसी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं मिलता बल्कि उन्हें सरकारी अधिकारियों की तरह संबंधित सरकार(रों) से केंद्रीय महंगाई भत्ते (सी.डी.ए.) वेतनमान के तहत पारिश्रमिक दिया जाता है।

**घ. बोर्ड की बैठकें और उपस्थिति**

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान आपकी कंपनी के निदेशक मंडल की चार (4) बैठकें हुई, यथा 28 जून 2018, 28 अगस्त 2018, 5 दिसंबर 2018, और 14 मार्च 2019 को।

वर्ष 2018-19 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठक एवं वार्षिक सामान्य बैठक (ए.जी.एम.) में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार हैः–

| क्रम. सं. | निदेशक का नाम | पदनाम | बोर्ड की बैठकों की संख्या | | अंतिम ए.जी.एम. में उपस्थिति (24.09.2018 को आयोजित) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | निदेशक के कार्यकाल में आयोजित | उपस्थित | |
| 1. | श्री विनोद कुमार यादव (डी.आई.एन.- 08346269) अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड | अंशकालिक अध्यक्ष (भारत सरकार द्वारा नामित) (30 जनवरी 2019 से प्रभावी) | 1 | 1 | प्रयोज्य नहीं |
| 2. | श्री अचल खरे (डी.आई.एन.- 07576351) | प्रबंध निदेशक (पूर्णकालिक निदेशक) | 4 | 4 | हाँ |
| 3. | श्री राजेन्द्र प्रसाद (डी.आई.एन.- 08006234) | निदेशक परियोजना (पूर्णकालिक निदेशक) | 4 | 3 | हाँ |
| 4. | श्री अरुण बिजलवान (डी.आई.एन.- 08012372) | निदेशक वित्त (पूर्णकालिक निदेशक) | 4 | 4 | हाँ |
| 5. | श्री विजय कुमार (डी.आई.एन.- 08205585) | निदेशक चल स्टॉक (पूर्णकालिक निदेशक) (23 अगस्त 2018 से प्रभावी) | 3 | 2 | हाँ |

| क्रम. सं. | निदेशक का नाम | पदनाम | बोर्ड की बैठकों की संख्या | | अंतिम ए.जी.एम. में उपस्थिति (24.09.2018 को आयोजित) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | निदेशक के कार्यकाल में आयोजित | उपस्थित | |
| 6. | श्री संदीप कुमार<br>(डी.आई.एन.- 08206781) | निदेशक बिजली तथा प्रणाली<br>(पूर्णकालिक निदेशक)<br>(31 अगस्त 2018 से प्रभावी) | 2 | 2 | नहीं |
| 7. | श्री रवीन्द्र नाथ सिंह<br>(डी.आई.एन.- 08488013),<br>प्रमुख कार्यकारी निदेशक / इंफ्रा, रेलवे बोर्ड | अंशकालिक निदेशक<br>(भारत सरकार द्वारा नामित)<br>(19 जून 2019 से प्रभावी) | प्रयोज्य नहीं | | |
| 8. | सुश्री नमिता मेहरोत्रा<br>(डी.आई.एन.- 07916304),<br>कार्यकारी निदेशक (एफ) / आर.एम., रेलवे बोर्ड | अंशकालिक निदेशक<br>(भारत सरकार द्वारा नामित) | 4 | 3 | हाँ |
| 9. | श्री पी. आर. पटेलिया<br>(डी.आई.एन.- 06480313)<br>मुख्य इंजीनियर (राष्ट्रीय राजमार्ग) तथा अतिरिक्त सचिव, सड़क एवं भवन-निर्माण विभाग, गुजरात सरकार | अंशकालिक निदेशक<br>(गुजरात सरकार द्वारा नामित)<br>(15 जून 2018 से प्रभावी) | 4 | 3 | नहीं |
| 10. | श्री अभिजीत नरेन्द्र<br>(डी.आई.एन.- 07851224)<br>कार्यकारी निदेशक (यातायात) /<br>पी.पी.पी., रेलवे बोर्ड | अंशकालिक निदेशक<br>(भारत सरकार द्वारा नामित)<br>(15 जून 2017 से 15 अप्रैल 2018 तक सेवा में) | प्रयोज्य नहीं | | |
| 11. | श्री अश्वनी लोहानी<br>(डी.आई.एन.- 01023747),<br>अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड | अंशकालिक निदेशक<br>(भारत सरकार द्वारा नामित)<br>(25 अगस्त 2017 से 31 दिसंबर 2018 तक सेवा में) | 3 | 3 | हाँ |
| 12 | श्री सुशांत कुमार मिश्र<br>(डी.आई.एन.- 07869414),<br>पूर्व – पी.ई.डी. / इंफ्रा. एवं सचिव, रेलवे बोर्ड | अंशकालिक निदेशक<br>(भारत सरकार द्वारा नामित)<br>(25 अगस्त 2017 से 14 जून 2019 तक सेवा में) | 4 | 4 | हाँ |

सुश्री सुमिता शर्मा, कंपनी सचिव, ने वर्ष 2018-19 के दौरान आयोजित बोर्ड की सभी बैठकों के साथ– साथ, ए.जी.एम. में भी भाग लिया।

**आचार संहिता एवं आचार नीति**

आपकी कंपनी ने अपने कर्मचारियों, वरिष्ठ प्रबंधन और निदेशक मंडल के लिए, आचार संहिता एवं आचार नीति बनाई है, जो 1 जून 2018 से प्रभावी है तथा जो काम से जुड़े मुद्दों से निपटने और कर्मचारियों के आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन संबंधी दुविधाओं से निपटने के लिए मार्गदर्शन देता है।

निदेशक मंडल के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन दल ने, वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए तथाकथित आचार संहिता के अनुपालन की अपनी पुष्टि प्रदान की है।

**वार्षिक आम बैठकें**

**क.** 2018-19 के वित्तीय वर्ष के लिए, कंपनी की दूसरी वार्षिक आम बैठक का आयोजन 24 सितंबर 2018 को, नई दिल्ली स्थित रेल मंत्रालय के दूसरे तल पर स्थित बैठक कक्ष में 11.00 बजे किया गया था, जिसमें कंपनी की ऋण प्राप्त करने की सीमा को बढ़ाने का एक विशेष संकल्प पारित हुआ था।

**ख.** 2018-19 के वित्तीय वर्ष के लिए, कंपनी की प्रस्तावित तृतीय ए.जी.एम. का आयोजन निम्न विवरण के साथ नियत किया गया है।:

दिन - सोमवार

दिनांक - 23 सितंबर 2019

समय - 11.00 बजे

स्थान - रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली 110001

**कंपनी की वेबसाइटः**

कंपनी की वेबसाइट www.nhsrcl.in है। व्यवहार्यता रिपोर्ट, परियोजना के तकनीकी विवरण, एस.आई.ए. / आर.ए.पी. तथा आई.पी.पी. रिपोर्ट, निविदाएं, विभिन्न रिक्तियां एवं उनके लिए की गई भर्ती परीक्षाओं का परिणाम, महाराष्ट्र, गुजरात एवं दादर और नगर हवेली के लिए भूमि अधिग्रहण मुआवजा आदि समेत कंपनी से संबंधित सभी प्रमुख जानकारियां कंपनी की वेबसाइट पर तीन विभिन्न भाषाओं, यथा अंग्रेजी, हिन्दी और जापानी में उपलब्ध हैं।

**लेखा-परीक्षक**

**क. <u>वैधानिक लेखा– परीक्षक</u>**

मेसर्स सहगल मेहता एंड कं., चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस, को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने 2018-19 के लिए कंपनी का वैधानिक लेखा–परीक्षक नियुक्त किया है।

**ख. <u>सचिवीय लेखा– परीक्षक</u>**

आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार 2018-19 के लिए कंपनी सचिव इन प्रैक्टिस श्री अनिल आनंद को कंपनी का सचिवीय लेखा– परीक्षा करने के लिए नियुक्त किया है।

**ग. <u>आंतरिक लेखा–परीक्षक</u>**

आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत 2018-19 के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस मेसर्स भूषण बेन्सल जैन एसोसिएट्स को कंपनी की आंतरिक लेखा– परीक्षा करने के लिए नियुक्त किया है।

**निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण**

कंपनी का निदेशक मंडल यह पुष्टि करता है किः

i) वित्तीय लेखे तैयार करने में लागू लेखाकरण मानकों का पालन किया गया है और इनमें कोई विशेष विचलन नहीं हुआ है, बशर्ते वार्षिक वित्तीय लेखों में अन्यथा उल्लेख किया गया हो।

ii) ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया गया है और लगातार उनका प्रयोग किया जाता है और उचित एवं दूरदर्शी फैसले किए गए और अनुमान लगाए गए हैं ताकि वित्त वर्ष के समाप्त होने पर कंपनी के मामलों और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ– हानि पर उचित एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान किया जा सके।

iii) कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा करने एवं धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं उनकी पहचान करने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव में उचित और पर्याप्त सावधानी बरती गई है।

iv) जारी व्यवसाय के आधार पर वार्षिक लेखांकन किया गया है। और

v) लागू होने वाले सभी कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने लिए उचित प्रणाली बनाई गई थी और ये प्रणालियां पर्याप्त थीं एवं प्रभावशाली ढंग से काम कर रही थीं।

**अन्य प्रासंगिक दस्तावेज**

कंपनी अधिनियम**, 2013** के प्रावधानों के अनुरूप नियमों के साथ पठित, प्रासंगिक अनुलग्नकों के साथ निम्नलिखित रिपोर्ट/ दस्तावेज इस रिपोर्ट का अभिन्न हिस्सा हैं और इन्हें यहां परिशिष्टों के रूप में क्रमांकित किया गया है।

1. वार्षिक रिटर्न का सार (फॉर्म एमजीटी**-9** में) **परिशिष्ट** – **1**
2. सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट **परिशिष्ट** – **2**

**आभार**

हम कंपनी का लगातार समर्थन करने के लिए भारत सरकार, जापान सरकार, रेल मंत्रालय, विदेश मंत्रालय एवं अन्य मंत्रालयों; महाराष्ट्र सरकार, गुजरात सरकार, भारत एवं जापान के राजदूतों एवं दूतावासों; पासपोर्ट प्राधिकरण; नीति आयोग, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डी.आई.पी.पी.), जे.ई.टी.आर.ओ. के अधिकारियों, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जे.आई.सी.ए.), जापान इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स (जे.आई.सी.), जे.आर. ईस्ट के अधिकारियों; भारतीय रिजर्व बैंक, हमारे बैंक कर्मियों एवं विभिन्न मीडिया चैनलों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।

हम कंपनी के कर्मचारियों की कंपनी के प्रति समर्पण एवं ईमानदारी की भावना के साथ काम करने की भी सराहना करते हैं।

**निदेशक मंडल की ओर से, उनके लिए**

| | **हस्ता./-** | **हस्ता./-** |
|---|---|---|
| | **(अरुण बिजलवान)** | **(अचल खरे)** |
| **दिनांक : 05-08-2019** | **निदेशक वित्त** | **प्रबंध निदेशक** |
| **स्थान : नई दिल्ली** | | |

**परिशिष्ट -- 1**

# फार्म सं. एम.जी.टी. 9 -वार्षिक आयकर विवरणी का सार

**[31.03.2019 को]**

**[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) तथा कंपनी (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के आलोक में]**

## I. पंजीकरण तथा अन्य विवरण

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | कार्पोरेट पहचान संख्या (सी.आई.एन.) | : | **U60200DL2016GOI291002** |
| 2 | पंजीकरण की तारीख | : | **12 फरवरी 2016** |
| 3 | कंपनी का नाम | : | **नेशनल हाई स्पीड रेल कार्पोरेशन लिमिटेड** |
| 4क) | कंपनी की कोटि | : | **सार्वजनिक कंपनी** |
| 4ख) | कंपनी की उप-कोटि | | **सरकारी कंपनी, शेयरों द्वारा परिसीमित और कंपनी के पास शेयर पूंजी है।** |
| 5 | पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क का विवरण | : | **एशिया भवन, टूसरा तल, सड़क संख्या 205, सेक्टर - 9, द्वारका, नई दिल्ली - 110077**<br>**फोन नं.: 011-28070000/01**<br>**फैक्स सं. : 011-28070150**<br>**ईमेल आई.डी.: comp.sec@nhsrcl.in** |
| 6 | क्या सूचीबद्ध कंपनी है (हॉ / नहीं) | : | **नहीं** |
| 7 | रजिस्ट्रार तथा हस्तांतरण अभिकर्ता, यदि कोई हो तो उसका नाम, पता और संपर्क विवरण। | : | **प्रयोज्य नहीं**[1] |

## II. कंपनी की प्रमुख व्यापारिक गतिविधियाँ

कंपनी के कुल कारोबार में 10% या अधिक योगदानकारी सभी व्यापारिक गतिविधियाँ हैं :

| क्र.सं. | मुख्य उत्पादों / सेवाओं का नाम और विवरण | उत्पादों / सेवाओं का एन.आई.सी. कोड | कंपनी के कुल कारोबार का % |
|---|---|---|---|
| **1** | **निर्माण :**<br>**सिविल इंजीनियरी**<br>**- सड़कों तथा रेलमार्गों का निर्माण**<br>**- उपयोगी परियोजनाओं का निर्माण** | **सेक्शन एफ**<br>**डिवीजन 42**<br>**समूह 421**<br>**समूह 422** | **शून्य*** |
| **2** | **परिवहन तथा भंडारण :**<br>**जमीनी परिवहन तथा पाइपलाइन्स के माध्यम से परिवहन**<br>**- रेलमार्ग से होकर परिवहन**<br>**- अन्य जमीनी परिवहन**<br>**- पाइपलाइन्स से होकर परिवहन** | **सेक्शन एच**<br>**डिवीजन 49**<br>**समूह 491**<br>**समूह 492**<br>**समूह 493** | |

* कंपनी अपने निर्माण के चरण में है और इसने अपना व्यवसायिक परिचालन अभी तक प्रारंभ नहीं किया है।

## III. स्वामित्व वाली, सहायक तथा संबद्ध कंपनियों का विवरण

**प्रयोज्य नहीं, क्योंकि इस वर्ष के दौरान एन.एच.एस.आर.सी.एल. की कोई सहायक या संबंध कंपनियाँ नहीं थीं।**

## IV. शेयर होल्डिंग का पैटर्न ( कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का विस्तृत विवरण) :

### i) कोटि-वार शेयर होल्डिंग

| शेयरधारकों की कोटि | | वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या | | | | वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या[3] | | | | वर्ष के दौरान % बदलाव[3] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | डीमैट[1] | भौतिक | कुल | कुल शेयरों का % [3] | डीमैट[1] | भौतिक | कुल | कुल शेयरों का % [3] | |
| **क.** | **प्रोमोटर** | | | | | | | | | |
| (1) | **भारतीय** | | | | | | | | | |
| ख) | केन्द्र सरकार[2] | | 65,00,000 | 65,00,000 | 99.237 | | 2,35,00,000 | 2,35,00,000 | 95.723 | -3.514 |
| ग) | राज्य सरकार (रें) | | 50,000 | 50,000 | 0.763 | | 10,50,000 | 10,50,000 | 4.277 | 3.514 |
| | **कुल (क) (1)** | **कुछ नहीं** | 65,50,000 | 65,50,000 | 100 | **कुछ नहीं** | 2,45,50,000 | 2,45,50,000 | 100 | - |
| (2) | **विदेशी** | | | | | | | | | |
| | **कुल (क) (2)** | | - | - | | | - | - | | |
| | **प्रोमोटर की कुल शेयर धारिता (क) = (क)(1)+(क)(2)** | | 65,50,000 | 65,50,000 | 100 | | 2,45,50,000 | 2,45,50,000 | 100 | - |
| **ख.** | **सार्वजनिक शेयरधारिता** | **कुछ नहीं** | | | | | | | | |
| (1) | **संस्थान** | | | | | | | | | |
| (2) | **गैर-संस्थान** | | | | | | | | | |
| | **कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख)= (ख)(1)+(ख)(2)** | | | | | | | | | |
| **ग.** | **जी.डी.आर. तथा ए.डी.आर. के स्वामित्व द्वारा धारित शेयर** | **कुछ नहीं** | | | | | | | | |
| | **सकल योग (क + ख + ग)** | **कुछ नहीं** | 65,50,000 | 65,50,000 | 100 | **कुछ नहीं** | 2,45,50,000 | 2,45,50,000 | 100 | - |

### ii) प्रोमोटरों की शेयरधारिता

| क्र.सं. | शेयरधारकों का नाम | वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या | | | वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या[3] | | | वर्ष के दौरान शेयर धारण में % बदलाव[3] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों का % [3] | कुल शेयरों में से गिरवी रखे गए / प्रभारित शेयरों का % | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों का % | कुल शेयरों में से गिरवी रखे गए / प्रभारित शेयरों का % | |
| (क) | भारत के राष्ट्रपति और उनके बारह नामिती | 65,00,000 | 99.237 | - | 2,35,00,000 | 95.723 | - | -3.514 |
| (ख) | गुजरात के राज्यपाल | 50,000 | 0.763 | - | 10,50,000 | 4.277 | - | 3.514 |
| | **कुल** | 65,50,000 | 100 | | 2,45,50,000 | 100 | | |

**iii) प्रोमोटरों की शेयर धारिता में बदलाव ( कृपया उल्लेख करें, यदि कोई बदलाव नहीं हुआ है)**

| क्र.सं. | विवरण | वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या | | वर्ष के दौरान संचयी धारित शेयरों की संख्या 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | शेयरों की संख्या [3] | कंपनी के कुल शेयरों का % [3] | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों का % [3] |
| (क) | वर्ष के प्रारंभ में : | | | | |
| (1) | भारत के राष्ट्रपति | 65,00,000 | 99.237 | - | - |
| (2) | गुजरात के राज्यपाल | 50,000 | 0.763 | - | - |
| (ख) | शेयर धारिता में बदलाव | | | | |
| (1) | गुजरात के राज्यपाल को 28.06.2018 को शेयरों का आबंटन | 10,00,000 | 13.245 | 10,50,000 | 13.907 |
| (2) | भारत के राष्ट्रपति को 05.12.2018 को शेयरों का आबंटन | 1,15,00,000 | 60.367 | 1,80,00,000 | 94.488 |
| (3) | भारत के राष्ट्रपति को 14.03.2019 को शेयरों का आबंटन | 55,00,000 | 22.403 | 2,35,00,000 | 95.723 |
| (ग) | वर्ष के अंत में: | | | | |
| (1) | भारत के राष्ट्रपति | - | - | 2,35,00,000 | 95.723 |
| (2) | गुजरात के राज्यपाल | - | - | 10,50,000 | 4.277 |
| | **कुल** | | | 2,45,50,000 | 100 |

**iv) उच्चतम दस शेयरधारकों ( निदेशकों, संरक्षकों तथा जी.डी.आर तथा ए.डी.आर. धारकों को छोड़कर) की शेयर-धारिता का तरीका: प्रयोज्य नहीं [4]**

**v) निदेशकों तथा मुख्य प्रबंधकीय कर्मियों (के.एम.पी.) की शेयर-धारिता: प्रयोज्य नहीं [4]**

## V. कर्जदारी

बकाया / उपार्जित परन्तु भुगतान के लिए देय नहीं, ब्याज सहित कंपनी की कर्जदारी :

| | जमा को छोड़कर सुरक्षित ऋण | असुरक्षित ऋण | जमा | कुल कर्जदारी |
|---|---|---|---|---|
| **वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में कर्जदारी**<br>i) मूलधन की राशि<br>ii) ब्याज देय, परन्तु भुगतान नहीं किया गया<br>iii) ब्याज उपार्जित, परन्तु देय नहीं | **कुछ नहीं** | | | |
| **कुल (i + ii + iii)** | | | | |
| **वित्तीय वर्ष के दौरान कर्जदारी में बदलाव**<br>वृद्धि<br>कमी | | | | |
| **कुल बदलाव** | | | | |
| **वित्तीय वर्ष के अंत में कर्जदारी**<br>i) मूलधन की राशि<br>ii) ब्याज देय, परन्तु भुगतान नहीं किया गया<br>iii) ब्याज उपार्जित, परन्तु देय नहीं | | | | |
| **कुल (i + ii + iii)** | | | | |

## VI. निदेशकों तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

### क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों, तथा / या प्रबंधक का पारिश्रमिक :

(रु. में)

| क्र.सं. | पारिश्रमिक का विवरण | पूर्णकालिक निदेशक का नाम | | | | | कुल राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | अचल खरे, एम.डी. (संपूर्ण 2018-19 के दौरान) | राजेन्द्र प्रसाद, डी.पी. (संपूर्ण 2018-19 के दौरान) | अरुण बिजलवान, डी.एफ. (संपूर्ण 2018-19 के दौरान) | विजय कुमार, डी.आर.एस. (23.08.2018 से प्रभावी) | संदीप कुमार, डी (ई. एवं एस. (31.08.2018 से प्रभावी) | |
| 1 | सकल वेतन | | | | | | |
| क) | आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन | 48,29,373 | 31,24,917 | 26,79,300 | 19,74,240 | 16,50,454 | 1,42,58,284 |
| ख) | आयकर अधिनियम,1961 की धारा 17(2) के अनुसार परिलब्धियों का मूल्य | 10,40,346 | 8,28,078 | 5,87,238 | 2,24,963 | 4,59,649 | 31,40,274 |
| ग) | आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के तहत वेतन के बदले लाभ | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 2 | स्टॉक विकल्प | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | उद्यम इक्विटी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | कमीशन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | अन्य, कृपया उल्लेख करें : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **कुल (क)** | **58,69,719** | **39,52,995** | **32,66,538** | **21,99,203** | **21,10,103** | **1,73,98,558** |

**अधिनियम के अनुसार सीलिंग - प्रयोज्य नहीं [5]**

### ख. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक:

(रु. में)

| क्र.सं. | पारिश्रमिक का विवरण | निदेशकों का नाम | | | | | | कुल राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **स्वतंत्र निदेशक** | | | | | | | |
| | बोर्ड / समिति की बैठकों में शामिल होने का शुल्क | **प्रयोज्य नहीं** | | | | | | **0** |
| | | | | | | | **कुल (ख1)** | **0** |
| 2 | **अन्य गैर-कार्यकारी निदेशक** | **विनोद कुमार यादव (30.01.2019से प्रभावी)** | **अश्वनी लोहानी (25.08.2017 से 31.12.2018 तक)** | **एस. के. मिश्रा (25.08.2017 से 14.06.2019 तक)** | **अभिजीत नरेन्द्र (25.08.2017 से 16.04.2018 तक)** | **नमिता मेहरोत्रा (संपूर्ण 2018-19 के दौरान)** | **पी.आर. पटेलिया (15.06.2018 से प्रभावी)** | |
| | बोर्ड / समिति की बैठकों में शामिल होने का शुल्क | **कुछ नहीं** | | | | | | **0** |
| | | | | | | | **कुल (ख2)** | **0** |
| | | | | | | | **कुल ख [ ख1 + ख2 ]** | **0** |

**अधिनियम के अनुसार सकल सीलिंग - प्रयोज्य नहीं [5]**

* वर्ष की समाप्ति के उपरांत, श्री आर.एन. सिंह, नामिती निदेशक ( रेल मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा नामित) ने कंपनी के बोर्ड में, 19 जून, 2019 से प्रभावी सेवा ग्रहण की।

**ग. <u>एम.डी. / प्रबंधक / पूर्णकालिक निदेशकों को छोडकर मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक</u>**

(रु. में)

| क्र.सं. | पारिश्रमिक का विवरण | मुक्य प्रबंधकीय कार्मिक<br>सुमिता शर्मा, कंपनी सचिव (संपूर्ण 2018-19 के दौरान) | कुल राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | सकल वेतन | | |
| क) | आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन | 24,54,661 | 24,54,661 |
| ख) | आयकर अधिनियम,1961 की धारा 17(2) के अनुसार परिलब्धियों का मूल्य | 3,51,905 | 3,51,905 |
| ग) | आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के तहत वेतन के बदले लाभ | 0 | 0 |
| 2 | स्टॉक विकल्प | 0 | 0 |
| 3 | उद्यम इक्विटी | 0 | 0 |
| 4 | कमीशन | 0 | 0 |
| 5 | अन्य, कृपया उल्लेख करें : | 0 | 0 |
| | **कुल (ग)** | **28,06,566** | **28,06,566** |

**अधिनियम के अनुसार सीलिंग - प्रयोज्य नहीं [5]**

## VII. शास्तियाँ / दंड / अपराधों का समाधान : कंपनी / निदेशक / चूककर्ता अन्य अधिकारीगण

| प्रकार | कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा | संक्षिप्त विवरण | शास्ति / दंड / प्रभारित समाधान शुल्क का विवरण | प्राधिकारी [आर.डी. /एन.सी.एल.टी. / न्यायालय] | किया गया अपील, यदि कोई हो (विवरण दें) |
|---|---|---|---|---|---|
| **कंपनी / निदेशक / चूककर्ता अन्य अधिकारीगण** --<br>शास्ति / दंड / समाधान | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं |

**<u>टिप्पणी:</u>**

1. कंपनी के सभी शेयरों को भौतिक रूप में रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, आपकी कंपनी ने बीटल फायनेंसियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (प्रा) लिमिटेड (बीटल) (कंपनी के आर.टी.ए. के रूप में) को नियुक्त किया और दिनांक 10 सितंबर 2018 को की गई (एम.सी.ए.) अधिसूचना के आलोक में, कंपनी के इक्विटी शेयरों के प्रमाणपत्रों को भौतिकता से दूर करने के प्राथमिक कदम के रूप में बीटल के माध्यम से नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एन. एस. डी. एल.) की जमा प्रणाली में अपने इक्विटी शेयरों को शामिल कराया (आई.एस.आई.एन. - INE04UB0107 के तहत्)।

   हालांकि, उसके बाद एम.सी.ए. ने 22 जनवरी 2019 को अपनी अधिसूचना के तहत्, सरकार की गैर-सूचीबद्ध कंपनियों को गैर-भौतिक रूप में प्रतिभूतियों को जारी करने के प्रावधानों से बाहर कर दिया और तदनुसार, आपकी कंपनी के बोर्ड ने 14 मार्च 2019 को आयोजित अपनी बैठक में, भौतिक रूप में इक्विटी शेयरों को जारी करने की स्थिति को बनाए रखने और बीटल तथा एन.एस.डी.एल. की सेवाओं के समापन का निर्णय लिया और तदनुसार वर्ष 2018-19 के दौरान एन.एस.डी.एल. और बीटल की सेवाओं का समापन कर दिया गया है।

2. 1000/- रु. प्रत्येक के 2,34,99,988 इक्विटी शेयर भारत के राष्ट्रपति के नाम रखे गए हैं और 1000/- रु. का एक-एक शेयर भारत के राष्ट्रपति द्वारा 12 मनोनीतों (जो कि रेल मंत्रालय के सरकारी अधिकारी हैं) के नाम पर रखे गए हैं।

3 यह कंपनी भारत सरकार, गुजरात सरकार और महाराष्ट्र सरकार के बीच, क्रमशः 50:25:25 के अनुपात में इक्विटी की सहभागिता वाले एक संयुक्त उपक्रम के रूप में गठित की गई है। कंपनी चूंकि अभी नवजात चरण में है, अतः जे.वी. साझेदारों / संरक्षकों से समय समय पर इक्विटी सहयोग प्राप्त किया जा रहा है।

4. एन.एच.एस.आर.सी.एल. के सभी शेयर, भारत के राष्ट्रपति तथा उनके 12 प्रत्याशियों के नाम पर केन्द्र सरकार के पास हैं (यानी 2,35,00,000 इक्विटी शेयर) और गुजरात के गवर्नर के नाम पर गुजरात सरकार के पास हैं (यानी 10,50,000 इक्विटी शेयर)।

5. कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय के द्वारा जारी दिनांक 5 जून 2015 की अधिसूचना के आलोक में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होती हैं।

**निदेशक मंडल की ओर से, उनके लिए**

| | |
|---|---|
| **हस्ता./-** | **हस्ता./-** |
| **(अरुण बिजलवान)** | **(अचल खरे)** |
| **निदेशक वित्त** | **प्रबंध निदेशक** |

**दिनांक : 05-08-2019**
**स्थान : नई दिल्ली**

**परिशिष्ट – 2**


# सी.एस. अनिल आनंद

(कंपनी सचिव इन प्रैक्टिस)

351, प्रकाश मोहल्ला, पूर्वी कैलाश, नई दिल्ली – 110065

फोन : +91-9873925927 ईमेल : csanilanand96@gmail.com


## सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट

**31मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए**

[**कंपनी अधिनियम की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम सं. 9 के आलोक में**]

सेवा में,

सदस्यगण,
नेशनल हाई स्पीड रेल कार्पोरेशन लिमिटेड
द्वितीय तल, एशिया भवन, सड़क सं. 205,
सेक्टर-9, द्वारका, दिल्ली – 110077

हमने, "नेशनल हाई स्पीड रेल कार्पोरेशन लिमिटेड" (एन.एच.एस.आर.सी.एल.) (यहाँ इसके उपरांत कंपनी के रूप में उल्लिखित) द्वारा प्रयोज्य सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा अच्छे कार्पोरेट प्रथाओं के पालन की सचिवीय लेखा-परीक्षा की है। लेखा-परीक्षा इस प्रकार से की गई, जिससे हमें कार्पोरेट आचरणों / सांविधिक अनुपालनों का आकलन करने और तदुपरांत हमें मंतव्य देने का एक तार्किक आधार प्राप्त हुआ।

पुस्तिकाओं, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, दाखिल किए प्रपत्रों तथा रिटर्नों तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित किए गए अन्य दस्तावेजों के हमारे सत्यापन और सचिवीय लेखा-परीक्षा के दौरान कंपनी, इसके अधिकारियों तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों के द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर, हम एतद् द्वारा यह रिपोर्ट करते हैं कि हमारे विचार में, कंपनी ने 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान, यहाँ निम्नानुसार सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का पूरी तरह से अनुपालन किया है और कंपनी के पास बोर्ड की समुचित विस्तृत प्रक्रियाएँ तथा अनुपालन-तंत्र अपेक्षित विस्तार तक और अपेक्षित रूप में मौजूद है तथा इसके उपरांत निम्नानुसार रिपोर्टिंग की जाती है।

हमने, 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए "नेशनल हाई स्पीड रेल कार्पोरेशन लिमिटेड" के द्वारा अनुरक्षित पुस्तिकाओं, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, दाखिल किए प्रपत्रों तथा रिटर्नों तथा अन्य दस्तावेजों का परीक्षण, निम्नलिखित के प्रावधानों के अनुरूप किया है। :

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा इसके अधीन बनाए गए अन्य नियमों;

हमने निम्नलिखित के प्रयोज्य उपबंधों के अनुपालन का भी परीक्षण किया है। :

(i) इंस्टीच्यूट ऑफ कंपनी सेकरेटरीज ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए गए सचिवीय मानक।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने उपरोक्त उल्लिखित अधिनियमों के प्रावधानों, नियमों, विनियमों और दिशा-निर्देशों, मानकों, इत्यादि का अनुपालन किया है।

**हम तदनुसार रिपोर्ट करते हैं कि :**

कंपनी के बोर्ड का गठन, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार विधिवत किया जाता है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स(निदेशक मंडल) की संरचना में हुए बदलाव, अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन के तहत किए गए थे।

बोर्ड की बैठकें नियत करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना प्रदान की जाती है और कार्यसूची तथा कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणी कम से कम सात दिन अग्रिम भेजे जाते थे और बैठक से पहले तथा बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए, कार्यसूची के मदों पर अधिक जानकारियों और स्पष्टीकरणों की माँग करने और उन्हें प्राप्त करने की एक प्रणाली मौजूद है।

पूरी तरह से रिकार्ड किए गए और अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित कार्यवृत्तों के अनुसार, बोर्ड के निर्णय एकमत से पारित हुए थे और असहमति वाला कोई विचार रिकार्ड नहीं किया गया है।

इसके अतिरिक्त हम यह रिपोर्ट करते हैं कि प्रयोज्य कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशा-निर्देशों पर नजर रखने और उनका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, कंपनी के आकार और इसके परिचालन के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ कंपनी में मौजूद हैं।

इसके अतिरिक्त हम यह रिपोर्ट करते हैं कि लेखा-परीक्षा की अवधि के दौरान, उपरोक्त संदर्भित कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशा-निर्देशों, इत्यादि के आलोक में इस प्रकार की कोई अन्य विशिष्ट घटना/कार्रवाई नहीं हुई थी, जिसका कंपनी के मामलों पर विशेष प्रभाव पड़े।

**हस्ता./-**
**अनिल आनंद**
**कंपनी सचिव इन प्रैक्टिस**
**ए.सी.एस.** : **10328; सी.पी.संख्या** : **11295**

**स्थान** : **नई दिल्ली**
**दिनांक** : **05-08-2019**

# सी.एस. अनिल आनंद

(कंपनी सचिव इन प्रैक्टिस)

351, प्रकाश मोहल्ला, पूर्वी कैलाश, नई दिल्ली – 110065

फोन : +91-9873925927 ईमेल : csanilanand96@gmail.com


सेवा में,

सदस्यगण,
नेशनल हाई स्पीड रेल कार्पोरेशन लिमिटेड
द्वितीय तल, एशिया भवन, सड़क सं. 205,
सेक्टर-9, द्वारका, दिल्ली - 110077

समसंख्यक तारीख के हमारे सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

**प्रबंधन का उत्तरदायित्व**

1. यह कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है कि वह सचिवीय दस्तावेजों का अनुरक्षण करे, सभी प्रयोज्य कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्रणाली स्थापित करे और यह भी सुनिश्चित करे कि वे प्रणालियाँ पर्याप्त हों और प्रभावी रूप में परिचालित हों।

**सचिवीय लेखा-परीक्षक का उत्तरदायित्व**

2. हमारा उत्तरदायित्व है कि हम इन सचिवीय दस्तावेजों, मानकों और सचिवीय अनुपालनों के संबंध में कंपनी द्वारा अपनाई गई कार्यविधियों पर अपना मंतव्य दें।

3. हमारा विश्वास है कि लेखा-परीक्षा के साक्ष्य तथा कंपनी के प्रबंधन से प्राप्त की गई सूचनाएँ, हमारे लिए पर्याप्त और समुचित हैं, जिससे हमें अपना मंतव्य देने का एक आधार प्राप्त हुआ है।

4. जहाँ भी अपेक्षित था, हमने कानूनों, नियमों तथा विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने, इत्यादि के बारे में प्रबंधन से प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

**अस्वीकरण**

5. यह सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का कोई आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावोत्पादकता का, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यकलापों को किया है।

**हस्ता./-**
**अनिल आनंद**
**कंपनी सचिव इन प्रैक्टिस**
**ए.सी.एस.** : **10328**; **सी.पी.संख्या** : **11295**

**स्थान** : **नई दिल्ली**
**दिनांक** : **05.08.2019**

# वित्तीय विवरण

**सहगल मेहता एंड कंपनी**
**चार्टर्ड अकाउंटेंट**
**10173/2, ब्लॉक नं. 15, अब्दुल अज़ीज़ रोड,**
**डब्ल्यू ई.ए., करोल बाग, नई दिल्ली -110005**
**फोन: 011-4506 4845, 4506 4846**
**ईमेल: sehgalmehta@hotmail.com;**
**sehgalmehta@gmail.com**

# लेखापरीक्षक का स्वतन्त्र प्रतिवेदन

**सेवा में,**
**मैसर्स नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यगण**
**इण्ड-एएस वित्तीय विवरणी का प्रतिवेदन**

**विचार / मत**

हमने मैसर्स नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("कम्पनी") की संलग्न इण्ड-एएस वित्तीय विवरणी की लेखा-परीक्षा की है जिसमें 31 मार्च, 2019 का तुलन-पत्र तथा लाभ एवं हानि की विवरणी (अन्य व्यापक आय सहित), उस समाप्त वर्ष के इक्विटी में परिवर्तन की विवरणी तथा नकद प्रवाह की विवरणी एवं महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना सहित वित्तीय विवरणी के नोट शामिल हैं। (इसके पश्चात इसे "इण्ड-एएस वित्तीय विवरणी" कहा जाता है)।

हमारे विचार से और हमारी पूर्ण जानकारी तथा हमें उपलब्ध कराई गयी व्याख्याओं के अनुसार कथित इण्ड-एएस वित्तीय विवरणी यथावांछित ढंग से कम्पनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") द्वारा वांछित सूचना प्रदान करती है और भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों की अनुरूपता में 31 मार्च, 2019 तक कम्पनी के मामलों की स्थिति का सत्य एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण तथा इस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु इसके लाभ, कुल व्यापक आय, इक्विटी तथा नकदी प्रवाह में परिवर्तनों को प्रस्तुत करती है।

**मत का आधार**

हमने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा संचालित की है। इन मानकों के तहत हमारे दायित्व हमारे प्रतिवेदन के वित्तीय विवरणी खण्ड के लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षक के दायित्वों में वर्णित हैं। हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया तथा अधिनियमों एवं उनके तहत नियमों के प्रावधानों के अधीन वित्तीय विवरणियों की अपनी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक अपेक्षित नैतिक वांछनीयताओं द्वारा निर्गत नैतिक संहिता के अनुसार कम्पनी से स्वतन्त्र हैं, और हमने इन अपेक्षाओं तथा नैतिक संहिताओं के अनुरूप अपने अन्य नैतिक दायित्वों का निर्वहन किया है। हमारा विश्वास है कि हमें जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त हुआ है वह पर्याप्त है और हमारी धारणा को उचित आधार प्रदान करता है।

**वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और शासन के प्रभारियों का दायित्व**

कम्पनी का निदेशक मण्डल इन इण्ड-एएस वित्तीय विवरणियों के परिप्रेक्ष्य में कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों हेतु उत्तरदायी है जो वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन सहित अन्य व्यापक आय, नकदी

प्रवाह तथा यथासंशोधित कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों (इण्ड एएस) के अनुरूप कम्पनी की इक्विटी में परिवर्तनों तथा भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों का सत्य एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।

इस उत्तरदायित्व में कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा हेतु अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप लेखांकन अभिलेखों का उचित रखरखाव तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं; उचित लेखांकन नीतियों का चयन तथा अनुप्रयोग; तर्कसंगत तथा विवेकपूर्ण निर्णयों एवं आन्कलनो का निर्माण; तथा सत्य एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करने वाले तथा जालसाजी अथवा त्रुटि के कारण तात्विक गलतबयानी से मुक्त इण्ड-एएस वित्तीय विवरणियों की तैयारी तथा प्रस्तुतीकरण के लिए प्रासंगिक लेखांकन अभिलेखों की शुद्धता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी ढंग से प्रचालन करने वाले पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की डिजाइन, क्रियान्वयन एवं रखरखाव भी शामिल हैं।

**वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व**

हमारा उद्देश्य तार्किक ढंग से यह आश्वासन प्राप्त करना है कि समग्र रूप से वित्तीय विवरणियाँ तात्विक गलतबयानी से मुक्त हैं चाहे वे जालसाजी के कारण हों या त्रुटि के, तथा एक लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन निर्गत करना है जिसमें हमारे विचार शामिल हों। तर्कपूर्ण आश्वासन उच्चस्तरीय आश्वासन है किन्तु यह इस बात की गारंटी नहीं है कि एसए के अनुरूप संचालित कोई लेखापरीक्षा सदैव अपने अस्तित्व में तात्विक गलतबयानी से मुक्त होगी। गलतबयानियाँ जालसाजी अथवा त्रुटि के कारण उत्पन्न हो सकती हैं और यदि ये वैयक्तिक या सामूहिक रूप से इन वित्तीय विवरणियों के आधार पर लिये गये उपयोक्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की सम्भावना से युक्त हो सकती हों तो उन्हें तात्विक माना जाता है।

एसए के अनुरूप लेखापरीक्षा के अंग के रूप में हम सम्पूर्ण लेखापरीक्षा में पेशेवर निर्णय लेते हैं और पेशेवर संशयवाद अनुरक्षित करते हैं। साथ ही हम :

- वित्तीय विवरणियों की तात्विक गलतबयानियों, चाहे वे जालसाजी अथवा त्रुटि के कारण हों, इन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी डिजाइन तथा लेखापरीक्षा प्रक्रिया के निष्पादन को चिन्हित और आंकलित करते हैं और उन लेखापरीक्षा साक्ष्यों को प्राप्त करते हैं जो हमारी धारणा के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त एवं उचित हैं। किसी जालसाजी के परिणामस्वरूप किसी तात्विक गलतबयानी को न पहचानने का जोखिम त्रुटि के कारण उत्पन्न गलतबयानी से अधिक होता है क्योंकि जालसाजी में साठ-गाँठ, दुरभिसन्धि, इरादतन विलोपन, गलत प्रस्तुतीकरण अथवा आन्तरिक नियन्त्रण का अधिभाव शामिल होता है।
- परिस्थितियों के अनुरूप उचित लेखापरीक्षा प्रक्रिया के आरेखण के लिए लेखापरीक्षा हेतु प्रासंगिक आन्तरिक नियन्त्रण की जानकारी प्राप्त करते हैं। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के तहत कम्पनी के पास उचित आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण तन्त्र है या नहीं तथा ऐसे नियन्त्रणों के प्रचालन की प्रभावकता कितनी है, इस पर हम विचारों को व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी हैं।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों के औचित्य तथा प्रबन्धन द्वारा निर्मित लेखांकन आन्कलनो तथा सम्बद्ध प्रकटनों के औचित्य का मूल्यांकन करते हैं।

- प्रबन्धन द्वारा लेखांकन के जारी आधारों के औचित्य तथा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर, कि घटनाओं अथवा दशाओं से सम्बद्ध कोई ऐसी तात्विक अनिश्चितता विद्यमान है या नहीं जो जारी संस्था के रूप में कम्पनी की क्षमता पर सार्थक सन्देह उत्पन्न कर सकती है, की समीक्षा करते हैं। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि तात्विक अनिश्चितता विद्यमान है तो हम वित्तीय विवरणियों में सम्बद्ध प्रकटनों के लिए अपने लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में ध्यान आकर्षित करते हैं अथवा यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं तो अपने विचारों में संशोधन करते हैं। हमारे निष्कर्ष अपने लेखापरीक्षक के अद्यतनीकृत प्रतिवेदन से प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर आधारित होते हैं। किन्तु भावी घटनाएँ अथवा दशाएँ कम्पनी को जारी संस्था के रूप में अवरुद्ध कर सकती हैं।
- प्रकटनों सहित वित्तीय विवरणियों के समग्र प्रस्तुतीकरण, संरचना तथा विषय सामग्री एवं वित्तीय विवरणियाँ निहित लेन-देन तथा घटनाओं का प्रतिनिधित्व इस ढंग से करती हैं या नहीं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण हासिल किया जा सके, का मूल्यांकन करते हैं।

हम उन लोगों से सम्पर्क करते हैं जो अन्य मामलों के साथ-साथ लेखापरीक्षा के सुनियोजित क्षेत्र तथा समय एवं सार्थक लेखापरीक्षा अन्वेषणों और उस आन्तरिक नियन्त्रण में किसी उस सार्थक दोष से सम्बद्ध प्रशासन के लिए प्रभारित हैं जिन्हें हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान चिह्नित करते हैं।

साथ ही हम प्रशासन से प्रभारित लोगों को विवरणी भी उपलब्ध कराते हैं कि हमने निष्पक्षता से सम्बन्धित प्रासंगिक नैतिक वांछनीयताओं का अनुपालन किया है और उन्हें उन सम्पूर्ण सम्बन्धों एवं अन्य मामलों की सूचना प्रदान करते हैं जिन्हें तार्किक ढंग से हमारी निष्पक्षता का निर्वहन माना जाता है और जहाँ प्रयोज्य हो सम्बद्ध सावधानियाँ बरती जाती हैं।

**अन्य वैधानिक तथा विनियामक अपेक्षाओं का प्रतिवेदन**

1. भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों की वांछनीयता के अनुसार अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा (5) के सन्दर्भ में हम "संलग्नक-ए" में अनुपालन उपलब्ध कराते हैं।

2. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा (11) के सन्दर्भ में भारत की केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत यथासंशोधित कम्पनी (लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन) आदेश, 2016 ("आदेश") द्वारा अपेक्षित के अनुसार हम प्रयोज्य सीमा तक आदेश के पैराग्राफ 3 एवं 4 में निर्दिष्ट मामलों का विवरण "संलग्नक बी" में उपलब्ध कराते हैं।

3. अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित के अनुसार हम प्रतिवेदन करते हैं कि :
   a) हमने उन समस्त सूचनाओं को देखा और प्राप्त किया है जो हमारे पूर्ण संज्ञान तथा धारणा के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थे;

   b) हमारे विचार से विधि द्वारा अपेक्षित के अनुसार लेखांकन पुस्तकों को कम्पनी द्वारा इस प्रकार उचित ढंग तैयार किया गया है कि ये पुस्तकें की हमारे परीक्षण के अनुरूप प्रतीत होती हैं;

   c) अन्य व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण तथा इस प्रतिवेदन में नकदी प्रवाह के विवरण सहित तुलन पत्र लेखा पुस्तकों की वांछनीयता के अनुरूप हैं।

d) हमारे विचार में, कथित इण्ड-एएस वित्तीय विवरणियाँ, अधिनियम की धारा 133 जो इसके तहत निर्गत प्रासंगिक नियमों के साथ पठित है, के अधीन निर्धारित भारतीय लेखांकन मानक के अनुरूप हैं।

e) 31 मार्च, 2019 को निदेशकों से प्राप्त तथा निदेशक मण्डल द्वारा अभिलिखित से प्राप्त लिखित प्रतिनिधानों के आधार पर 31 मार्च, 2019 तक अधिनियम की धारा 164(2) के सन्दर्भ में निदेशक के रूप में नियुक्त निदेशकों में से कोई भी निदेशक अयोग्य नहीं है।

f) वित्तीय प्रतिवेदन पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की प्रचुरता तथा ऐसे नियन्त्रणों की प्रचालनात्मक प्रभावकता के सन्दर्भ के लिए "संलग्नक सी" में हमारा अलग प्रतिवेदन देखें। हमारा प्रतिवेदन वित्तीय प्रतिवेदन पर कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की उपयुक्तता तथा प्रचालनात्मक प्रभावकता को प्रदर्शित करता है। तथा

g) यथासंशोधित अधिनियम की धारा 197(16) की वांछनीयता के अनुसार लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल किये जाने वाले अन्य मामलों के परिप्रेक्ष्य में :

हमारे विचार से और हमारी सर्वोत्तम सूचना तथा हमें प्रदत्त व्याख्याओं के अनुसार, वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा अपने निदेशकों को प्रदत्त पारिश्रमिक अधिनियम की धारा 197 के प्रावधानों के अनुरूप है।

h) कम्पनी (लेखापरीक्षा तथा लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुरूप लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल किये जाने वाले अन्य मामलों के परिप्रेक्ष्य में, हमारे विचार तथा हमारी सर्वोत्तम सूचना एवं हमें प्रदत्त व्याख्याओं के अनुसार :

i. कम्पनी ने अपने इण्ड-एएस वित्तीय विवरणियों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लम्बित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटन किया है-वित्तीय विवरणियों के सन्दर्भ 32 का सन्दर्भ लें;
ii. कम्पनी ने व्युत्पन्न अनुबन्धों, जिसके लिए कोई तात्विक पूर्वानुमानित क्षतियाँ थीं, सहित कम्पनी के पास कोई दीर्घकालिक अनुबन्ध नहीं है।
iii. कम्पनी द्वारा निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि में कोई राशि अन्तरित करने की आवश्यकता नहीं थी।

**कृते सहगल मेहता एण्ड कं.**
**चार्टर्ड एकाउण्टेंट**
**एफआरएन-003330N**
**हस्ता./-**
**(सीए पंकज कुमार गोयल)**
**साझेदार**
**एम. सं. 515717**

**स्थान : नई दिल्ली**
**दिनांक : 5 अगस्त, 2019**
**यू डी आ इ ए न : 1 9 5 1 5 7 1 7 A A A A B P 3 9 7 5**

**सहगल मेहता एंड कंपनी**
**चार्टर्ड अकाउंटेंट**
**10173/2, ब्लॉक नं. 15, अब्दुल अज़ीज़ रोड,**
**डब्ल्यू ई.ए., करोल बाग, नई दिल्ली -110005**
**फोन: 011-4506 4845, 4506 4846**
**ईमेल: sehgalmehta@hotmail.com;**
**sehgalmehta@gmail.com**

**स्वतन्त्र लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन का "संलग्नक ए"**

स्वतन्त्र लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन का संलग्नक, 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की अब तक के वित्तीय विवरणियों के हमारे प्रतिवेदन के "अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षा का प्रतिवेदन" शीर्षक के तहत पैराग्राफ 1 में सन्दर्भित है :

| **क्रम सं.** | **निर्देश** | **लेखापरीक्षक के उत्तर** |
|---|---|---|
| (i) | क्या कम्पनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से समस्त लेखांकन लेन-देन की प्रक्रिया की कोई प्रणाली है? यदि हाँ, तो वित्तीय निहितार्थों, यदि कोई हो, सहित लेखांकन की निष्पक्षता पर आईटी प्रणाली से इतर लेखांकन लेन-देनों की प्रक्रिया के निहितार्थों का उल्लेख करें। | कम्पनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से समस्त लेखांकन लेन-देन की प्रक्रिया हेतु प्रणाली है। समस्त लेखांकन लेन-देन आईटी प्रणाली के माध्यम से संचालित होते हैं और लेखांकनों की निष्पक्षता के लिए कोई वित्तीय निहितार्थ नहीं है। |
| (ii) | क्या ऋण के पुनर्भुगतान के लिए कम्पनी की अक्षमता के कारण ऋणदाता द्वारा ऋणों/कर्जों/ब्याज आदि की मुक्ति/बट्टे खाते में डालने के मामले अथवा वर्तमान ऋण का कोई पुनर्गठन है? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव का उल्लेख किया जाये। | वर्तमान में कम्पनी द्वारा कोई ऋण नहीं लिया गया है अत: ऋण या कर्ज या ब्याज आदि के पुनर्गठन, मुक्ति अथवा बट्टे-खाते में डालने का कोई मामला नहीं है। |
| (iii) | क्या केन्द्र / राज्य एजेन्सियों से विशिष्ट योजनाओं हेतु प्राप्त की गयी/प्राप्ति योग्य निधियाँ उसके नियम तथा शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखाबद्ध कियी गयी/उपयोग में लायी गयीं? विचलन के मामलों का उल्लेख करें। | नहीं, वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान केन्द्र/राज्य एजेन्सियों से किसी विशिष्ट योजना हेतु कोई निधि नहीं ग्रहण की गयी। अत: अदायगी के नियम और शर्तों के अनुसार इस प्रकार प्राप्त निधियों के लेखांकन / उपयोग की कोई प्रयोज्यता नहीं है। |

**कृते सहगल मेहता एण्ड कं.**
**चार्टर्ड एकाउण्टेंट**
**एफआरएन-003330N**
**हस्ता./-**
**(सीए पंकज कुमार गोयल)**
**साझेदार**
**एम. सं. 515717**

**स्थान : नई दिल्ली**
**दिनांक : 5 अगस्त, 2019**
**यू डी आ इ ए न : 1 9 5 1 5 7 1 7 A A A A B P 3 9 7 5**

**स्वतन्त्र लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन का "संलग्नक बी"**

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु कम्पनी के अब तक के वित्तीय विवरणियों के हमारे प्रतिवेदन के "अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षा का प्रतिवेदन" शीर्षक के तहत पैराग्राफ 2 में सन्दर्भित :

1) (a) कम्पनी ने परिमाणात्मक विवरणों तथा अचल परिसम्पत्तियों की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए अभिलेखों को उचित रूप से अनुरक्षित किया है;

(b) कम्पनी के पास चरणबद्ध ढंग से अचल परिसम्पत्तियों की सभी मदों को कवर करने के लिए सत्यापन का एक कार्यक्रम है जो हमारे विचार से कम्पनी के आकार तथा इसकी परिसम्पत्तियों की प्रकृति के सन्दर्भ में तर्कसंगत है। कार्यक्रम के अनुसार वर्ष के दौरान प्रबन्धन द्वारा कुछ अचल सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया था। हमे प्रदत्त सूचना तथा व्याख्याओं के अनुसार ऐसे सत्यापनों पर कोई तात्विक अनियमितता नहीं प्रतीत हुई।

(c) हमें प्रदत्त सूचना तथा व्याख्या के अनुसार हमारे द्वारा परीक्षित अभिलेख तथा हमें उपलब्ध कराये गये संप्रेषण विलेख/पंजीकृत विक्रय विलेख के आधार पर हम प्रतिवेदित करते हैं कि विभिन्न राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में कम्पनी के नाम पर पंजीकृत की जाने वाली निम्नलिखित भूमियाँ तथा भवन अधिगृहीत किये गये :

| **1. गुजरात तथा दादरा नगर एवं हवेली राज्य में** | |
|---|---|
| **विवरण** | **भूमि का अपंजीकृत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)** |
| सरकारी भूमियों के अतिरिक्त अन्य पक्षों से अर्जित भूमि | 174.2647 |
| सरकार / वन भूमि से अर्जित भूमि | 39.7924 |
| **2. महाराष्ट्र राज्य में** | |
| **विवरण** | **भूमि का अपंजीकृत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)** |
| सरकार / वन भूमि से अर्जित भूमि | 26.8611 |

विभिन्न राज्यों में/भारतीय रेलवे से पट्टे पर ली गयी भूमियों तथा भवनों की निम्नलिखित अचल सम्पत्तियों के परिप्रेक्ष्य में कम्पनी के नाम से पट्टा अनुबन्ध किया जाना शेष है।

| **1. महाराष्ट्र राज्य में** | |
|---|---|
| **विवरण** | **भूमि का अपंजीकृत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)** |
| सरकार/वन भूमि से अर्जित भूमि | 3.6946 |
| **2. भारतीय रेलवे से अर्जित भूमि** | |
| **विवरण** | **भूमि का अपंजीकृत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)** |
| भारतीय रेलवे से अर्जित भूमि | 127.50 |

2) निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रिया तथा प्रबन्धन द्वारा हमें प्रदत्त सूचना तथा व्याख्याओं के आधार पर कम्पनी के पास वर्ष के दौरान समीक्षाधीन कोई इन्वेंट्री नहीं है। तदनुसार, आदेश के खण्ड 3(ii) का प्रावधान कम्पनी के लिए प्रयोज्य नहीं है अत: इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गयी है;

3) कम्पनी ने अधिनियम की धारा 189 के तहत अनुरक्षित रजिस्टर में दर्ज कम्पनियों, फर्मों, सीमित देयता साझेदारियों अथवा अन्य पक्षों को किसी प्रकार का जमानती या गैर-जमानती ऋण नहीं अनुदानित किया है। तदनुसार, आदेश के खण्ड 3(iii) (a) से (c) तक के प्रावधान कम्पनी के लिए प्रयोज्य नहीं हैं अत: इन पर टिप्पणी नहीं की गयी है;

4) हमारे विचार से तथा हमें प्रदत्त सूचना और व्याख्याओं के अनुसार कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 तथा 186 के प्रावधानों के अनुसार कोई ऋण नहीं अनुदानित किया है अथवा न कोई गारंटी प्रदान की है अथवा न कोई प्रतिभूति प्रदान की है अथवा न कोई निवेश किया है। तदनुसार आदेश का पैराग्राफ 3(iv) प्रयोज्य नहीं है।

5) कम्पनी ने जनता से कोई जमाएँ नहीं स्वीकार की हैं अत: भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गत निर्देश तथा धारा 73 से 76 तक के प्रावधान अथवा अधिनियम के अन्य प्रासंगिक प्रावधान और जनता से स्वीकृत जमाओं के सन्दर्भ सहित कम्पनी (जमा स्वीकरण) नियम, 2015 के प्रावधान प्रयोज्य नहीं हैं।

6) कि केन्द्र सरकार ने कम्पनी की गतिविधियों के परिप्रेक्ष्य में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की धारा (1) के तहत लागत अभिलेखों का रखरखाव निर्धारित नहीं किया है।

7) (a) सूचना तथा हमें प्रदत्त व्याख्याओं के अनुसार तथा लेखा पुस्तकों और अभिलेखों के हमारे परीक्षण के आधार पर कम्पनी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, सेवा कर, माल एवं सेवा कर तथा उचित प्राधिकरणों के अन्य विधिक बकायों सहित अविवादित विधिक बकायों को जमा करने में सामान्यत: नियमित रही है। सूचना तथा हमे प्रदत्त व्याख्याओं के अनुसार 31 मार्च, 2019 तक देयता तिथि से छ: माह से अधिक अवधि हेतु बकायों में उपर्युक्त के सन्दर्भ में कोई अविवादित राशि देय नहीं है।

(b) हमें प्रदत्त सूचना तथा व्याख्याओं के अनुसार किसी विवाद के कारण कोई आयकर, सेवा कर, माल एवं सेवा कर बकाया नहीं है।

8) कम्पनी ने किसी वित्तीय संस्थान अथवा सरकार से कोई ऋण नहीं लिया है और न ही कोई ऋणपत्र निर्गत किया है। तदनुसार, आदेश के खण्ड 3(viii) के प्रावधान कम्पनी के लिए प्रयोज्य नहीं हैं अत: इन पर कोई टिप्पणी नहीं की गयी है।

9) निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं तथा प्रबन्धन द्वारा प्रदत्त सूचना तथा व्याख्याओं के आधार पर कम्पनी ने ऋण विलेख तथा सावधि ऋणों सहित प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव अथवा पुन: सार्वजनिक प्रस्ताव के माध्यम से धन की उगाही नहीं की है। तदनुसार आदेश के खण्ड 3(ix) के प्रावधान कम्पनी के लिए प्रयोज्य नहीं हैं अत: इन पर टिप्पणी नहीं की गयी है।

10) निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं तथा प्रबन्धन द्वारा प्रदत्त सूचना तथा व्याख्याओं के आधार पर हम प्रतिवेदित करते हैं कि कम्पनी ने वर्ष के दौरान कोई जालसाजी नहीं की है अथवा इसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कम्पनी के प्रति किसी जालसाजी की सूचना या प्रतिवेदन ही प्राप्त हुआ है।

11) सरकारी कम्पनी होने के नाते प्रबन्धकीय पारिश्रमिक से सम्बद्ध धारा 197 तथा कम्पनी अधिनियम की अनुसूची V कम्पनी पर प्रयोज्य नहीं है।

12) हमारे विचार में, कम्पनी कोई निधि कम्पनी नहीं है। अत: आदेश का खण्ड 3(xii) कम्पनी के लिए प्रयोज्य नहीं है इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं की गयी है।

13) हमें प्रदत्त सूचना तथा व्याख्याओं के अनुसार तथा कम्पनी के अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर सम्बद्ध पक्षों से लेन-देन यथाप्रयोज्य अधिनियम की धारा 177 तथा 188 के अनुपालन में हैं और ऐसे लेन-देनों का विवरण प्रयोज्य लेखा मानकों द्वारा वांछित के अनुसार इण्ड-एएस वित्तीय विवरण में प्रकटित किये गये हैं।

14) निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रिया तथा प्रबन्धन द्वारा प्रदत्त सूचना तथा व्याख्याओं के आधार पर, कम्पनी ने वर्ष के दौरान समीक्षा के अधीन कोई अधिमान्य आवंटन या शेयरों या पूर्ण अथवा आंशिक ऋणपत्रों का निजी अवस्थापन नहीं किया है। तदनुसार आदेश के खण्ड 3(xiv) के प्रावधान कम्पनी के लिए प्रयोज्य नहीं हैं अत: इस पर टिप्पणी नहीं की गयी है।

15) निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रिया तथा प्रबन्धन द्वारा प्रदत्त सूचना तथा व्याख्याओं के आधार पर, कम्पनी ने निदेशकों या उनसे सम्बद्ध व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकदी लेन-देन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खण्ड 3(xv) के प्रावधान कम्पनी के लिए प्रयोज्य नहीं हैं अत: इस पर टिप्पणी नहीं की गयी है।

16) हमें प्रदत्त सूचना तथा व्याख्याओं के अनुसार तथा कम्पनी अभिलेखों के हमारे परीक्षण के आधार पर कम्पनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-IA के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है, तदनुसार, आदेश के खण्ड 3(xvi) के प्रावधान कम्पनी के लिए प्रयोज्य नहीं हैं अत: इस पर टिप्पणी नहीं की गयी है।

**कृते सहगल मेहता एण्ड कं.**
चार्टर्ड एकाउण्टेंट
**एफआरएन-003330N**
**हस्ता./-**
**(सीए पंकज कुमार गोयल)**
**साझेदार**
**एम. सं. 515717**

**स्थान : नई दिल्ली**
**दिनांक : 5 अगस्त, 2019**
**यू डी आ इ ए न : 1 9 5 1 5 7 1 7 A A A A B P 3 9 7 5**

**स्वतन्त्र लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन का "संलग्नक सी"**

(नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को हमारे समतिथि प्रतिवेदन के खण्ड 'अन्य विधिक तथा विनियामक अपेक्षाओं का प्रतिवेदन' के तहत पैराग्राफ 3(f) के लिए सन्दर्भित)

**कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा 3 के खण्ड (i) के तहत आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों का प्रतिवेदन।**

हमने इस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु कम्पनी के वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा के संयोजन में 31 मार्च, 2019 को मैसर्स नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("कम्पनी") के वित्तीय प्रतिवेदन पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की लेखापरीक्षा की।

**आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों हेतु प्रबन्धन के उत्तरदायित्व**

कम्पनी का निदेशक मण्डल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स ऑफ इण्डिया द्वारा निर्गत वित्तीय प्रतिवेदन पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की लेखापरीक्षा के दिशा-निर्देश नोट में उल्लिखित आन्तरिक नियन्त्रण के अनिवार्य घटकों को ध्यान में रखते हुए कम्पनी द्वारा संस्थापित वित्तीय प्रतिवेदन मानदण्ड के अनुरूप आन्तरिक नियन्त्रण पर आधारित आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की संस्थापना तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में अपने प्रकार्यों के व्यवस्थित तथा कुशलतापूर्वक संचालन को सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी रूप से प्रचालित उचित आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की रूपरेखा, क्रियान्वयन तथा रखरखाव, अपनी परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, जालसाजी तथा त्रुटियों की रोकथाम एवं अनुसंधान, लेखा अभिलेखों की शुद्धता तथा पूर्णता और कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय सूचना की समयबद्ध तैयारी सम्मिलित है।

**लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व**

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदन से सम्बन्धित आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों पर अपने विचार व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखा परीक्षा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स ऑफ इण्डिया द्वारा निर्गत वित्तीय प्रतिवेदन सम्बन्धी आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की लेखापरीक्षा के दिशा-निर्देश नोट ("दिशा-निर्देश नोट") तथा आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की लेखापरीक्षा के लिए प्रयोज्य सीमा तक कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(1) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार संचालित की है। इन मानकों तथा दिशा-निर्देश नोट के अनुसार अपेक्षित है कि हम नैतिक वांछनीयताओं का अनुपालन करें और तर्कपूर्ण आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना और निष्पादन करें कि वित्तीय प्रतिवेदन में पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों को संस्थापित और अनुरक्षित किया गया है या नहीं और समस्त तात्विक पक्षों में इन नियन्त्रणों का प्रभावी प्रचालन किया गया है या नहीं।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय प्रतिवेदनों में आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण प्रणाली की पर्याप्तता के विषय में लेखापरीक्षा साक्ष्य तथा उनकी प्रचालनात्मक प्रभावकता प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रिया सम्मिलित है। वित्तीय प्रतिवेदन में आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय प्रतिवेदन पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की जानकारी प्राप्त करना, किसी तात्विक दुर्बलता की उपस्थिति के जोखिम का आन्कलन करना तथा आंकलित जोखिम के आधार पर आन्तरिक नियन्त्रण की रूपरेखा तथा प्रचालनात्मक प्रभावकता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएँ जालसाजी अथवा त्रुटि के कारण इण्ड-एएस वित्तीय विवरणियों की तात्विक गलतबयानी के जोखिम आन्कलन सहित लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित होता है।

हमारा विश्वास है कि हमें जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वे पर्याप्त हैं और वित्तीय प्रतिवेदन पर कम्पनी की आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा के निष्कर्ष हेतु आधार प्रदान करने के लिए उचित हैं।

**वित्तीय प्रतिवेदन पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों का अर्थ**

किसी कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदन पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार वित्तीय प्रतिवेदन की विश्वसनीयता तथा बाह्य उद्देश्यों हेतु वित्तीय विवरणियों की तैयारी से सम्बद्ध विवेकपूर्ण आश्वासन उपलब्ध करने के लिए निर्मित एक प्रक्रिया है। कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदन पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण में वे नीतियाँ तथा प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो :

1) विवेकपूर्ण ढंग से उन अभिलेखों के अनुरक्षण से सम्बद्ध हैं जो कम्पनी की परिसम्पत्तियों के लेन-देन तथा व्ययन को शुद्ध तथा निष्पक्ष ढंग से प्रदर्शित करते हैं;
2) विवेकपूर्ण आश्वासन उपलब्ध कराते हैं कि लेन-देन सर्वमान्य लेखा सिद्धान्तों के अनुरूप इण्ड-एएस वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति के लिए अनिवार्य रूप से अभिलेखित हैं और कि कम्पनी की प्राप्तियाँ तथा व्यय केवल कम्पनी के प्रबन्धन तथा निदेशकों के प्राधिकार के अनुरूप तैयार किये जा रहे हैं; तथा
3) कम्पनी की परिसम्पत्तियों के अनाधिकृत उपयोग अथवा व्ययन की रोकथाम या समयबद्ध अनुसंधान के सम्बन्ध में विवेकपूर्ण आश्वासन प्रदान करते हैं जो इण्ड-एएस वित्तीय विवरणों पर तात्विक प्रभाव डाल सकते हैं।

**वित्तीय प्रतिवेदन पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की सीमाएँ**

नियन्त्रणों की सम्भावना दुरभिसन्धि अथवा अधिभावी अनुचित प्रबन्धन सहित वित्तीय प्रतिवेदन पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की सहज सीमाओं के कारण त्रुटि या जालसाजी के चलते तात्विक गलतबयानी उपस्थित हो सकती है और इसकी पहचान करना सम्भव नहीं होता है। साथ ही भावी अवधियों के लिए वित्तीय प्रतिवेदन पर आन्तरिक नियन्त्रणों के किसी मूल्यांकन का आन्कलन इस जोखिम पर निर्भर है कि दशाओं में परिवर्तन के कारण अथवा नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की मात्रा के अपकर्ष के कारण वित्तीय प्रतिवेदन पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण अपर्याप्त हो सकते हैं।

**मत / विचार**

हमारी धारणा के अनुसार समस्त तात्विक परिप्रेक्ष्य में कम्पनी के पास वित्तीय प्रतिवेदन पर पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण प्रणाली है और वित्तीय प्रतिवेदन पर ऐसे आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण 31 मार्च, 2019 तक कुशलतापूर्वक प्रचालित थे, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स ऑफ इण्डिया द्वारा निर्गत वित्तीय प्रतिवेदन पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की लेखापरीक्षा के दिशा-निर्देश नोट में उल्लिखित आन्तरिक नियन्त्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कम्पनी द्वारा संस्थापित वित्तीय प्रतिवेदन मानदण्ड के आन्तरिक नियन्त्रण पर आधारित थे।

**कृते सहगल मेहता एण्ड कं.**
चार्टर्ड एकाउण्टेंट
**एफआरएन-003330N**
**हस्ता./-**
**(सीए पंकज कुमार गोयल)**
**साझेदार**
**एम. सं. 515717**

**स्थान : नई दिल्ली**
**दिनांक : 5 अगस्त, 2019**
**यू डी आ इ ए न : 1 9 5 1 5 7 1 7 A A A A B P 3 9 7 5**

## नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

### 31 मार्च, 2019 का तुलन पत्र

राशि (रु. लाख में)

| | विवरण | नोट सं. | 31 मार्च, 2019 को | 31 मार्च, 2018 को |
|---|---|---|---|---|
| I. | **सम्पत्तियां** | | | |
| 1 | **गैर-चालू सम्पत्तियां** | | | |
| | (a) सम्पत्ति, संयन्त्र तथा उपकरण | 3 | 1,365.20 | 572.89 |
| | (b) जारी पूँजीगत कार्य | 4 | 61,788.80 | 8,765.90 |
| | (c) अमूर्त आस्तियाँ | 5 | 146.74 | 28.58 |
| | (d) वित्तीय आस्तियाँ | 6 | | |
| | (i) ऋण | 6.1 | 287.56 | 181.14 |
| | (e) आस्थगित कर आस्तियाँ (निबल) | 7 | 62.90 | 32.59 |
| | (f) अन्य गैर-चालू आस्तियाँ | 8 | 1,71,457.46 | 6,605.74 |
| | | | 2,35,108.66 | 16,186.84 |
| 2 | **चालू सम्पत्तियां** | | | |
| | (a) वित्तीय आस्तियाँ | 9 | | |
| | (i) नकदी तथा नकदी समतुल्य | 9.1 | 55,278.36 | 9,823.25 |
| | (ii) उपर्युक्त (i) के अतिरिक्त बैंक शेष | 9.2 | 32,300.00 | 40,838.44 |
| | (iii) ऋण | 9.3 | 109.50 | 40.39 |
| | (iv) अन्य | 9.4 | 1,978.86 | 2,296.31 |
| | (b) अन्य चालू आस्तियाँ | 10 | 1,000.80 | 69.19 |
| | (c) वर्तमान कर आस्तियाँ (निबल) | 19 | 224.84 | - |
| | | | 90,892.36 | 53,067.58 |
| | **कुल सम्पत्तियां** | | **3,26,001.02** | **69,254.42** |
| II. | **इक्विटी तथा दायित्व** | | | |
| 1 | **इक्विटी** | | | |
| | (a) इक्विटी शेयर पूँजी | 11 | 2,45,500.00 | 65,500.00 |
| | (b) अन्य इक्विटी | 12 | 66,947.63 | 2,518.64 |
| | | | 3,12,447.63 | 68,018.64 |
| 2 | **दायित्व** | | | |
| (i) | **गैर-चालू दायित्व** | | | |
| | (a) वित्तीय दायित्व | 13 | | |
| | (i) अन्य | 13.1 | 10,012.78 | 4.95 |
| | (b) अन्य गैर-चालू दायित्व | 14 | 0.99 | 0.02 |
| | (c) प्रावधान | 15 | 250.59 | 18.75 |
| | | | 10,264.36 | 23.72 |
| (ii) | **वर्तमान दायित्व** | | | |
| | (a) वित्तीय दायित्व | 16 | | |
| | (i) अन्य | 16.1 | 2,819.18 | 1,009.21 |
| | (b) अन्य चालू दायित्व | 17 | 447.92 | 144.36 |
| | (c) प्रावधान | 18 | 21.93 | 1.42 |
| | (d) वर्तमान कर दायित्व (निबल) | 19 | - | 57.07 |
| | | | 3,289.03 | 1,212.06 |
| | **कुल इक्विटी तथा दायित्व** | | **3,26,001.02** | **69,254.42** |

| | |
|---|---|
| सामान्य सूचना | 1 |
| प्रमुख लेखांकन नीतियों का सारांश | 2 |
| वित्तीय विवरण निर्मित करने वाले भाग के नोट | 1 to 38 |

यह हमारे संलग्न अद्यतनीकृत प्रतिवेदन में सन्दर्भित तुलन पत्र है।

**कृते सहगल मेहता एण्ड कं.**
**चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स**
एफआरएन : 003330N
**हस्ता./-**
**साझेदार : सीए पंकज कुमार गोयल**
**एम. सं. : 515717**

**स्थान : नई दिल्ली**
**तिथि : 05-08-2019**

**निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से**

| **हस्ता./-** | **हस्ता./-** | **हस्ता./-** |
|---|---|---|
| **अचल खरे** | **अरुण बिजलवान** | **सुमिता शर्मा** |
| **प्रबन्ध निदेशक** | **निदेशक वित्त** | **कम्पनी सचिव** |
| **डीआईएन : 07576351** | **डीआईएन : 08012372** | **एम सं. : FCS5250** |

## नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

### 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि विवरण

राशि (लाख में)

| | विवरण | नोट सं. | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|---|---|
| I. | प्रचालनों से राजस्व | | - | - |
| II | अन्य आय | 20 | 6,827.37 | 2,964.24 |
| III | **कुल राजस्व (I+II)** | | **6,827.37** | **2,964.24** |
| | **व्यय** | | | |
| | कर्मचारी लाभ व्यय | 21 | 175.67 | 61.23 |
| | मूल्य ह्रास तथा परिशोधन व्यय | 22 | 10.73 | 2.99 |
| | अन्य व्यय | 23 | 345.80 | 116.01 |
| IV | **कुल व्यय (IV)** | | **532.20** | **180.23** |
| V | **असाधारण मदों तथा कर पूर्व लाभ (III - IV)** | | **6,295.17** | **2,784.02** |
| VI | असाधारण मदें | | - | - |
| VII | **कर पूर्व लाभ (V - VI)** | | **6,295.17** | **2,784.02** |
| VIII | कर व्यय: | | | |
| | (1) वर्तमान कर | 24 | 1,715.48 | 815.10 |
| | (2) आस्थगित कर | | (30.10) | 26.29 |
| IX | **चालू प्रचालनों से अवधि हेतु लाभ/(हानि) (VII-VIII)** | | **4,609.79** | **1,942.62** |
| X | असतत प्रचालनों से लाभ/(हानि) | | - | - |
| XI | असतत प्रचालनों का कर व्यय | | - | - |
| XII | असतत प्रचालनों से लाभ/(हानि) (X - XI) | | - | - |
| XIII | **अवधि हेतु लाभ/(हानि) (IX + XII)** | | **4,609.79** | **1,942.62** |
| XIV | **अन्य व्यापक आय** | | | |
| | A. (i) लाभ अथवा हानि में पुन: वर्गीकृत होने वाली मदें | | - | - |
| | (ii) लाभ अथवा हानि में पुन: वर्गीकृत होने वाली मदों से सम्बद्ध आय कर | | - | - |
| | B. (i) लाभ अथवा हानि में पुन: वर्गीकृत न होने वाली मदें | 25 | (0.68) | - |
| | (ii) लाभ अथवा हानि में पुन: वर्गीकृत न होने वाली मदों से सम्बद्ध आय कर | 25 | 0.20 | - |
| XV | **अवधि हेतु कुल व्यापक आय (XIII+XIV) (अवधि हेतु लाभ (हानि) एवं अन्य व्यापक आय)** | | **4,609.31** | **1,942.62** |
| XVI | **प्रति इक्विटी शेयर आय (अंकित मूल्य रु 1,000 प्रति शेयर)** | | | |
| | (सतत प्रचालन हेतु) | | | |
| | (1) मूल (रु. में) | 26 | 40.92 | 42.35 |
| | (2) डाइल्यूटेड (रु. में) | 26 | 40.92 | 42.35 |
| XVII | **आय प्रति इक्विटी शेयर :** | | | |
| | (असतत प्रचालन हेतु) | | | |
| | (1) बेसिक (रु. में) | | - | - |
| | (2) डाइल्यूटेड (रु. में) | | - | - |
| XVIII | **आय प्रति इक्विटी शेयर (अंकित मूल्य रु 1,000 प्रति शेयर) :** | | | |
| | (सतत तथा असतत प्रचालनों हेतु) | | | |
| | (1) बेसिक (रु. में) | 26 | 40.92 | 42.35 |
| | (2) डाइल्यूटेड (रु. में) | 26 | 40.92 | 42.35 |

वित्तीय विवरणों का भाग निर्मित करने वाले नोट 1 to 38

यह हमारे संलग्न अद्यतन प्रतिवेदन में सन्दर्भित लाभ तथा हानि विवरण है।

**कृते सहगल मेहता एण्ड कं.**
**चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स**
एफआरएन : 003330N

**हस्ता./-**
**साझेदार : सीए पंकज कुमार गोयल**
**एम. सं. : 515717**

**स्थान : नई दिल्ली**
**तिथि : 05-08-2019**

**निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से**

| **हस्ता./-** | **हस्ता./-** | **हस्ता./-** |
|---|---|---|
| **अचल खरे** | **अरुण बिजलवान** | **सुमिता शर्मा** |
| **प्रबन्ध निदेशक** | **निदेशक वित्त** | **कम्पनी सचिव** |
| **डीआईएन : 07576351** | **डीआईएन : 08012372** | **एम सं. : FCS5250** |

## 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह का विवरण

राशि (लाख में)

| विवरण | | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|---|
| **A. प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह** | | | |
| असाधारण मदों तथा कर पूर्व लाभ | | **6,295.17** | **2,784.02** |
| ***समायोजन :*** | | | |
| मूल्य ह्रास | | 276.65 | (49.91) |
| ब्याज से आय | | (6,804.51) | (2,961.46) |
| अन्य व्यापक मदें | | (0.68) | - |
| **प्रचालनात्मक पूँजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालनात्मक लाभ** | **(1)** | **(233.37)** | **(227.35)** |
| ***समायजन :*** | | | |
| वित्तीय परिसम्पत्तियों में कमी/(वृद्धि)-अन्य | | 317.45 | (1,251.93) |
| अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियों में कमी/(वृद्धि)-अन्य | | (931.61) | (60.72) |
| अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियों में कमी/(वृद्धि)-अन्य | | (1,64,849.22) | (6,604.11) |
| वित्तीय परिसम्पत्तियों में कमी/(वृद्धि)-ऋण | | (175.53) | (210.89) |
| वित्तीय दायितव में (कमी)/वृद्धि-अन्य | | 11,817.78 | 810.00 |
| प्रावधानों में (कमी)/वृद्धि | | 252.35 | 20.17 |
| अन्य चालू दायित्व में (कमी)/वृद्धि | | 303.56 | 121.82 |
| अन्य गैर चलू दायित्व में (कमी)/वृद्धि | | 0.97 | 0.02 |
| | **(2)** | **(1,53,264.25)** | **(7,175.65)** |
| **प्रचालनों से सृजित नगदी** | **(1+2)** | **(1,53,497.62)** | **(7,403.00)** |
| प्रदत्त आय कर | | (1,997.39) | (803.11) |
| **प्रचालनात्मक गतिविधियों से सृजित कुल नकदी** | | **(1,55,495.01)** | **(8,206.11)** |
| **B. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह** | | | |
| संपत्ति, संयन्त्र तथा उपकरणों एवं अन्य अमूर्त परिसम्पत्तियों तथा सीडब्लयूआईपी की खरीद | | (54,210.02) | (8,117.14) |
| परियोजना कार्य एवं कैपेक्स हेतु पूँजी अग्रिम | | (2.50) | - |
| बैंक जमाओं में वृद्धि | | 8,538.44 | (22,838.44) |
| ब्याज से आय | | 6,804.51 | 2,961.46 |
| **निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त निबल नकदी** | | **(38,869.57)** | **(27,994.12)** |
| **C. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह** | | | |
| इक्विटी शेयर पूँजी के निर्गमन से कार्यवाहियाँ | | 1,80,000.00 | 45,500.00 |
| शेयर अनुप्रयोग धन लम्बित आवंटन | | 60,000.00 | (30,000.00) |
| शेयर निर्गमन व्यय | | (180.32) | (45.50) |
| **वित्तीय गतिविधियों से सृजित निबल नकदी** | | **2,39,819.68** | **15,454.50** |
| **नकदी तथा नकदी समतुल्य में निबल वृद्धि/(कमी) (A+B+C)** | | **45,455.10** | **(20,745.73)** |
| प्रारम्भिक नकदी तथा नकदी समतुल्य | | 9,823.25 | 30,568.98 |
| **अन्तिम नकदी तथा नकदी समतुल्य** | | **55,278.36** | **9,823.25** |
| निम्नलिखित से निर्मित नकदी तथा नकदी समतुल्य | | | |
| उपलब्ध मुद्रा | | - | 2.03 |
| बैंक में शेष : | | | |
| – चालू खाता | | 243.40 | 34.27 |
| – फ्लेकसी खाते में | | 5,025.48 | 786.57 |
| – तीन माह से कम मूल परिपक्वता सहित सावधि जमा | | 50,000.00 | 9,000.00 |
| अग्रदाय लेखा में | | 9.48 | 0.38 |
| **तुलन पत्र के अनुसार नकदी तथा नकदी समतुल्य** | | **55,278.36** | **9,823.25** |

**टिप्पणियाँ :-**

नकदी प्रवाह विवरण कारपोरेट मामले मन्त्रालय द्वारा अधिसूचित नकदी प्रवाह विवरण पर इण्ड एएस-7 में निर्धारित के अनुसार अप्रत्यक्ष विधि के तहत तैयार किया गया है।

यह अद्यतनीकृत संलग्न हमार प्रतिवेदन में सन्दर्भित नकदा प्रवाह का ाववरण ह।

**कृते सहगल मेहता एण्ड कं.**
**चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स**
एफआरएन : 003330N

**हस्ता./-**
**साझेदार : सीए पंकज कुमार गोयल**
**एम. सं. : 515717**

**स्थान : नई दिल्ली**
**तिथि : 05-08-2019**

**निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से**

| **हस्ता./-** | **हस्ता./-** | **हस्ता./-** |
|---|---|---|
| **अचल खरे** | **अरुण बिजलवान** | **सुमिता शर्मा** |
| **प्रबन्ध निदेशक** | **निदेशक वित्त** | **कम्पनी सचिव** |
| **डीआईएन : 07576351** | **डीआईएन : 08012372** | **एम सं. : FCS5250** |

**नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड**

**31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण**

**A. इक्विटी शेयर पूँजी**

| विवरण | शेयरों की संख्या | राशि (रु. लाख में) |
|---|---|---|
| **1 अप्रैल, 2018 को शेष** | 65,50,000.00 | 65,500.00 |
| वर्ष के दौरान शेयर पूँजी का निर्गमन | 1,80,00,000.00 | 1,80,000.00 |
| **31 मार्च, 2019 को शेष** | **2,45,50,000.00** | **2,45,500.00** |

**B. अन्य इक्विटी**

राशि (रु. लाख में)

| विवरण | आरक्षी एवं अधिशेष | | शेयर अनुप्रयोग धन लम्बित आवंटन | कुल |
|---|---|---|---|---|
| | सामान्य आरक्षी | अनुरक्षित आय | | |
| वर्ष के प्रारम्भ में शेष | - | 2,691.02 | - | 2,691.02 |
| लेखांकन नीति में परिवर्तन अथवा अवधि पूर्व त्रुटियाँ | - | (172.38) | - | (172.38) |
| **वर्ष के प्रारम्भ में पुन: कथित शेष** | **-** | **2,518.64** | **-** | **2,518.64** |
| वर्ष हेतु लाभ | - | 4,609.79 | - | 4,609.79 |
| वर्ष हेतु अन्य व्यापक आय (निबल आय कर) | - | (0.48) | - | (0.48) |
| **वर्ष हेतु कुल व्यापक आय** | | **4,609.31** | **-** | **4,609.31** |
| अवधि के दौरान प्राप्त शेयर अनुप्रयोग धन | - | - | 2,40,000.00 | 2,40,000.00 |
| वर्ष के दौरान निर्गत शेयर | - | - | (1,80,000.00) | (1,80,000.00) |
| शेयर निर्गमन व्यय | - | (180.32) | - | (180.32) |
| **वर्ष के अन्त में शेष** | **-** | **6,947.63** | **60,000.00** | **66,947.63** |

यह विवरण हमारे संलग्न अद्यतनीकृत प्रतिवेदन में सन्दर्भित इक्विटी में परिवर्तन का है।

**कृते सहगल मेहता एण्ड कं.**
**चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स**
एफआरएन : 003330N
**हस्ता./-**
**साझेदार : सीए पंकज कुमार गोयल**
**एम. सं. : 515717**

**स्थान : नई दिल्ली**
**तिथि : 05-08-2019**

**निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से**

| **हस्ता./-** | **हस्ता./-** | **हस्ता./-** |
|---|---|---|
| **अचल खरे** | **अरुण बिजलवान** | **सुमिता शर्मा** |
| **प्रबन्ध निदेशक** | **निदेशक वित्त** | **कम्पनी सचिव** |
| **डीआईएन : 07576351** | **डीआईएन : 08012372** | **एम सं. : FCS5250** |

**31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण**

**A. इक्विटी शेयर पूँजी**

| विवरण | शेयरों की संख्या | राशि (रु. लाख में) |
|---|---|---|
| **1 अप्रैल, 2017 को शेष** | 20,00,000.00 | 20,000.00 |
| वर्ष के दौरान शेयर पूँजी का निर्गमन | 45,50,000.00 | 45,500.00 |
| **31 मार्च, 2018 को शेष** | **65,50,000.00** | **65,500.00** |

**B. अन्य इक्विटी**

राशि (रु. लाख में)

| विवरण | आरक्षी एवं अधिशेष | | शेयर अनुप्रयोग धन लम्बित आवंटन | कुल |
|---|---|---|---|---|
| | सामान्य आरक्षी | अनुरक्षित आय | | |
| वर्ष के प्रारम्भ में शेष | - | 621.52 | 30,000.00 | 30,621.52 |
| लेखांकन नीति में परिवर्तन अथवा अवधि पूर्व त्रुटियाँ | - | - | - | - |
| **वर्ष के प्रारम्भ में पुन: कथित शेष** | **-** | **621.52** | **30,000.00** | **30,621.52** |
| वर्ष हेतु लाभ | - | 1,942.62 | - | 1,942.62 |
| वर्ष हेतु अन्य व्यापक आय (निबल आय कर) | - | - | - | - |
| **वर्ष हेतु कुल व्यापक आय** | | **1,942.62** | **-** | **1,942.62** |
| अवधि के दौरान प्राप्त शेयर अनुप्रयोग धन | - | - | 15,500.00 | 15,500.00 |
| वर्ष के दौरान निर्गत शेयर | - | - | (45,500.00) | (45,500.00) |
| शेयर निर्गमन व्यय | - | (45.50) | - | (45.50) |
| **वर्ष के अन्त में शेष** | **-** | **2,518.64** | **-** | **2,518.64** |

यह विवरण हमारे संलग्न अद्यतनीकृत प्रतिवेदन में सन्दर्भित इक्विटी में परिवर्तन का है।

**कृते सहगल मेहता एण्ड कं.**
**चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स**
एफआरएन : 003330N
**हस्ता./-**
**साझेदार : सीए पंकज कुमार गोयल**
**एम. सं. : 515717**

**स्थान : नई दिल्ली**
**तिथि : 05-08-2019**

**निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से**

| **हस्ता./-** | **हस्ता./-** | **हस्ता./-** |
|---|---|---|
| **अचल खरे** | **अरुण बिजलवान** | **सुमिता शर्मा** |
| **प्रबन्ध निदेशक** | **निदेशक वित्त** | **कम्पनी सचिव** |
| **डीआईएन : 07576351** | **डीआईएन : 08012372** | **एम सं. : FCS5250** |

# 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियाँ

**1. सामान्य सूचना**

नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) भारत में अधिवासित एक सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय द्वितीय तल, एशिया भवन, रोड सं. 205, सेक्टर-9, द्वारका (दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली) नई दिल्ली-110077 है। यह कम्पनी 12 फरवरी, 2016 को कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत भारत में निगमित हुई थी। इसका उद्देश्य महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्य के बीच हाई स्पीड रेल सेवाओं की योजना, रूपरेखा, विकास, निर्माण, प्रवर्तन, रखरखाव, प्रचालन तथा वित्त पोषण तथा / अथवा अपने किसी अन्य क्षेत्र में, स्वयमेव अथवा अधिग्रहण द्वारा अथवा रेल मन्त्रालय या भारत सरकार या ऐसे किसी अन्य सक्षम प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन के अनुसार समस्त सहायक अवसंरचनात्मक सुविधाओं सहित किसी माध्यम या माध्यमों के संयोजन के नये ट्रांजिट रूट का निर्माण है।

**2. महत्त्वपूर्ण लेखांक नीतियों का सारांश**

**2.1 a) अनुपालन का विवरण**

कम्पनी के वित्तीय विवरण यथासमय संशोधित कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम 2015 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक (इण्ड एएस) के अनुसार तैयार किये जा रहे हैं।

**b) मापन का आधार**

वित्तीय विवरणों को निम्नलिखित मदों को छोड़कर ऐतिहासिक लागत परिपाटी तथा उपचय आधार पर तैयार किया गया है जिन्हें प्रासंगिक इण्ड एएस द्वारा वांछित उचित मूल्य पर मापित किया गया है।

i. कुछ निश्चित वित्तीय परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों को उचित मूल्य पर मापित किया गया है (नोट सं. 2.20 पर वित्तीय विलेख से सम्बद्ध लेखांकन नीति का सन्दर्भ लें)

ii. परिभाषित लाभ योजना तथा योजना परिसम्पत्तियाँ।

**c) आन्कलनों तथा निर्णय का उपयोग**

इण्ड एएस के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी हेतु प्रबन्धन के लिए निर्णय, आकलन तथा अभिधारणाएँ निर्मित करना अपेक्षित है जो वित्तीय विवरणों की तिथि पर लेखांकन नीतियों तथा परिसम्पत्तियों, दायित्वों, आकस्मिक परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों के प्रकटन और आय तथा व्ययों की प्रतिवेदित राशि को प्रभावित करते हैं। ऐसे आन्कलन में कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ योजनाओं के तहत भावी दायित्व और सम्पत्ति, संयन्त्र एवं उपकरण के उपयोगी जीवन, कर्मचारी लाभ व्यय, प्रावधानों आदि का आन्कलन सम्मिलित है। वास्तविक परिणाम इन आन्कलन से भिन्न हो सकते हैं।

आन्कलन तथा निहित अभिधारणाओं की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। इन आन्कलन में परिवर्तनों के कारण भावी परिणामों भिन्नता हो सकती है और वास्तविक परिणाम तथा आन्कलन के मध्य के अन्तर को उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें परिणामों को ज्ञात / प्रकटित किया गया है।

वित्तीय विवरणों की समझ में वृद्धि के क्रम में, आन्कलन के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों के विषय में सूचना, वित्तीय विवरणों में चिन्हित राशियों पर सर्वाधिक प्रभाव डालने वाली लेखांकन नीतियों के प्रयोग में अनिश्चितता तथा महत्त्वपूर्ण निर्णय निम्नलिखित हैं :

i. सम्पत्ति, संयन्त्र तथा उपकरण: उपयोगी जीवन तथा अवशिष्ट मूल्यों की समीक्षा मूल्य ह्रास के साथ की जाती है। जीवनकाल भावी घटनाओं के पूर्वानुमान तथा ऐतिहासिक अनुभवों पर आधारित होता है।

ii. प्रावधान: तुलन पत्र की तिथि पर दायित्वों के समायोजन हेतु अनुमान के आधार पर प्रावधानों का निर्धारण किया जाता है।

iii. आकस्मिक दायित्व/ परिसम्पत्तियाँ: प्रबन्धन के निर्णय पर आधारित आकस्मिक दायित्व/ परिसम्पत्तियों के प्रकटन की समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि पर की जाती है और वर्तमान प्रबन्धकीय अनुमान को प्रदर्शित करने के लिए समायोजित की जाती हैं।

iv. गैर वित्तीय परिसम्पत्तियों का क्षति परीक्षण: सम्पत्ति, संयन्त्र तथा उपकरण की वसूली योग्य राशि तकनीकी विशेषज्ञों के अभिधारणा के निर्णय के आधार पर निर्धारित की जाती है।

v. आस्थगित कर परिसम्पत्तियों का अभिज्ञान: आस्थगित कर सम्पत्तियों का अभिज्ञान भावी कर योग्य आय की सम्भाव्यता के आधार पर किया जाता है जिसके विरुद्ध आस्थगित कर का उपयोग किया जा सके।

vi. रोजगार पश्चात लाभ : रोजगार लाभ दायित्वों का मापन जीवनांकिक पूर्वानुमानों के आधार पर किया जाता है जिसमें मृत्युता तथा आहरण दर और छूट की दर पर भावी विकास से सम्बद्ध पूर्वानुमान, वेतन वृद्धि की दरें तथा मुद्रास्फीति दर शामिल हैं। कम्पनी विचार करती है कि दायित्वों के मापन में प्रयुक्त पूर्वानुमान उचित तथा प्रलेखित हैं। किन्तु इन पूर्वानुमानों में कोई परिवर्तन होने से परिणामी गणनाओं पर तात्विक प्रभाव पड़ता है।

**d)** सभी वित्तीय सूचनाएँ भारतीय रूपयों में प्रस्तुत की जाती हैं और अन्य रूप से कथित को छोड़कर समस्त मूल्य निकटतम लाख में प्रदर्शित किये जाते हैं।

राशियों को लाख रुपयों में प्रदर्शित किया गया है। योग करने में कोई अनियमितता राउण्ड ऑफ (निकटतमीकरण) के कारण हैं और इसे सुधारने की आवश्यकता नहीं होगी।

## 2.2 नकदी प्रवाह का विवरण

नकदी प्रवाह की गणना अप्रत्यक्ष विधि से की जाती है जिसके द्वारा गैर-नकदी प्रकृति के लेन-देनों के प्रभावों तथा विगत अथवा भावी नकदी प्राप्तियों या भुगतानों के किसी आस्थगित अदायगी या संग्रहण हेतु कर पूर्व लाभ/(हानि) को समायोजित किया जाता है। कम्पनी के प्रचालन, निवेश तथा वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाहों को उपलब्ध सूचना के आधार पर पृथक्कृत किया जाता है।

नकदी प्रवाह के विवरण में प्रस्तुतीकरण के उद्देश्य हेतु नकदी तथा नकदी समतुल्य के अन्तर्गत उपलब्ध नकदी, वित्तीय संस्थानों में आदेश पर धारित जमा, अन्य अल्पकालीन, तीन माह की मूल परिपक्वता वाले उच्च तरल निवेश जो ज्ञात नकद राशि में तुरन्त परिवर्तनीय हों और जिनके मूल्य में परिवर्तन का जोखिम नगण्य

हो तथा बैंक ओवरड्राफ्ट शामिल हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट को तुलन पत्र में वर्तमान दायित्वों में उधारियों के भीतर प्रदर्शित किया गया है।

**2.3 प्रकार्यात्मक तथा प्रस्तुतीकरण मुद्रा**

वित्तीय विवरणों में शामिल मदों का मापन प्राथमिक आर्थिक परिवेश के प्रयोग द्वारा किया जाता है जिसमें कम्पनी प्रचालन करती है (प्रकार्यात्मक मुद्रा)। वित्तीय विवरणों को भारतीय मुद्रा (आईएनआर) में प्रदर्शित किया जाता है जो कि कम्पनी की प्रकार्यात्मक तथा प्रस्तुतीकरण मुद्रा है।

**विदेशी मुद्रा**

विदेशी मुद्रा में किये गये लेन-देनों को लेन-देन के समय विद्यमान विनिमय दरों पर अभिलेखित किया जाता है।

विदेशी मुद्राओं में मौद्रिक मदों को प्रतिवेदन की तिथि के समय लागू दरों पर परिवर्तित किया जाता है।

मौद्रिक मदों के समायोजन या परिवर्तन के कारण होने वाले विनिमय के अन्तर को लाभ या हानि के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।

**2.4 सम्पत्ति, संयन्त्र तथा उपकरण**

(a) सम्पत्ति, संयन्त्र तथा उपकरणों की माप न्यून संचयी मूल्य ह्रास तथा खराबी क्षति की लागत पर, यदि कोई हो, की जाती है।

परिसम्पत्ति की लागत में निम्नलिखित शामिल हैं :

i. परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण हेतु प्रत्यक्ष आरोप्य लागत

ii. विनष्टीकरण तथा मदों के निस्तारण एवं अभिज्ञान मानदण्ड की पूर्ति न होने पर उस साइट का पुनरुद्धार करने की अनुमानित लागतों का वर्तमान मूल्य जहाँ वह स्थित है।

(b) यदि अभिज्ञान मानदण्डों की पूर्ति नहीं होती है तो प्रतिस्थापन, वृहत निरीक्षण, महत्त्वपूर्ण कलपुर्जों के मरम्मत की लागत को पूँजीकृत किया जाता है।

(c) सम्पत्ति, संयन्त्र तथा उपकरण की किसी मद को निस्तारण के समय अथवा परिसम्पत्ति के सतत प्रयोग से कोई भावी आर्थिक लाभ होने की सम्भावना न हो तो इसे अमान्य कर दिया जाता है। सम्पत्ति, संयन्त्र तथा उपकरण की किसी मद का निस्तारण अथवा सेवामुक्ति से उत्पन्न किसी लाभ अथवा हानि को विक्रय कार्यवाहियों तथा परिसम्पत्ति की वाहक राशि के अन्तर के रूप में निर्धारित किया जाता है और इसे लाभ या हानि विवरण में स्थान दिया जाता है।

**मूल्य ह्रास तथा ऋण परिशोधन**

(a) सम्पत्ति, संयन्त्र तथा उपकरण के मूल्यह्रास को कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्दिष्ट के अनुसार उपयोगी जीवन पर सरल रेखा विधि (एसएलएम) से प्रावधानित किया गया है।

(b) सम्पत्ति, संयन्त्र तथा उपकरण की किसी मद के प्रत्येक भाग को अलग-अलग मूल्यह्रासित किया जाता है यदि उस मद की कुल लागत के सम्बन्ध में पुर्जे की लागत सार्थक है तथा उस पुर्जे का उपयोगी जीवन शेष परिसम्पत्ति के उपयोगी जीवन से भिन्न है।

(c) कर्मचारियों को प्रदत्त परिसम्पत्तियों को एसएलएम आधार पर 3 वर्षों की अवधि हेतु मूल्यह्रासित किया गया है।

(d) वापस न लेने के आधार पर कर्मचारियों को प्रदत्त ब्रीफ केस की लागत की प्रतिपूर्ति को भुगतान वर्ष में व्यय के रूप में प्रभारित किया गया है।

(e) सम्पत्ति, संयन्त्र तथा उपकरण के सार्थक मदों की चालू तथा तुलनात्मक अवधि हेतु परिसम्पत्तियों का आन्कलित उपयोगी जीवन निम्नलिखित है:

| | |
|---|---|
| फर्नीचर तथा फिक्सचर | 10 वर्ष |
| ईडीपी परिसम्पत्तियाँ | 3 वर्ष |
| कार्यालयी उपकरण | 5 वर्ष |
| वाहन | 8 वर्ष |

(f) लीजहोल्ड इम्प्रूवमेंट्स (पट्टे की सम्पत्ति का निर्माण) को निर्माण के पूँजीकरण वाले महीने से पट्टे की अवधि के दौरान ऋण परिशोधित किया गया है।

(g) मूल्यह्रास की विधियों, उपयोगी जीवन तथा अवशिष्ट मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक प्रतिवेदन तिथि पर की गयी है।

## 2.5 अमूर्त परिसम्पत्तियाँ

अमूर्त परिसम्पत्ति वह सम्पत्ति है जहाँ यह सम्भावना हो कि इस सम्पत्ति का भावी आर्थिक लाभ कम्पनी की ओर प्रवाहित होगा और परिसम्पत्ति की लागत की माप विश्वसनीय ढंग से की जा सकती है। अमूर्त परिसम्पत्तियों का उल्लेख ऐतिहासिक लागत न्यून संचयी ऋण परिशोधन तथा खराबी के कारण क्षति, यदि कोई हो, में किया गया है।

**ऋण परिशोधन**

अमूर्त परिसम्पत्तियों का ऋणशोधन उनके उपयोग की उपलब्धता की तिथि से सरल रेखा आधार पर उनके सम्बद्ध आन्कलित उपयोगी जीवन के आधार पर किया गया है।

अमूर्त परिसम्पत्तियों का आन्कलित उपयोगी जीवन निम्न प्रकार है :
सॉफ्टवेयर : 3 वर्ष

ऋण परिशोधन की विधियों, उपयोगी जीवन तथा अवशिष्ट मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक प्रतिवेदन तिथि पर की गयी है।

## 2.6 जारी पूँजीगत कार्य

प्रत्येक प्रतिवेदन की तिथि पर बकाया सम्पत्ति, संयन्त्र तथा उपकरण के अधिग्रहण हेतु प्रदत्त राशि तथा तुलन पत्र की तिथि से पूर्व इच्छित उपयोग हेतु अयोग्य सम्पत्ति, संयन्त्र तथा उपकरण की लागतों को जारी पूँजीगत कार्य के अधीन प्रदर्शित किया गया है। कब्जाकृत पट्टे की भूमि सहित भूमि से सम्बन्धित लागत अथवा क्षतिपूर्ति को भूमि की लागत अथवा पट्टाकृत भूमि के रूप में लिया गया है।

जिन व्ययों को कम्पनी द्वारा उपक्रमित परियोजना के साथ प्रत्यक्षत: चिन्हित किया जा सकता है उन्हें "प्रत्यक्ष परियोजना व्यय" के तहत "जारी पूँजीगत कार्य" से घटा दिया जाता है। कर्मचारी लाभ की प्रकृति में अप्रत्यक्ष व्यय तथा परियोजना से सीधे रूप से सम्बद्ध अप्रत्यक्ष व्यय को परियोजना में प्रभारित किया गया है।

निर्माण अवधि से सम्बद्ध आय तथा अन्य आकस्मिक आय जैसे ब्याज से आय (इक्विटी से प्राप्त निधियों के अस्थायी आगमन को छोड़कर), निविदा दस्तावेजों के विक्रय आदि से आय को निर्माण के दौरान व्ययों में समायोजित किया गया है।

**2.7 प्रावधान, आकस्मिक दायित्व तथा आकस्मिक परिसम्पत्तियाँ**

a) प्रावधानों को दायित्वों के परिप्रेक्ष्य में मान्यता दी गयी है जिन्हें केवल उस समय ठोस आन्कलन विधि से मापा जा सकता है जब:

i. कम्पनी के पास विगत घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व हो।

ii. दायित्व के समायोजन के लिए आर्थिक लाभों के सामूहिक संसाधनों का बहिर्प्रवाह सम्भाव्य हो; तथा

iii. दायित्व की राशि का आन्कलन विश्वसनीय ढंग से किया जा सके। प्रावधानों की समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि पर की जाती है।

**प्रावधानों में छूट**

जहाँ धन के समय मूल्य का प्रभाव तात्विक हो तो किसी प्रावधान की राशि व्यय का वर्तमान मूल्य दायित्व के समायोजन के लिए वांछनीय माना जायेगा।

b) आकस्मिक दायित्वों को निम्नलिखित किसी भी मामले में प्रकटित किया जाता है :

i. किसी विगत घटना से उत्पन्न वर्तमान दायित्व जब यह सम्भावना न हो कि संसाधनों का कोई बहिर्प्रवाह दायित्व के समायोजन के लिए वांछित होगा; अथवा

ii. वर्तमान दायित्व का कोई विश्वसनीय आन्कलन नहीं किया जा सकता है; अथवा

iii. एक सम्भावित दायित्व जब तक कि संसाधन के बहिर्प्रवाह की प्रायिकता दुर्गम हो।

आकस्मिक दायित्व तथा आकस्मिक दायित्व के विरुद्ध आवश्यक प्रावधानों तथा आकस्मिक परिसम्पत्तियों की समीक्षा प्रत्येक प्रतिवेदन की तिथि पर की जाती है।

c) जहाँ आर्थिक लाभ के अन्तर्प्रवाह की सम्भावना है वहाँ आकस्मिक परिसम्पत्तियों को प्रकटित किया जाता है।

**2.8 राजस्व प्राप्ति**

**a) ग्राहकों के अनुबन्ध से प्राप्त राजस्व**

i. ग्राहकों के साथ अनुबन्ध से प्राप्त राजस्व वह राजस्व है जब माल अथवा सेवाओं के नियन्त्रण को ग्राहकों तक पहुँचाया जाता है जो उस राशि की क्षतिपूर्ति को प्रदर्शित करता जिसके विषय में कम्पनी उन माल अथवा सेवाओं के विनिमय में प्राप्त करने की आशा रखती है।

ii. राजस्व की माप प्राप्त या प्राप्य क्षतिपूर्ति के फेयर वैल्यू (निष्पक्ष मूल्य) पर की जाती है।

**b) अन्य राजस्व प्राप्तियाँ**

i. ब्याज से आय वह आय है जिसे बकाया राशि तथा प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग करते हुए प्रयोज्य ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए समय अनुपात आधार पर परिगणित किया जाता है।

## 2.9 पट्टे

**वित्तीय पट्टा :**

i. जो किसी परिसम्पत्ति के स्वामित्व पर आपतित समस्त जोखिमों तथा पुरस्कारों को वास्तविक रूप से अन्तरित करती है।

ii. जिन्हें न्यूनतम पट्टा भुगदान के उचित मूल्य या वर्तमान मूल्य से कम पर पट्टा प्रारम्भ होने के समय पूँजीकृत किया जाता है।

iii. भुगतानों को वित्तीय प्रभारों तथा पट्टा दायित्व में कमी के बीच विभाजित कर दिया जाता है ताकि दायित्व के बचे हुए शेष पर नियत ब्याज दर प्राप्त की जा सके।

iv. वित्ताय प्रभारों को लाभ एवं हानि विवरण में वित्तीय लागतों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।

v. परिसम्पत्ति के उपयोगी जीवन पर मूल्यह्रासित किया जाता है। किन्तु यदि पट्टे की अवधि की समाप्ति द्वारा स्वामित्व प्राप्त करने के लिए कोई तार्किक निश्चितता नहीं है तो परिसम्पत्ति के न्यूनतर अनुमानित उपयोगी जीवन तथा पट्टे की अवधि के आधार पर मूल्यह्रासित किया जाता है।

**प्रचालनात्मक पट्टा :**

i. इसे प्रचालनात्मक पट्टे के रूप में तब वर्गीकृत करते हैं जब जोखिम तथा पुरस्कार के सार्थक हिस्से कम्पनी को अन्तरित नहीं किये गये हैं।

ii. जहाँ पर पट्टा भुगतान प्रत्याशित मुद्रास्फीति लागत वृद्धि के कारण क्षतिपूर्ति के लिए प्रत्याशित मुद्रास्फीति के अनुरूप वृद्धि के लिए निर्मित किये जाने को छोड़कर पट्टा अवधि पर सरल-रेखा विधि द्वारा लाभ एवं हानि के लिए प्रभारित किया जाता है।

## 2.10 गैर-वित्तीय परिसम्पत्तियों की खराबी

परिसम्पत्तियों की खराबी हेतु इण्ड एएस-36 के अनुरूप खराबियों के किसी संकेत का निर्धारण करने के लिए कम्पनी की परिसम्पत्तियों की वाहक लागतों की समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि पर की जाती है। यदि इस प्रकार का कोई संकेत मिलता है तो परिसम्पत्तियों की वसूली योग्य राशि का आन्कलन विक्रय हेतु उचित मूल्य न्यून लागत तथा उपयोग के मूल्य के उच्चतर के रूप में किया जाता है। जब भी किसी परिसम्पत्ति की वाहक राशि या इसकी नकदी सृजन इकाई इसकी वसूली योग्य राशिय से अधिक होती है तो लाभ एवं हानि खाते के विवरण में खराबी की हानि को प्रदर्शित किया जाता है। यदि वसूली योग्य राशि के आन्कलन में कोई परिवर्तन हुआ है तो पूर्व लेखांकन अवधियों में प्रदर्शित खराबी की हानि को पलट दिया जाता है और ऐसी हानियाँ या तो विद्यमान नहीं होती हैं या कम हो जाती हैं। खराबी की क्षति को लाभ एवं हानि के विवरण में प्रदर्शित किया जाता है।

**2.11 उधारी की लागत**

उधारी की लागत विशेष रूप से परियोजना हेतु उधार लिए गये वित्त में व्यय की जाती है और उसके साथ चिह्नित करके परियोजना अथवा उसके भाग के प्रवर्तन के समय तक पूँजीकृत की जाती है और इसके पश्चात परिसम्पत्तियों की सीमा तक राजस्व पर प्रभारित करके वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन रखा जाता है।

**2.12 कर्मचारी लाभ**

**a) अल्पकालीन कर्मचारी लाभ**

सेवाएँ प्रदान करने के बारह माह के भीतर पूर्ण रूप से देय समस्त कर्मचारी लाभों को अल्पकालीन कर्मचारी लाभ के अन्तर्गत रखा जाता है। वेतन, मजदूरी तथा अल्पकालीन क्षतिपूर्तित अनुपस्थितियाँ, यात्रा भत्ता आदि लाभों को उस अवधि में प्रदर्शित किया जाता है जिसमें कर्मचारी सम्बद्ध सेवा प्रदान करता है।

**b) दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ**

i. दीर्घकालीन समायोजित अनुपस्थितियाँ तथा अर्द्धवेतन अवकाश जैसे दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों के दायित्व को नीचे (c) (ii) में उल्लिखित परिभाषित लाभ योजनाओं के मामले की भाँति प्रदर्शित किया जाता है:

**c) उत्तर-रोज़गार लाभ**

i. परिभाषित अनुदान योजनाएँ: कम्पनी भविष्य निधि योजना, सीजीआईएस तथा कर्मचारी राज्य बीमा योजना के परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पास परिभाषित अनुदान प्रदान करती है। योजनाओं के तहत प्रदत्त/ देय अनुदान को उस अवधि में प्रदर्शित किया जाता है जिसमें कर्मचारी सम्बद्ध सेवा प्रदान करता है।

ii. परिभाषित लाभ योजनाएँ: उपदान के उत्तर- रोज़गार परिभाषित योजना है। तुलन पत्र में प्रदर्शित दायित्व तुलन पत्र की तिथि पर योजना परिसम्पत्तियों के न्यून उचित मूल्य पर परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है। परिभाषित लाभ दायित्व की गणना परियोजित इकाई साख (पीयूसी) विधि के उपयोग द्वारा एक स्वतन्त्र बीमांकक द्वाराकी जाती है।

**d) सेवानिवृत्ति लाभ**

'प्रतिनियुक्ति के स्टाफ' के सेवानिवृत्ति लाभ रेल मन्त्रालय के दिशा- निर्देशों के आधार पर समाधानीत किये गये हैं।

**e) पुनर्मूल्यन**

अनुभवजन्य समायोजनों तथा ग्रेच्युटी (उपदान) जैसे परिभाषित लाभों से सम्बद्ध बीमांकिक अभिधारणाओं में परिवर्तनों से उत्पन्न प्राप्तियों एवं क्षतियों के पुनर्मूल्यन को उस अवधि में प्रत्यक्षत: अन्य व्यापक आय में प्रदर्शित किया जाता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं। इन्हें इक्विटी में परिवर्तन के विवरण तथा तुलन पत्र की प्रतिधारित आयों में शामिल किया जाता है।

**2.13 वर्तमान आयकर**

i. वर्ष हेतु कर व्यय में वर्तमान आय कर तथा आस्थगित कर शामिल होते हैं।

ii. वर्तमान कर का मापन प्रयोज्य कर दरों के प्रयोग द्वारा कर प्राधिकरणों के भुगतान की जाने वाली प्रत्याशित राशि पर किया जाता है।

iii. राशि की गणना में प्रयुक्त कर दर तथा कर कानून वे हैं जिन्हें उन देशों में प्रतिवेदन तिथि पर अधिनियमित या तात्विक रूप से अधिनियमित किया गया है जिनमें कम्पनी प्रचालन करती है और कर योग्य आय का सृजन करती है।

iv. अन्य व्यापक आय से सम्बद्ध वर्तमान कर अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में प्रदर्शित किया जाता है।

**2.14 आस्थगित कर**

भारतीय लेखा मानक (इण्ड-एएस 12) के अनुसार इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स ऑफ इण्डिया द्वारा निर्गत "आय कर"।

i. आस्थगित आय कर परिसम्पत्तियाँ तथा दायित्वों को अस्थायी अन्तरों के रूप में लिया जाता है जिसकी गणना उन कर दरों तथा कर कानूों के प्रयोग द्वारा की जाती है जिन्हें प्रतिवेदन तिथि पर अधिनियमित किया गया या तात्विक रूप से अधिनियमित किया गया है।

ii. आस्थगित आय कर सम्पत्ति को उस सीमा तक माना जाता है कि यह सम्भव है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरुद्ध कटौती योग्य अस्थायी अन्तर तथा अप्रयुक्त कर साखों के अग्रसारण तथा अप्रयुक्त कर क्षतियों का उपयोग किया जा सके।

iii. आस्थगित आय कर परिसम्पत्तियों की वाहक राशि की समीक्षा प्रत्येक प्रतिवेदन तिथि पर की जाती है और इसे उस सीमा तक घटाया जाता है कि यह सम्भावना न रहे कि समस्त या आंशिक आस्थगित आय कर परिसम्पत्ति के उपयोग के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

iv. ओसीआई मद से सम्बद्ध आस्थगित कर को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में प्रदर्शित किया जाता है।

**2.15 प्रति शेयर आय**

1. प्रतिशेयर मूल आयों की गणना अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा इक्विटी शेयरधारकों को उस अवधि हेतु आरोप्य सकल लाभ अथवा क्षति को विभाजित करके की जाती है। उस अवधि के दौरान बकाया भारित औसत शेयरों की संख्या को बोनस जारी कर और शेयरों को विभाजित कर समायोजित किया जाता है।

2. प्रतिशेयर डाइल्यूटेड अर्निंग की गणना के उद्देश्य से इक्विटी शेयरधारकों को उस अवधि हेतु सकल लाभ अथवा क्षति तथा अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या को समस्त डाइल्यूटिव सम्भावित इक्विटी शेयरों के प्रभावों हेतु समायोजित किया जाता है।

**2.16 प्रारम्भिक व्यय**

सभी प्रारम्भिक व्ययों को उनके व्यय होने के समय के व्यय के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।

**2.17 इक्विटी धारकों को लाभांश**

प्रदत्त/देय लाभांश उस वर्ष में प्रदर्शित किया जाता है जिसमें सम्बद्ध लाभांशों को जैसा उचित हो, शेयरधारकों अथवा निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

**2.18 तुलन पत्र तिथि के पश्चात घटित होने वाली घटनाएँ**

तुलन पत्र तिथि के पश्चात घटित होने वाली घटनाओं को इण्ड एएस 10 (तुलन पत्र तिथि के पश्चात होने वाली आकस्मिकताएँ तथा घटनाएँ) के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी में स्थान दिया जाता है।

**2.19 उचित मूल्य मापन**

कम्पनी कुछ वित्तीय विलेखों का मापन प्रत्येक प्रतिवेदन तिथि पर उचित मूल्य करती है। उचित मूल्य वह मूल्य है जिसे कोई सम्पत्ति बेचने पर प्राप्त किया जाता है अथवा मापन तिथि पर बाजारी साझेदारों के मध्य एक व्यवस्थित लेन-देन में दायित्व के अन्तरण हेतु भुगतान किया जाता है।

उचित मूल्य मापन इस पूर्वधारणा पर आधारित होता है कि परिसम्पत्ति बेचने अथवा दायित्व अन्तरण हेतु लेन-देन या तो :

i. परिसम्पत्ति अथवा दायित्व हेतु मुख्य बाजार में किया जाता है, अथवा

ii. एक मुख्य बाजार की अनुपस्थिति में परिसम्पत्ति अथवा दायित्व हेतु सर्वाधिक लाभकारी बाजार में होता है।

मुख्य या सर्वाधिक लाभकारी बाजार तक कम्पनी की पहुँच होनी चाहिए। किसी परिसम्पत्ति अथवा दायित्व के उचित मूल्य का मापन इस धारणा पर किया जाता है कि बाजार के भागीदार अपने सर्वोत्तम आर्थिक हित में सक्रिय रहते हुए परिसम्पत्ति अथवा दायित्व का मूल्य निर्धारण करते समय इसका उपयोग करेंगे। कम्पनी उन मूल्यांकन तकनीकों का प्रयोग करती है जो उन परिस्थितियों में उचित हैं और प्रासंगिक प्रेक्षणीय इनपुट के उपयोग में वृद्धि करते हुए तथा अप्रेक्षणीय इनपुट के उपयोग को कम करते हुए उचित मूल्य के मापन हेतु पर्याप्त डाटा उपलब्ध हैं।

**2.20 वित्तीय विलेख**

**a) प्रारम्भिक मान्यता :**

वित्तीय परिसम्पत्तियों तथा दायित्व को मान्यता दी जाती है जब कम्पनी विलेख के अनुबन्धात्मक प्रावधानों के लिए एक पक्ष बन जाती है। वित्तीय परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों का मापन प्रारम्भ में उचित मूल्य पर किया जाता है। अर्जन के लिए प्रत्यक्षत: आरोप्य लेन-देनों की लागतें अथवा वित्तीय परिसम्पत्तियों तथा वित्तीय दायित्वों (लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसम्पत्तियों तथा वित्तीय दायित्वों के अतिरिक्त) को वित्तीय परिसम्पत्तियों अथवा वित्तीय दायित्व के प्रारम्भिक अभिज्ञान पर मापित उचित मूल्य में या तो जोड़ा जाता है या घटाया जाता है।

**b) अनुगामी मापन**

**<u>वित्तीय परिसम्पत्तियाँ</u>**

वित्तीय परिसम्पत्तियों का निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है :

**i. परिशोधित लागत पर**

यदि वित्तीय परिसम्पत्तियाँ ऐसे व्यापार में धारित हैं जिसका उद्देश्य अनुबन्धी नकदी प्रवाह संग्रहित करने के क्रम में इन परिसम्पत्तियों को धारण करना है तो वित्तीय परिसम्पत्तियों को बाद में परिशोधित लागत पर मापित किया जाता है और वित्तीय परिसम्पत्ति के अनुबन्ध की

शर्तें उन निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह में वृद्धि करती हैं जो मूल धन तथा बकाया मूलधन के ब्याज का पूरी तरह से भुगतान होती हैं।

**ii. अन्य व्यापक आय से उचित मूल्य**

यदि वित्तीय परिसम्पत्तियों को ऐसे व्यापार में धारित किया गया है जिसका उद्देश्य अनुबन्धात्मक नकदी प्रवाह तथा वित्तीय परिसम्पत्तियों के विक्रय से हासिल किया जाता है और वित्तीय परिसम्पत्ति की अनुबन्धात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर उन नकदी प्रवाहों में वृद्धि करती हैं जो कि पूर्णत: मूलधन तथा बकाया मूलधान के ब्याज का भुगतान हैं तो वित्तीय परिसम्पत्तियों का मापन अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर किया जाता है।

**iii. लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर**

वित्तीय परिसम्पत्तियों का मापन लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर तब किया जाता है जब प्रारम्भिक अभिज्ञान पर अन्य व्यापक आय के माध्यम से इसका मापन परिशोधित लागत अथवा उचित मूल्य पर न किया गया हो। लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों के अर्जन पर प्रत्यक्षत: आरोप्य लेन-देन लागतों को तुरन्त लाभ अथवा हानि में प्रदर्शित किया जाता है।

**<u>वित्तीय दायित्व</u>**

वित्तीय दायित्वों को निम्नवत वर्गीकृत किया गया है :

**i. परिशोधित लागत पर वित्तीय दायित्व**

व्यापार अथवा अन्य देयताओं, सुरक्षा जमाओं तथा प्रतिधारण राशि आदि द्वारा प्रतिनिधानित परिशोधित लागत पर वित्तीय दायित्वों को प्रारम्भ में उचित मूल्य पर स्वीकृत किया जाता है और बाद में प्रभावी ब्याज दर विधि का प्रयोग करते परिशोधित लागत पर संगणित किया जाता है।

**ii. लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय दायित्व (एफवीटीपीएल)**

एफवीटीपीएल पर कम्पनी के पास कोई वित्तीय देयता अभिहित नहीं की है।

**c) मान्यता रद्द:**

**i. वित्तीय परिसम्पत्ति**

किसी वित्तीय परिसम्पत्ति (अथवा जहाँ प्रयोज्य हो वित्तीय परिसम्पत्ति का एक भाग अथवा समान वित्तीय परिसम्पत्तियों का समूह) को केवल तभी डीरिकॉग्नाइज किया जाता है जब परिसम्पत्ति से नकदी प्रवाह के अनुबन्धात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं अथवा यह वित्तीय परिसम्पत्तियों तथा परिसम्पत्ति के स्वामित्व के समस्त जोखिमों और प्रतिफलों को अन्तरित देता है।

**ii. वित्तीय दायित्व**

वित्तीय दायित्व तब डीरिकॉग्नाइज किया जाता है जब दायित्व के तहत देनदारी पूरी कर दी जाती है या निरस्त कर दी जाती है या समाप्त हो जाती है। जब किसी वर्तमान वित्तीय उत्तरदायित्व के स्थान पर तात्विक भिन्न शर्तों पर उसी ऋणदाता का अन्य उत्तरदायित्व आ

जाता है अथवा वर्तमान उत्तरदायित्व की शर्तें तात्विक रूप से संशोधित हो जाती हैं तो ऐसे विनिमय या संशोधन को मूल दायित्व के डीरिकॉग्नीशन के रूप में लिया जाता है और नवीन उत्तरदायित्व का अभिज्ञान तथा सम्बद्ध वाहक राशियों में अन्तर को लाभ या हानि विवरण में प्रदर्शित किया जाता है।

**d) वित्तीय परिसम्पत्तियों की खराबी:**

कम्पनी खराबी की क्षति के मापन तथा अभिज्ञान हेतु प्रत्याशित साख क्षति (ईसीएल) मॉडल का प्रयोग करती है। कम्पनी व्यापार प्राप्तियों पर खराबी क्षति भत्ते के अभिज्ञान हेतु 'सरलीकृत उपागम' का अनुपालन करती है। सरलीकृत उपागम के अनुप्रयोग के लिए कम्पनी को साख जोखिम में परिवर्तनों की निगरानी की आवश्यकता नहीं होती है। बल्कि यह अपने प्रारम्भिक अभिज्ञान से ही प्रत्येक प्रतिवेदन तिथि पर आजीवन ईसीएलएस पर आधारित खराबी क्षति भत्ते का अभिज्ञान करती है।

कम्पनी दूरगामी दृष्टि के आधार पर परिशोधित लागत तथा एफवीटीओसीआई ऋण विलेखों पर लायी गयी परिसम्पत्तियों सहित प्रत्याशित साख क्षतियों को आकलन करती है। खराबी की प्रविधि इस पर प्रयुक्त होती है कि साख जोखिम में पर्याप्त वृद्धि हुई है या नहीं।

अवधि के दौरान संज्ञान में आयी ईसीएल खराबी क्षति भत्ता (अथवा व्युत्क्रमण) को लाभ तथा हानि के विवरण में आय/व्यय के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।

**2.21 विक्रय हेतु धारित गैर-चालू परिसम्पत्तियाँ (अथवा निस्तारण समूह)**

जब गैर-चालू परिसम्पत्तियों (अथवा निस्तारण समूह) की वाहित राशि विक्रय लेन-देन के माध्यम से मूलधन के रूप में वसूल की जानी हो और विक्रय को अत्यधिक सम्भाव्य माना जाता है तो गैर-चालू परिसम्पत्तियों को विक्रय हेतु धारित परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। विक्रय को केवल उस समय अत्यधिक सम्भाव्य माना जाता है जब परिसम्पत्ति अथवा निस्तारण समूह इसकी वर्तमान स्थिति में तुरन्त विक्रय के लिए उपलब्ध है, यह असम्भाव्य है कि विक्रय वापस कर लिया जायेगा और विक्रय वर्गीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर प्रत्याशित है। विक्रय हेतु धारित के रूप में वर्गीकृत निस्तारण समूहों को वाहित राशि के न्यूनतर पर उल्लिखित हैं और विक्रय हेतु उचित मूल्य की लागत कम होती है। विक्रय हेतु धारित के रूप में वर्गीकृत हो जाने पर सम्पत्ति, संयन्त्र तथा उपकरण एवं अमूर्त परिसम्पत्तियों को मूल्यह्रासित नहीं किया जाता है। विक्रय हेतु धारित के रूप में वर्गीकृत परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों को वित्तीय स्थिति के विवरण में अलग से प्रस्तुत किया गया है।

यदि इण्ड एएस 105 "विक्रय हेतु धारित गैर-चालू परिसम्पत्तियाँ तथा असतत प्रचालनों" द्वारा कथित मानदण्डों की पूर्ति नहीं होती है तो निस्तारण समूह विक्रय हेतु धारित के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाता है। विक्रय हेतु धारित के रूप में वर्गीकृत होने वाली गैर-चालू परिसम्पत्तियों का मापन (i) विक्रय हेतु धारित के रूप में वर्गीकृत किये जाने से पूर्व इसकी वाहित राशि के न्यूनतर पर उस मूल्यह्रास हेतु समायोजित किया जाता है जिसे विक्रय हेतु धारित के रूप में वर्गीकृत न होने पर मान्यता दी जाती, तथा (ii) विक्रय हेतु धारित के रूप में वर्गीकृत होने की तिथि पर इसकी वसूली योग्य राशि के न्यूनतर पर मापित किया जाता है।

**2.22 वित्त वर्ष 2018-19 हेतु मानक निर्गत किन्तु अब तक प्रभावी नहीं :**

**इण्ड एएस 116-पट्टे**

30 मार्च, 2019 को कारपोरेट मामले मन्त्रालय (एमसीए) ने इण्ड एएस 116, पट्टा अधिसूचित करते हुए कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2019 निर्गत किया है। यह मानक 1 अप्रैल, 2019 से कम्पनी के लिए प्रयोज्य है और वर्तमान इण्ड एएस 17 (पट्टे) तथा सम्बद्ध व्याख्याओं को प्रतिस्थापित करेगा। यह इण्ड एएस पट्टादाता तथा पट्टेदार के लिए पट्टे के अभिज्ञान, मापन, प्रस्तुतीकरण तथा प्रकटन के लिए सिद्धान्त स्थापित करता है। इसके लिए पट्टेदार को जब तक निहित सम्पत्ति न्यून मूल्य न हो, 12 माह से अधिक की पट्टे की अवधि वाले समस्त पट्टा लेन-देन हेतु परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों का अभिज्ञान करना अपेक्षित है। वर्तमान इण्ड एएस 17 के तहत प्रचालनात्मक पट्टा व्यय लाभ एवं हानि के विवरण में प्रभावित होते हैं। पुनः, नवीन इण्ड एएस हेतु गहन प्रकटन अपेक्षित है। यह मानक अपने मानक (संचयी ग्राह्य उपागम) के प्रारम्भिक प्रयोग के संचयी प्रभाव सहित इण्ड एएस 8 अथवा आत्म-निरीक्षण के अनुसार आत्म निरीक्षण उपागम की अनुमति देता है।

**इण्ड एएस 12 का संशोधन-आय कर**

एमसीए ने 1 अप्रैल, 2019 से आयकर उपचार पर अनिश्चितता के सम्बन्ध में इण्ड एएस 12 संलग्नक में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें निर्धारित आयकर उपचार पर अनिश्चितता का अनुप्रयोग कर योग्य लाभ/हानि के निर्धारण के समय किया जाता है। इण्ड एएस 12 में संशोधन लाभ अथवा हानि में लाभांश के आय कर परिणामों, ओसीआई अथवा मूल स्तर पर संज्ञानित इक्विटी के अभिज्ञान को भी स्पष्ट करता है। समायोजन इण्ड एएस 8 अथवा संचयी ग्राह्य उपागम के अनुरूप आत्मनिरीक्षित होंगे।

**इण्ड एएस 19 में संशोधन-कर्मचारी लाभ**

30 मार्च, 2019 को एमसीए ने इण्ड एएस 19 कर्मचारी लाभ में संशोधन अधिसूचित किया है जिसके लिए विगत सेवा लागत के निर्धारण के लिए योजना संशोधन, काट-छाँट अथवा समायोजन के पश्चात शेष अवधि हेतु कुल ब्याज के रूप में अद्यतनीकृत अभिधारणाएँ प्रयुक्त करने की आवश्यकता होती है।

कम्पनी अपने वित्तीय विवरणों पर कथित परिवर्तनों के प्रभाव का परीक्षण तथा मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में है और इसका अनुपालन मानकों तथा संशोधनों की प्रभावी तिथि से किया जायेगा। किन्तु कोई तात्विक प्रभाव नहीं देखा गया है।

## नोट - 3
## संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

राशि (रु. लाख में)

| विवरण | पट्टे वाली उन्नतियाँ | फर्नीचर एवं फिकसचर | मोटर वाहन | ईडीपी परिसम्पत्तियाँ | कार्यालयी उपकरण | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **कुल वाहक राशि** | | | | | | |
| **1 अप्रैल, 2017 को** | - | - | - | **8.74** | **7.02** | **15.76** |
| संवर्धन | 341.26 | 46.97 | 47.92 | 103.62 | 66.51 | 606.28 |
| निस्तारण/समायोजन | - | - | - | - | - | - |
| **31 मार्च, 2018 को** | **341.26** | **46.97** | **47.92** | **112.36** | **73.53** | **622.04** |
| संवर्धन | 1.51 | 206.27 | 27.10 | 554.84 | 234.25 | 1,023.95 |
| निस्तारण/समायोजन | - | 0.78 | - | - | 3.34 | 4.12 |
| **31 मार्च, 2019 को** | **342.77** | **252.46** | **75.02** | **667.20** | **304.44** | **1,641.87** |
| **संचयी मूल्य ह्रास तथा खराबियाँ** | | | | | | |
| **1 अप्रैल, 2017 को** | **-** | **-** | **-** | **0.99** | **0.38** | **1.37** |
| वर्ष हेतु प्रभारित मूल्यह्रास | 25.75 | 2.50 | 2.98 | 11.84 | 4.69 | 47.76 |
| निस्तारण/समायोजन | - | - | - | - | - | - |
| **31 मार्च, 2018 को** | **25.75** | **2.50** | **2.98** | **12.83** | **5.07** | **49.13** |
| वर्ष हेतु प्रभारित मूल्यह्रास | 54.23 | 20.96 | 7.57 | 105.94 | 39.54 | 228.25 |
| निस्तारण/समायोजन | **-** | 0.36 | **-** | **-** | 0.36 | 0.72 |
| **31 मार्च, 2019 को** | **79.98** | **23.10** | **10.55** | **118.77** | **44.25** | **276.66** |
| **निबल वाहक मूल्य** | | | | | | |
| **31 मार्च, 2019 को** | **262.79** | **229.36** | **64.47** | **548.43** | **260.19** | **1,365.20** |
| **31 मार्च, 2018 को** | **315.51** | **44.47** | **44.94** | **99.53** | **68.46** | **572.89** |

## नोट - 4
## जारी पूँजीगत कार्य

राशि (रु. लाख में)

| विवरण | कुल |
|---|---|
| **1 अप्रैल, 2017 को** | **1,185.94** |
| संवर्धन (अनुगामी व्यय) | 7,579.96 |
| समायोजन | - |
| **31 मार्च, 2018 को** | **8,765.90** |
| संवर्धन (अनुगामी व्यय) | 53,022.90 |
| समायोजन | - |
| **31 मार्च, 2019 को** | **61,788.80** |

**नोट सं. 4.1 जारी पूँजीगत कार्य**

राशि (रु. लाख में)

| विवरण | वित्त वर्ष 2017-18 | | | वित्त वर्ष 2018-19 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | प्रारम्भिक | संवर्धन | 31.3.2018 को | संवर्धन | समायोजन | 31.3.2019 को |
| निर्माण/खरीद लागत | - | 50.97 | 50.97 | 3,061.81 | - | 3,112.78 |
| भूमि (नोट 4.1.1) | - | 389.39 | 389.39 | 36,707.38 | - | 37,096.77 |
| परामर्श सेवा लागत | 1,048.15 | 4,081.61 | 5,129.76 | 3,637.70 | - | 8,767.46 |
| प्राथमिक परियोजना लागत | - | 1,230.69 | 1,230.69 | 1,522.49 | - | 2,753.18 |
| आकस्मिक परियोजना लागत | 137.79 | 1,843.60 | 1,981.39 | 8,163.00 | - | 10,144.39 |
| **घटाया : निविदा का विक्रय एवं अन्य आय** | - | (16.30) | (16.30) | (69.48) | - | (85.78) |
| **कुल** | **1,185.94** | **7,579.96** | **8,765.90** | **53,022.90** | **-** | **61,788.80** |

**नोट 4.1.1** इसमें भूमि अधिग्रहण लागत तथा भूमि अधिग्रहित से सम्बद्ध व्यय एवं सुविधाएँ शामिल हैं। कुछ मामलों में, भूमि फ्रीहोल्ड है और अभी कम्पनी के नाम से स्थानान्तरित नहीं हुई है। भूमि के मूल्य में भारत सरकार/रेल मन्त्रालय से रु. 12,384.81 लाख की अधिग्रहीत पट्टे की भूमि शामिल हैं। किन्तु कुछ मामले में पट्टे शर्तें पूरी होनी शेष हैं।

**नोट 4.1.2** कम्पनी ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स ऑफ इण्डिया (आईसीएआई) से व्ययों के पूँजीकरण हेतु संशोधित प्रक्रिया सहित निर्माण अवधि के दौरान अप्रत्यक्ष व्ययों के पूँजीकरण हेतु परामर्श लिया है। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान किये गये पूँजीकरण की राशि रु. 170.65 लाख को घटा दिया गया है। विवरण के लिए नोट 35 देखें।

## नोट - 5
## अमूर्त परिसम्पत्तियाँ

राशि (रु. लाख में)

| विवरण | राशि |
|---|---|
| **कुल वाहक राशि** | |
| **1 अप्रैल, 2017 को** | **-** |
| संवर्धन | 30.72 |
| निस्तारण/ समायोजन | **-** |
| **31 मार्च, 2018 को** | **30.72** |
| संवर्धन | 166.56 |
| निस्तारण/ समायोजन | **-** |
| **31 मार्च, 2019 को** | **197.28** |
| | |
| **संचयी परिशोधन तथा खराबियाँ** | |
| **1 अप्रैल, 2017 को** | **-** |
| वर्ष हेतु परिशोधन प्रभार | 2.14 |
| निस्तारण / समायोजन | - |
| **31 मार्च, 2018 को** | **2.14** |
| वर्ष हेतु परिशोधन प्रभार | 48.40 |
| निस्तारण / समायोजन | **-** |
| **31 मार्च, 2019 को** | **50.54** |
| | |
| **निबल वाहक मूल्य** | |
| **31 मार्च, 2019 को** | **146.74** |
| **31 मार्च, 2018 को** | **28.58** |

## नोट - 6
## वित्तीय परिसम्पत्तियाँ - गैर चालू

**नोट 6.1 ऋण**

राशि (रु. लाख में)

| विवरण | 31 मार्च, 2019 को | 31 मार्च, 2018 को |
|---|---|---|
| **अप्रतिभूत, उचित समझा गया** | | |
| कर्मचारियों को भवन निर्माण अग्रिम (एचबीए) ऋण | 27.01 | 18.43 |
| सुरक्षा जमा | 260.55 | 162.71 |
| **कुल** | **287.56** | **181.14** |

## नोट - 7
## आस्थगित कर

राशि (रु. लाख में)

| विवरण | 31 मार्च, 2019 को | 31 मार्च, 2018 को |
|---|---|---|
| **A. आस्थगित कर दायित्व** | | |
| सम्पत्ति, संयन्त्र तथा उपकरण | 30.35 | 7.41 |
| **कुल आस्थगित कर दायित्व** | **30.35** | **7.41** |
| | | |
| **B. आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ** | | |
| प्राथमिक व्यय | 17.27 | 34.19 |
| कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान | 76.00 | 5.82 |
| **कुल आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ** | **93.27** | **40.00** |
| | | |
| **निबल आस्थगित कर (दायित्व)/परिसम्पत्तियाँ** | **62.90** | **32.59** |

**स्थगित कर परिसम्पत्ति/(दायित्व) में प्रचालन**

राशि (रु. लाख में)

| विवरण | प्राथमिक व्यय | सम्पत्ति, सयन्त्र तथा उपकरण | कर्मचारी लाभ व्यय | कुल |
|---|---|---|---|---|
| **1 अप्रैल, 2017 को प्रारम्भिक शेष** | **-** | **-** | **-** | - |
| वर्ष के दौरान प्रभारित/(जमा) | | | | |
| लाभ एवं हानि को | 34.19 | (7.41) | 5.82 | 32.59 |
| अन्य व्यापक आय को | - | - | - | - |
| **31 मार्च, 2018 को अन्तिम शेष** | **34.19** | **(7.41)** | **5.82** | 32.59 |
| | | | | |
| वर्ष के दौरान प्रभारित/(जमा) | | | | |
| लाभ एवं हानि को | (16.91) | (22.93) | 70.38 | 30.54 |
| अन्य व्यापक आय को | - | - | (0.20) | (0.20) |
| **31 मार्च, 2019 को अन्तिम शेष** | **17.27** | **(30.35)** | **76.00** | 62.90 |

## नोट - 8
## अन्य गैर-चालू परिसम्पत्तियाँ

राशि (रु. लाख में)

| विवरण | 31 मार्च, 2019 को | 31 मार्च, 2018 को |
|---|---|---|
| **a) अग्रिम पूँजी** | | |
| अचल परिसम्पत्तियों हेतु अग्रिम | 2.50 | 2.05 |
| भूमि अधिग्रहण हेतु अग्रिम | 95,680.54 | - |
| अन्य हेतु अग्रिम | 75,695.18 | 6,501.65 |
| | | |
| **b) अन्य** | | |
| पूर्व दत्त व्यय | 3.78 | 32.08 |
| उचित मूल्य समायोजन-सुरक्षा जमा* | 62.50 | 60.75 |
| उचित मूल्य समायोजन-भवन निर्माण अग्रिम (एचबीए)** | 12.96 | 9.21 |
| **कुल** | **1,71,457.46** | **6,605.74** |

* यह प्रतिभूति जमा के उचित मूल्य तथा लेन-देन मूल्य के मध्य अन्तर के अपरिशोधित भाग को प्रदर्शित करता है।

** यह भवन निर्माण अग्रिम (एचबीए) ऋण के उचित मूल्य तथा लेन-देन मूल्य के मध्य अन्तर के अपरिशोधित भाग को प्रदर्शित करता है।

## नोट-9
## वित्तीय परिसम्पत्तियाँ-चालू

### नोट 9.1 नकदी तथा नकदी समतुल्य

राशि (रु. लाख में)

| विवरण | 31 मार्च, 2019 को | 31 मार्च, 2018 को |
|---|---|---|
| उपलब्ध मुद्रा | - | 2.03 |
| बैंकों में शेष : | | |
| – चालू खाते में | 243.40 | 34.27 |
| – फ्लेक्सी खाते में | 5,025.48 | 786.57 |
| अग्रदाय खाते में | 9.48 | 0.38 |
| सावधि जमा (3 माह से कम की मूल परिपक्वता सहित) | 50,000.00 | 9,000.00 |
| **कुल** | **55,278.36** | **9,823.25** |

### नोट 9.2. नकदी तथा नकदी समतुल्य के अतिरिक्त बैंक शेष

राशि (रु. लाख में)

| विवरण | 31 मार्च, 2019 को | 31 मार्च, 2018 को |
|---|---|---|
| सावधि जमा (3 माह से अधिक और 12 माह तक मूल परिपक्वता सहित) | 18,300.00 | 40,838.44 |
| सावधि जमा (12 माह से अधिक मूल परिपक्वता सहित) | 14,000.00 | - |
| **कुल** | **32,300.00** | **40,838.44** |

**नोट 9.3 ऋण**

राशि (रु. लाख में)

| विवरण | 31 मार्च, 2019 को | 31 मार्च, 2018 को |
|---|---|---|
| **अप्रतिभूत, उचित समझा गया** | | |
| कर्मचारी को भवन निर्माण अग्रिम (एचबीए) ऋण | 3.82 | 2.55 |
| प्रतिभूति जमा | 105.68 | 37.84 |
| **कुल** | **109.50** | **40.39** |

**नोट 9.4 अन्य चालू वित्तीय आस्तियाँ**

राशि (रु. लाख में)

| विवरण | 31 मार्च, 2019 को | 31 मार्च, 2018 को |
|---|---|---|
| ब्याज प्रोद्भूत किन्तु अवधि एवं सावधि जमाओं पर बकाया नहीं | 1,916.72 | 2,268.00 |
| आरडीएसओ से वसूली योग्य | 1.22 | 1.22 |
| ब्याज प्राप्तियाँ-राइट्स साबरमती | 60.92 | 27.09 |
| **कुल** | **1,978.86** | **2,296.31** |

## नोट-10
## अन्य चालू आस्तियाँ

राशि (रु. लाख में)

| विवरण | 31 मार्च, 2019 को | 31 मार्च, 2018 को |
|---|---|---|
| **पूँजी अग्रिम के अतिरिक्त अग्रिम** | | |
| व्ययों हेतु अग्रिम | 7.92 | 2.04 |
| | | |
| **अन्य** | | |
| पूर्वदत्त व्यय | 971.41 | 52.58 |
| उचित मूल्य समायोजन-प्रतिभूति जमा* | 19.31 | 13.78 |
| उचित मूल्य समायोजन-भवन निर्माण अग्रिम (एचबीए)** | 1.16 | 0.78 |
| अग्रिम-एचएसआर इनोवेशन ट्रस्ट | 1.00 | - |
| **कुल** | **1,000.80** | **69.19** |

* यह प्रतिभूति जमा के उचित मूल्य तथा लेन-देन मूल्य के मध्य अन्तर के अपरिशोधित भाग को प्रदर्शित करता है।.

** यह भवन निर्माण अग्रिम (एचबीए) ऋण के उचित मूल्य तथा लेन-देन मूल्य के मध्य अन्तर के अपरिशोधित भाग को प्रदर्शित करता है।

## नोट-11
## इक्विटी शेयर पूँजी

राशि (रु. लाख में)

| विवरण | 31 मार्च, 2019 को | 31 मार्च, 2018 को |
|---|---|---|
| **अधिकृत शेयर पूँजी** | | |
| प्रत्येक रु. 1000 के 20,00,00,000 इक्विटी शेयर | 20,00,000 | 20,00,000 |
| (31 मार्च, 2018 को प्रत्येक रु. 1000 के 20,00,00,000 इक्विटी शेयर) | 20,00,000 | 20,00,000 |
| **निर्गत/अभिदत्त तथा प्रदत्त पूँजी** | | |
| प्रत्येक रु. 1000 के 2,45,50,000 इक्विटी शेयर | 2,45,500 | 65,500 |
| (31 मार्च, 2018 को प्रत्येक रु. 1000 के 6,550,000 इक्विटी शेयर) | | |
| | 2,45,500 | 65,500 |

### नोट-11.1 इक्विटी शेयरों तथा शेयर पूँजी की संख्या का समाधान

| विवरण | 31 मार्च, 2019 को | | 31 मार्च, 2018 को | |
|---|---|---|---|---|
| | शेयरों की संख्या | राशि (रु. लाख में) | शेयरों की संख्या | राशि (रु. लाख में) |
| प्रारम्भ में निर्गत/अभिदत्त तथा प्रदत्त इक्विटी पूँजी बकाया | 65,50,000 | 65,500.00 | 20,00,000 | 20,000.00 |
| जोड़ : अवधि के दौरान निर्गत शेयर | 1,80,00,000 | 1,80,000.00 | 45,50,000 | 45,500.00 |
| वर्ष के अन्त में निर्गत/अभिदत्त एवं प्रदत्त इक्विटी पूँजी बकाया | **2,45,50,000** | **2,45,500.00** | **65,50,000** | **65,500.00** |

### नोट 11.2 शेयर से सम्बद्ध अधिकार, वरीयता तथा प्रतिबन्ध

कम्पनी के पास केवल एक ही वर्ग के इक्विटी शेयर हैं जिन्हें इक्विटी शेयरों के रूप में सन्दर्भित किया गया है जिसका सममूल्य रु. 1000/- है। प्रत्येक शेयर धारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है। कम्पनी के परिसमापन की स्थिति में इक्विटी शेयरधारक समस्त अधिमान्य राशियों के वितरण के पश्चात कम्पनी की किसी भी शेष परिसम्पत्तियों को प्राप्त करने का हकदार हैं। 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान शेयरधारकों को वितरण हेतु घोषित लाभांश शून्य था।

### नोट 11.3 कम्पनी में कुल शेयरों के 5% से अधिक शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों द्वारा धारित शेयरों का विवरण

| शेयरधारक का नाम | 31 मार्च, 2019 को | | 31 मार्च, 2018 को | |
|---|---|---|---|---|
| | शेयरों की संख्या | % धारिता | शेयरों की संख्या | % धारिता |
| **इक्विटी शेयर** | | | | |
| रेल मन्त्रालय, भारत सरकार तथा इसके नामित | 2,35,00,000 | 95.72% | 65,00,000 | 99.24% |
| गुजरात सरकार | 10,50,000 | 4.28% | 50,000 | 0.76% |
| **कुल** | **2,45,50,000** | **100.00%** | **65,50,000** | **100.00%** |

## नोट-12
## अन्य इक्विटी

राशि (रु. लाख में)

| विवरण | 31 मार्च, 2019 को | 31 मार्च, 2018 को |
|---|---|---|
| प्रतिधारित आय (नोट 12.1 का सन्दर्भ लें) | 6,947.63 | 2,518.64 |
| शेयर अनुप्रयोग धन लम्बित आवंटन (नोट 12.2 का सन्दर्भ लें) | 60,000.00 | - |
| **कुल** | **66,947.63** | **2,518.64** |

### नोट 12.1 प्रतिधारित आय

राशि (रु. लाख में)

| विवरण | 31 मार्च, 2019 को | 31 मार्च, 2018 को |
|---|---|---|
| **प्रारम्भिक शेष** | 2,518.64 | 621.52 |
| **जोड़ : अवधि के दौरान लाभ** | 4,609.79 | 1,942.62 |
| घटाया : शेयर निर्गमन व्यय | (180.32) | (45.50) |
| जोड़ : निबल आय कर के परिभाषित लाभ दायित्व के पुनर्मूल्यन से उत्पन्न अन्य व्यापक आय | (0.48) | - |
| **अन्तिम शेष** | **6,947.63** | **2,518.64** |

**आरक्षियों की प्रकृति तथा उद्देश्य :**

**(a) प्रतिधारित आय**

प्रतिधारित आय कम्पनी के अवितरित लाभों को प्रदर्शित करती है।

**नोट 12.2 शेयर अनुप्रयोग धन लम्बित आवंटन**

राशि (रु. लाख में)

| विवरण | 31 मार्च, 2019 को | 31 मार्च, 2018 को |
|---|---|---|
| **प्रारम्भिक शेष** | - | 30,000.00 |
| जोड़ : अवधि के दौरान प्राप्त शेयर अनुप्रयोग धन | 2,40,000.00 | 15,500.00 |
| घटाया : वर्ष के दौरान निर्गत शेयर | 1,80,000.00 | 45,500.00 |
| **अन्तिम शेष** | **60,000.00** | **-** |

## नोट-13
## वित्तीय दायित्व-गैर चालू

**नोट 13.1 अन्य वित्तीय दायित्व**

राशि (रु. लाख में)

| विवरण | 31 मार्च, 2019 को | 31 मार्च, 2018 को |
|---|---|---|
| रेल मन्त्रालय से अग्रिम (नोट 13.1.1 का सन्दर्भ लें) | 10,000.00 | - |
| प्रतिभूति जमा | 12.78 | 4.95 |
| | **10,012.78** | **4.95** |

**नोट 13.1.1 :** वित्त मन्त्रालय ने एमएएचएसआर परियोजना हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए जेआईसीए के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। रेल मन्त्रालय ने जेआईसीए ऋण की उपलब्धता के लिए अग्रिम रूप में रु. 100 करोड़ जारी किए। एनएचएसआरसीएल तथा रेल मन्त्रालय के बीच पुनर्भुगतान तथा सेवाओं हेतु नियम एवं शर्तें तुलन पत्र की तिथि तक विचाराधीन हैं।

## नोट-14
## अन्य गैर चालू दायित्व

राशि (रु. लाख में)

| विवरण | 31 मार्च, 2019 को | 31 मार्च, 2018 को |
|---|---|---|
| प्रतिभूति जमाओं में उचित मूल्य समायोजन | 0.99 | 0.02 |
| **कुल** | **0.99** | **0.02** |

## नोट-15
## प्रावधान गैर चालू

राशि (रु. लाख में)

| विवरण | 31 मार्च, 2019 को | 31 मार्च, 2018 को |
|---|---|---|
| उपदान हेतु प्रावधान | 40.45 | 4.84 |
| अवकाश नकदीकरण हेतु प्रावधान | 88.43 | 13.91 |
| सामान / समायोजन भत्ते हेतु प्रावधान | 13.04 | - |
| यात्रा भत्ता हेतु प्रावधान | 76.11 | - |
| सेवा निवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ हेतु प्रावधान | 32.56 | - |
| **कुल** | **250.59** | **18.75** |

## नोट-16
## वित्तीय दायित्व-चालू

**नोट 16.1 अन्य वित्तीय दायित्व**

राशि (रु. लाख में)

| विवरण | 31 मार्च, 2019 को | 31 मार्च, 2018 को |
|---|---|---|
| अन्य देयताएँ | 2,173.39 | 901.42 |
| देय वेतन | 39.47 | 12.32 |
| प्रतिभूति जमा | 606.32 | 95.47 |
| **कुल** | **2,819.18** | **1,009.21** |

**नोट-17**
**अन्य चालू दायित्व**

राशि (रु. लाख में)

| विवरण | 31 मार्च, 2019 को | 31 मार्च, 2018 को |
|---|---|---|
| विविध बकाये | 446.99 | 144.03 |
| प्रतिभूति जमाओं में उचित मूल्य समायोजन | 0.93 | 0.33 |
| **कुल** | **447.92** | **144.36** |

**नोट-18**
**प्रावधान चालू**

राशि (रु. लाख में)

| विवरण | 31 मार्च, 2019 को | 31 मार्च, 2018 को |
|---|---|---|
| उपदान हेतु प्रावधान | 0.17 | 0.02 |
| अवकाश नकदीकरण हेतु प्रावधान | 10.23 | 1.40 |
| यात्रा भत्ता हेतु प्रावधान | 11.53 | - |
| **कुल** | **21.93** | **1.42** |

**नोट-19**
**वर्तमान कर आस्तियाँ / दायित्व**

राशि (रु. लाख में)

| विवरण | 31 मार्च, 2019 को | 31 मार्च, 2018 को |
|---|---|---|
| **वर्तमान कर आस्तियाँ** | | |
| वर्तमान कर हेतु प्रावधान | (1,715.34) | - |
| अग्रिम कर तथा स्रोत पर कर कटौती | 1,940.18 | - |
| **कुल** | **224.84** | **-** |
| | | |
| **वर्तमान कर दायित्व** | | |
| वर्तमान कर हेतु प्रावधान | - | 815.10 |
| अग्रिम कर तथा स्रोत पर कर कटौती | - | (758.03) |
| **कुल** | **-** | **57.07** |

## नोट-20
## अन्य आय

राशि (रु. लाख में)

| विवरण | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| **ब्याज से आय** | | |
| सावांधे जमा पर ब्याज से आय | 6,688.90 | 2,806.38 |
| ब्याज से आय-फ्लेक्सी खाता | 54.69 | 128.00 |
| ब्याज से आय-अन्य | 60.92 | 27.09 |
| कर्मचारी हेतु एचबीए ऋण के ब्याज से आय | 7.90 | 0.90 |
| वित्तीय आस्तियों पर ब्याज से आय | 14.26 | 1.85 |
| **अन्य गैर प्रचालनात्मक आय** | | |
| वित्तीय दायित्वों का परिशोधन | 0.70 | 0.02 |
| **कुल** | **6,827.37** | **2,964.24** |

## नोट-21
## कर्मचारी लाभ व्यय

राशि (रु. लाख में)

| विवरण | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| वेतन, मजदूरी तथा बोनस | 3,612.32 | 744.94 |
| भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान | 233.40 | 17.69 |
| स्टाफ कल्याण व्यय | 658.55 | 228.10 |
| प्रशिक्षण व्यय | 6.59 | 8.79 |
| **कुल** | **4,510.86** | **999.52** |
| **घटाया : सीडब्लयूआईपी में अन्तरित** | (4,335.19) | (938.29) |
| **कुल** | **175.67** | **61.23** |

**नोट 21.1** कम्पनी ने इंस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स ऑफ इण्डिया (आईसीएआई) की विशेषज्ञ परामर्श समिति से वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान व्ययों के पूँजीकरण हेतु संशोधित प्रक्रिया सहित निर्माण अवधि के दौरान अप्रत्यक्ष व्ययों के पूँजीकरण हेतु परामर्श लिया है। की गयी पूँजीकरण की राशि रु. 61.22 लाख को घटा दिया गया है।

## नोट-22
## मूल्यह्रास तथा परिशोधन व्यय

राशि (रु. लाख में)

| विवरण | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| मूर्त परिसम्पत्तियों का मूल्य ह्रास (नोट-3 का सन्दर्भ लें) | 228.25 | 47.77 |
| अमूर्त परिसम्पत्तियों का परिशोधन (नोट-5 का सन्दर्भ लें) | 48.40 | 2.14 |
| **कुल** | **276.65** | **49.91** |
| **घटाया : सीडब्लयूआईपी में स्थानान्तरित** | (265.92) | (46.92) |
| **कुल** | **10.73** | **2.99** |

**नोट 22.1** कंपनी ने निर्माण अवधि के दौरान अप्रत्यक्ष खर्चों के पूंजीकरण के लिए इंस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स ऑफ इण्डिया (आईसीएआई) की विशेषज्ञ सलाहकार समिति से खर्चों के पूंजीकरण की संशोधित प्रक्रिया के बारे में राय ली है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान किए गए पूंजीकरण में रुपये 2.99 लाख की कमी की गई है।

## नोट-23
## अन्य व्यय

राशि (रु. लाख में)

| विवरण | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| कार्यालय का भाड़ा | 658.79 | 332.27 |
| शुल्क, दरें तथा कर | 52.85 | 1.32 |
| मरम्मत, रखरखाव तथा अन्य | 164.78 | 50.19 |
| ऊर्जा तथा ईंधन | 63.70 | 14.67 |
| यात्रा व्यय | 1,009.86 | 261.57 |
| लेखा परीक्षकों को भुगतान (नोट 23.2 का सन्दर्भ लें) | 1.58 | 0.80 |
| विधिक एवं पेशेवर शुल्क | 77.82 | 36.65 |
| मुद्रण तथा स्टेशनरी | 50.96 | 29.30 |
| संचार व्यय | 73.15 | 19.23 |
| पुस्तकें तथा पीरियाडिकल्स | 9.69 | 4.50 |
| अतिथि सत्कार | 41.84 | 4.98 |
| मिश्रित व्यय | 348.47 | 47.06 |
| गृह प्रबंधन | 162.45 | 57.96 |
| श्रम शक्ति की आउटसोर्सिंग | 646.46 | 69.65 |
| विज्ञापन व्यय | 95.85 | 15.55 |
| वेबसाइट विकास प्रभार | 18.68 | 22.94 |
| कर तथा टीडीएस पर ब्याज | 10.45 | 5.74 |
| **कुल** | **3,487.38** | **974.38** |
| **घटाया : सीडब्लयूआईपी में अन्तरित** | (3,141.58) | (858.37) |
| **कुल** | **345.80** | **116.01** |

**नोट 23.1** कंपनी ने निर्माण अवधि के दौरान अप्रत्यक्ष खर्चों के पूंजीकरण के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स ऑफ इण्डिया (आईसीएआई) की विशेषज्ञ सलाहकार समिति से खर्चों के पूंजीकरण की संशोधित प्रक्रिया के बारे में राय ली है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान किए गए पूंजीकरण में रुपये 106.55 लाख की कमी की गई है।

**नोट : 23.2 लेखापरीक्षकों के भुगतान का विवरण**

राशि (रु. लाख में)

| विवरण | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| **लेखापरीक्षकों को भुगतान** | | |
| लेखापरीक्षा शुल्क | 1.50 | 0.80 |
| उपरि व्यय | 0.08 | - |
| **कुल** | **1.58** | **0.80** |

## नोट-24
## आय कर व्यय

राशि (रु. लाख में)

| विवरण | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| **चालू आय कर :** | | |
| चालू आय कर प्रभार | 1,715.34 | 815.10 |
| पूर्व वर्ष का आय कर | 0.14 | - |
| **आस्थगित कर:** | | |
| चालू वर्ष के परिप्रेक्ष्य में | (30.10) | 26.29 |
| **कुल** | 1,685.38 | 841.39 |

**अन्य व्यापक आय में आय कर व्यय**

राशि (रु. लाख में)

| विवरण | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| **आस्थगित कर:** | | |
| चालू वर्ष के परिप्रेक्ष्य में | (0.20) | - |
| | **(0.20)** | **-** |

**कर व्यय तथा लेखा लाभ के मध्य समाधान :**

राशि (रु. लाख में)

| विवरण | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| जारी प्रचालनों से लेखा कर पूर्व लाभ | 6,295.17 | 2,784.02 |
| **आय कर से पूर्व लेखा लाभ** | **6,295.17** | **2,784.02** |
| भारत के विधिक आय कर दर **29.12**% (गत वर्ष 28.84%) पर | 1,833.15 | 802.91 |
| **उन राशियों का कर प्रभाव जो कर योग्य आय की गणना में कटौती योग्य (कर योग्य) नहीं हैं** | | |
| इण्ड एएस समायोजन | - | (0.79) |
| विलम्ब से जमा कर पर प्रदत्त ब्याज | 0.26 | 1.65 |
| पूर्व निर्धारण वर्ष में प्राथमिक व्ययों की अनुमति नहीं दी गयी | (16.09) | - |
| शेयर निर्गमन व्यय हेतु समायोजन | (1.17) | - |
| कर की दरों में परिवर्तन के करण आस्थगित कर समायोजन | (30.30) | (12.09) |
| मूल्यह्रास का समायोजन | (101.00) | - |
| शेयर निर्गमन व्ययों का समायोजन | 0.19 | - |
| पूर्व अवांधे की मदों का प्रभाव | - | 49.71 |
| पूर्व वर्ष का आय कर व्यय | 0.14 | - |
| | **1,685.18** | **841.39** |
| आय कर व्यय के लाभ एवं हानि के विवरण में प्रतिवेदित किया गया (चालू प्रचालनों से सम्बद्ध) | 1,685.18 | 841.39 |
| **प्रभावी कर की दर** | **26.77%** | **30.22%** |

## नोट-25
## अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के घटक

राशि (रु. लाख में)

| विवरण | एफवीटीओसीआई आरक्षी | |
|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु |
| परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मापीकरण | | |
| - उपदान | (0.68) | - |
| **कुल** | **(0.68)** | **-** |
| परिभाषित लाभ योजनाओं के पुनर्मापीकरण पर कर | 0.20 | - |
| **कुल** | **0.20** | **-** |

## नोट-26
## प्रति शेयर आय (ईपीएस)

| विवरण | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु (रु. प्रति शेयर) | 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु (रु. प्रति शेयर) |
|---|---|---|
| **मूल ईपीएस** | | |
| जारी प्रचालन से (नोट 26.1 का सन्दर्भ लें) | 40.92 | 42.35 |
| असतत प्रचालन से (नोट 26.1 का सन्दर्भ लें) | - | - |
| **डाइल्यूटेड ईपीएस** | | |
| जारी प्रचालन से (नोट 26.2 का सन्दर्भ लें) | 40.92 | 42.35 |
| असतत प्रचालन से (नोट 26.2 का सन्दर्भ लें) | - | - |

**नोट 26.1 प्रति शेयर मूल आय**

प्रति शेयर मूल आय की गणना में प्रयुक्त आय तथा इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या :

| विवरण | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| कम्पनी के इक्विटी धारकों को गुणारोपित लाभ : | | |
| सतत प्रचालनों से (रु. लाख में) | 4,609.79 | 1,942.62 |
| असतत प्रचालनों से (रु. लाख में) | - | - |
| प्रति शेयर मूल आय की गणना में प्रयुक्त आय (रु. लाख में) | **4,609.79** | **1,942.62** |
| प्रति शेयर मूल आय के उद्देश्य हेतु शेयरों की भारित औसत संख्या (शेयरों की संख्या लाख में) | 112.66 | 45.87 |

**नोट 26.2 प्रति शेयर डाइल्यूटेड आय**

प्रति शेयर डाइल्यूटेड आय की गणना में प्रयुक्त आय तथा इक्विटी की भारित औसत संख्या :

**राशि (रु. लाख में)**

| विवरण | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| कम्पनी के इक्विटी धारकों को गुणारोपित लाभ : | | |
| सतत प्रचालनों से | 4,609.79 | 1942.62 |
| असतत प्रचालनों से | - | - |
| **सतत प्रचालनों से प्रति शेयर डाइल्यूटेड आय की गणना में प्रयुक्त आय** | **4,609.79** | **1,942.62** |

प्रति शेयर मूल आय की गणना में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या के लिए समाधानीत प्रति शेयर डाइल्यूटेड आय के उद्देश्य से इक्विटी शेयरों की भारित संख्या निम्नवत है :

| विवरण | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| प्रति शेयर मूल आय के उद्देश्य से शेयरों की भारित औसत संख्या (शेयरों की संख्या लाख में) | 112.66 | 45.87 |
| डाइल्यूशन का प्रभाव : | - | - |
| प्रति शेयर डाइल्यूटेड आय के उद्देश्य से शेयरों की भारित औसत संख्या (शेयरों की संख्या लाख में) | **112.66** | **45.87** |

## नोट-27
## पूँजी प्रबन्धन

कम्पनी का उद्देश्य अपनी पूँजी को जारी संस्था के रूप में चालू रखने के लिए अपनी क्षमता सुनिश्चित करना तथा सुरक्षित करना है ताकि कम्पनी शेयरधारकों को अधिकतम प्रतिलाभ तथा अन्य हितधारकों को लाभ उपलब्ध कराना जारी रख सके। कम्पनी के पास 31 मार्च, 2019 तक कोई उधारी नहीं थी।

आगे पुन: कम्पनी आर्थिक स्थितियों तथा वित्तीय प्रसंविदाओं की वांछनीयताओं में परिवर्तन के आलोक में समायोजन करने हेतु अपनी पूँजी संरचना का प्रबन्धन करती है। 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान पूँजी प्रबन्धन के उद्देश्य, नीतियों अथवा प्रक्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

## नोट-28
## उचित मूल्य मापन

(i) श्रेणीवार वित्तीय विलेख

**राशि (रु. लाख में)**

| विवरण | 31 मार्च, 2019 को | | | 31 मार्च, 2018 को | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | एफवीटीपीएल* | एफवीटीओसीआई** | परिशोधित लागत | एफवीटीपीएल* | एफवीटीओसीआई** | परिशोधित लागत |
| **वित्तीय आस्तियाँ** | | | | | | |
| (i) प्रतिभूति जमा | - | - | 366.23 | - | - | 200.56 |
| (ii) कर्मचारियों हेतु एचबीए ऋण | - | - | 30.83 | | | 20.98 |
| (iii) नकदी तथा नकदी समतुल्य | - | - | 55,278.36 | - | - | 9,823.25 |
| (iv) नकदी तथा नकदी समतुल्य के अतिरिक्त बैंक शेष | - | - | 32,300.00 | - | - | 40,838.44 |
| (v) अन्य | - | - | 1,873.18 | - | - | 2,258.46 |
| **कुल वित्तीय आस्तियाँ** | **-** | **-** | **89,848.60** | **-** | **-** | **53,141.69** |
| **वित्तीय दायित्व** | | | | | | |
| (i) प्रतिभूति जमा | - | - | 619.10 | - | - | 100.42 |
| (ii) अन्य | - | - | 2,200.08 | - | - | 908.79 |
| **कुल वित्तीय दायित्व** | **-** | **-** | **2,819.18** | **-** | **-** | **1,009.21** |

***लाभ तथा हानि से उचित मूल्य**
****अन्य व्यापक आय से उचित मूल्य**

(ii) आस्तियाँ तथा दायित्व जिन्हें उस परिशोधित लागत पर मापित किया गया जिसके लिए उचित मूल्यों का प्रकटन किया गया है।

**राशि (रु. लाख में)**

| विवरण | 31 मार्च, 2019 को | | 31 मार्च, 2018 को | |
|---|---|---|---|---|
| | वाहक मूल्य | उचित मूल्य | वाहक मूल्य | उचित मूल्य |
| **वित्तीय आस्तियाँ** | | | | |
| प्रतिभूति जमा | 366.23 | 374.69 | 200.56 | 217.89 |
| कर्मचारियों को ऋण | 30.83 | 31.35 | 20.98 | 21.34 |
| **कुल वित्तीय आस्तियाँ** | **397.06** | **406.04** | **221.54** | **239.23** |
| **वित्तीय दायित्व** | | | | |
| प्रतिभूति जमा | 619.10 | 619.10 | 100.42 | 100.42 |
| **कुल वित्तीय दायित्व** | **619.10** | **619.10** | **100.42** | **100.42** |

a. अल्पकालीन प्रतिभूति जमा की वाहक राशि, नकदी तथा नकदी समतुल्य एवं अन्य अल्पकालीन प्राप्तियों तथा अन्य देयताओं को अल्पकालीन प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्य के समान माना गया है।

b. दीर्घकालीन प्रतिभूति जमाओं के उचित मूल्य की गणना वर्तमान बाजार दर का प्रयोग करते हुए बट्टाकृत नकदी प्रवाह पर की गयी है। उन्हें अप्रेक्षणीय इनपुट के समावेश के कारण उचित मूल्य पदानुक्रम के लेवल-3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

**उचित मूल्य पदानुक्रम**

लेवल 1- समरूप आस्तियों अथवा दायित्वों हेतु सक्रिय बाजार में कोट किये गये मूल्य (असमायोजित)

लेवल 2-कोट किये गये मूल्यों के अतिरिक्त इनपुट को लेवल 1 में शामिल किया गया है जो परिसम्पत्तियों (आस्तियों) हेतु या तो प्रत्यक्ष रूप से (अर्थात मूल्य के रूप में) या अप्रत्यक्ष रूप से (अर्थात मूल्यों से व्युत्पन्न) प्रेक्षणीय हैं।

लेवल 3-आस्तियों या दायित्वों हेतु इनपुट जो प्रेक्षणीय बाजारी डाटा (अप्रेक्षणीय इनपुट) पर आधारित नहीं हैं।.

निम्नलिखित तालिका आवर्ती आधार पर उचित मूल्य पर तथा परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय आस्तियों तथा दायित्वों के उचित मूल्य मापन पदानुक्रम को प्रस्तुत करती है

**31 मार्च, 2019 को वित्तीय आस्तियों हेतु उचित मूल्य मापन पदानुक्रम का परिमाणात्मक प्रकटन :**

**राशि (रु. लाख में)**

| विवरण | लेवल 1 | लेवल 2 | लेवल 3 | कुल |
|---|---|---|---|---|
| **परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय आस्तियाँ जिसके लिए उचित मूल्य प्रकटित किय गये हैं :** | | | | |
| प्रतिभूति जमा | - | - | 374.69 | 374.69 |
| कर्मचारी ऋण | - | - | 31.35 | 31.35 |
| | - | - | 406.04 | 406.04 |

**31 मार्च, 2019 को वित्तीय दायित्वों हेतु उचित मूल्य मापन पदानुक्रम का परिमाणात्मक प्रकटन :**

**राशि (रु. लाख में)**

| विवरण | लेवल 1 | लेवल 2 | लेवल 3 | कुल |
|---|---|---|---|---|
| **परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय दायित्व जिसके लिए उचित मूल्य प्रकटित किय गये हैं :** | | | | |
| प्रतिभूति जमा | - | - | 619.10 | 619.10 |
| | - | - | 619.10 | 619.10 |

**31 मार्च, 2018 को वित्तीय आस्तियों हेतु उचित मूल्य मापन पदानुक्रम का परिमाणात्मक प्रकटन :**

**राशि (रु. लाख में)**

| विवरण | लेवल 1 | लेवल 2 | लेवल 3 | कुल |
|---|---|---|---|---|
| **परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय आस्तियाँ जिसके लिए उचित मूल्य प्रकटित किय गये हैं :** | | | | |
| प्रतिभूति जमा | - | - | 217.89 | 217.89 |
| कर्मचारी ऋण | - | - | 21.34 | 21.34 |
| | - | - | 239.23 | 239.23 |

**31 मार्च, 2018 को वित्तीय दायित्वों हेतु उचित मूल्य मापन पदानुक्रम का परिमाणात्मक प्रकटन :**

**राशि (रु. लाख में)**

| विवरण | लेवल 1 | लेवल 2 | लेवल 3 | कुल |
|---|---|---|---|---|
| **परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय दायित्वों जिसके लिए उचित मूल्य प्रकटित किय गये हैं :** | | | | |
| प्रतिभूति जमा | - | - | 100.42 | 100.42 |
| | - | - | 100.42 | 100.42 |

## नोट-29
## वित्तीय जोखिम प्रबन्धन

वित्तीय विलेखों के सम्बन्ध में कम्पनी विभिन्न जोखिमों से संवेदनशील है। कम्पनी के सम्मुख बाजारी जोखिम, साख जोखिम तथा तरलता जोखिम हैं। कम्पनी के वित्तीय जोखिम की गतिविधियों का नियन्त्रण उचित नीतियों तथा प्रक्रियाओं द्वारा किया जाता है और उन वित्तीय जोखिमों को कम्पनी की नीतियों तथा जोखिम उद्देश्यों के अनुरूप चिह्नित, मापित तथा प्रबन्धित किया जाता है जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है:-

### a) बाजारी जोखिम

बाजारी जोखिम वह जोखिम है कि किसी वित्तीय विलेख का भावी नकदी प्रवाह बाजार के मूल्यों में परिवर्तन के कारण घटेगा-बढ़ेगा। बाजारी जोखिम में ब्याज दर जोखिम तथा विदेशी मुद्रा जोखिम शामिल हैं। कम्पनी को ब्याज दर का कोई जोखिम नहीं है क्योंकि कम्पनी के पास प्रतिवेदन की तिथि तक कोई ऋण/उधारी नहीं है।

### b) विदेशी मुद्रा जोखिम

विनिमय में उतार-चढ़ाव भारत से बाहर कार्य से सम्बद्ध परियोजना हेतु सेवाओं के आयात के कारण होता है। कम्पनी के पास विदेशी विनिमय जोखिम से बचने के लिए कोई अवरोधक विलेख नहीं है।

### c) साख जोखिम

साख जोखिम प्रतिपक्षी द्वारा इसके दायित्व पर चूक का जोखिम है जिससे वित्तीय क्षति होती है। कम्पनी विभिन्न वित्तीय विलेखों के साख जोखिम के प्रति संवेदनशील है उदाहरणार्थ कर्मचारियों को अग्रिम, प्रतिभूति जमा एवं अन्य प्राप्तियाँ। साख जोखिम के प्रति अधिकतम संवेदनशीलता वित्तीय आस्तियों के वाहक मूल्य के बराबर होती है।

### d) वित्तीय विलेख तथा नकदी जमा

बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के साथ शेषों के साख जोखिम का प्रबन्धन कम्पनी की नीतियों के अनुरूप किया जाता है। अधिशेष के निवेश केवल प्रतिरूपी से प्राप्त वित्तीय कोट के आधार पर अनुमोदित प्रतिरूपी के साथ किया जाता है।

### e) तरलता जोखिम

कम्पनी की तरलता आवश्यकताओं की निगरानी मासिक अनुमानों के आधार पर की जाती है। कम्पनी की तरलता के प्रमुख स्रोत शेयर पूँजी के निर्गमन से उत्पन्न नकदी तथा नकदी समतुल्य हैं।

कम्पनी हमारी तरलता आवश्यकताओं का प्रबन्धन नकदी अन्तर्प्रवाह की सतत निगरानी तथा पर्याप्त नकदी एवं नकदी समतुल्यों के अनुरक्षण द्वारा करती है। किसी कमी के निर्धारण के लिए निबल नकदी आवश्यकताओं की तुलना उपलब्ध नकदी से की जाती है। अल्पकालीन तरलता आवश्यकताओं में प्रमुख रूप से परियोजना सम्बन्धी कार्य हेतु देय व्यय, कर्मचारियों के बकाये, प्रतिभूति जमा तथा प्रत्येक प्रतिवेदन तिथि पर प्रकार्य के सामान्य प्रचालन के दौरान उत्पन्न प्रतिधारण राशि शामिल हैं।

## नोट-30
## आकलन तथा अभिधारणायें

नीचे भविष्य से सम्बन्धित प्रमुख अभिधारणाएँ तथा प्रतिवेदन अवधि के अन्त में आकलन अनिश्चितता के प्रमुख स्रोत हैं जिनमें आगामी वित्त वर्ष की आस्तियों की वाहक राशि तथा दायित्वों में तात्विक समायोजन के पर्याप्त जोखिम हो सकता है :

**a) उचित मूल्यांकन मापन तथा मूल्यांकन प्रक्रिया**

वित्तीय आस्तियों तथा वित्तीय दायित्वों के उचित मूल्यों का मापन डीसीएफ मॉडल सहित मूल्यांकन तकनीकों के प्रयोग द्वारा किया जाता है। इन विधियों के लिए इनपुट जहाँ सम्भव हो प्रेक्षणीय बाजारों से किन्तु जहाँ व्यवहार्य न हो तो उचित मूल्य प्राप्त करने में वांछित निर्णय की मात्रा से लिए जाते हैं। निर्णयों में इनपुटों के विचार जैसे तरलता जोखिम, साख जोखिम तथा परिवर्तनशीलता शामिल हैं। इन कारकों के विषय में अभिधारणाओं में परिवर्तन वित्तीय विलेखों के प्रतिवेदित उचित मूल्य को प्रभावित कर सकता है।

**b) कर**

आस्थगित कर आस्तियों की मान्यता है कि यह सम्भव है कि करयोग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरुद्ध क्षतियों का उपयोग किया जा सकता है। आस्थगित कर आस्तियों की राशि के निर्धारण के लिए उचित प्रबन्धन निर्णय अपेक्षित है जिसे उपयुक्त समय तथा भावी करयोग्य लाभ के स्तर और भावी कर योजना नीतियों के आधार पर चिन्हित किया जा सकता है।

**c) सम्पत्ति, संयन्त्र तथा उपकरण का उपयोगी जीवन**

सम्पत्ति, संयन्त्र तथा उपकरण के उपयोगी जीवन का अनुमान कालातीत, माँग, प्रतिस्पर्द्धा तथा अन्य आर्थिक कारकों सहित अनेक कारकों पर निर्भर करता है। कम्पनी प्रत्येक प्रतिवेदन तिथि के अन्त में सम्पत्ति, संयन्त्र तथा उपकरण के उपयोगी जीवन की समीक्षा करती है।

कर्मचारियों को दिये गये ब्रीफकेस को बही की पुस्तकों में उपभोज्य के रूप में लिखा जाता है क्योंकि ब्रीफकेस का प्रारम्भिक मूल्य लाभ एवं हानि खाते के विवरण में रु. 2.33 लाख (निबल मूल्यह्रास) में कार्यालय उपकरण के रूप में शामिल है।

## नोट-31
## सम्बद्ध पक्ष प्रकटन

**नोट 31.1 : सम्बद्ध पक्ष**

**नोट 31.1.1 सस्था के प्रमुख प्रबन्धकीय कार्मिक**

| नाम | पद |
|---|---|
| अचल खरे (15.09.2016 से)* | प्रबन्ध निदेशक (पूर्ण कालिक) |
| विनोद कुमार यादव (30.01.2019 से) | अंशकालिक चेयरमैन |
| अश्वनी लोहानी (25.08.2017 से 31.12.2018) | अंशकालिक चेयरमैन |
| एस.के. मिश्रा ( 25.08.2017 से 14.06.2019) | अंशकालिक (कार्यालयी) निदेशक |
| नमिता मेहरोत्रा (25.08.2017 से) | अंशकालिक (कार्यालयी) निदेशक |
| अभिजीत नरेन्द्र (15.06.2017 से 15.04.2018) | अंशकालिक (कार्यालयी) निदेशक |
| प्रभात कुमार रमनलाल पटेलिया (15.06.2018 से) | अंशकालिक (कार्यालयी) निदेशक |
| राजेन्द्र प्रसाद (29.11.2017 से) | परियोजना निदेशक (पूर्णकालिक निदेशक) |
| अरुण बिजलवान (02.01.2018 से) | वित्त निदेशक (पूर्णकालिक निदेशक) |
| विजय कुमार (23.08.2018 से) | रोलिंग स्टॉक निदेशक (पूर्णकालिक निदेशक) |
| संदीप कुमार (31.08.2018 से) | विद्युत एवं तन्त्र निदेशक (पूर्णकालिक निदेशक) |
| सुमिता शर्मा (27.10.2017 से) | कम्पनी सचिव |

* श्री अचल खरे ने 20 अप्रैल, 2017 से प्रबन्धक निदेशक का पदभार ग्रहण किया। पूर्व में वह 15 सितम्बर, 2016 से 20 अप्रैल, 217 तक कम्पनी के समन्वय निदेशक (अर्थात नामिक निदेशक) थे।

**नोट 31.1.2 अन्य सम्बद्ध पक्ष**

| अन्य सम्बद्ध पक्ष के नाम | सम्बन्ध की प्रकृति |
|---|---|
| एनएचएसआरसीएल कर्मचारी समूह उपदान न्यास | रोजगार पश्चात लाभ योजना |
| एनएचएसआरसीएल चिकित्सा न्यास | रोजगार पश्चात लाभ योजना |
| एचएसआर नवप्रवर्तन केन्द्र | अनुसन्धान एवं विकास न्यास |

**नोट 31.2 सम्बद्ध पक्षों के लेन-देन तथा शेष**

**31.2.1 प्रमुख प्रबन्धकीय कार्मिकों की क्षतिपूर्ति :**

वर्ष के दौरान निदेशकों तथा प्रमुख प्रबन्धकीय कार्मिकों के अन्य सदस्यों का पारिश्रमिक निम्नवत था :

राशि (रु. लाख में)

| विवरण | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| अल्पकालीन लाभ | 202.05 | 68.79 |
| रोजगार पश्चात लाभ | 20.04 | 1.40 |
| अन्य दीर्घकालीन लाभ | 11.50 | 3.22 |
| | **233.59** | **73.41** |

**31.2.2 न्यास के साथ लेन-देन**

राशि (रु. लाख में)

| विवरण | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| एनएचएसआरसीएल कर्मचारी समूह उपदान न्यास | 1.00 | - |
| एनएचएसआरसीएल चिकित्सा न्यास | 1.00 | - |
| एचएसआर नवप्रवर्तन केन्द्र | 1.00 | - |
| | **3.00** | - |

**नोट 31.3 सम्बद्ध सरकारी संस्थाओं के साथ लेन-देन**

उपर्युक्त कथित लेन-देनों के अतिरिक्त कम्पनी ने सरकारी संस्थाओं से सम्बद्ध लेन-देन किये हैं जो निम्नलिखित शामिल हैं किन्तु सीमित नहीं हैं :

सरकार का नाम - रेल मन्त्रालय, भारत सरकार (संस्था पर पूर्ण नियन्त्रण) तथा गुजरात सरकार

**वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान किये गये कुछ प्रमुख लेन-देन :**

राशि (रु. लाख में)

| विवरण | रेल मन्त्रालय (एमओआर) | गुजरात सरकार |
|---|---|---|
| इक्विटी शेयर पूँजी से प्राप्त राशि | 2,30,000.00 | 10,000.00 |
| बाह्य सहायता प्राप्त परयोजना के रूप में रेल मन्त्रालय से अग्रिम | 10,000.00 | |
| रेलवे की भूमि/उपयोगितो को स्थानान्तरित करने तथा अन्य अनुषंगी कार्यों हेतु किया गया भुगतान | (16,056.77) | |

## नोट : 32
## आकस्मिक दायित्व

**(i) पूँजी वचनबद्धता**

31.03.2019 तक प्रावधानित नहीं (निबल अग्रिम) और पूँजी खाते पर क्रियान्वित किये जाने वाले कार्य की राशि 84033.71 लाख (पूर्व वर्ष में 84187.67 लाख) है।

**(ii)** कम्पनी के विरुद्ध ऋण के रूप में न लिए गये दावे की राशि रु. शून्य (पूर्व वर्ष में रु. शून्य) है।

## नोट-33

कम्पनी ने कर्मचारी लाभ व्ययों को कारपोरेट मामले मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित इण्ड एएस 19 "कर्मचारी लाभ" के अनुरूप संचालित किया है। परिभाषित अंशदान योजना, परिभाषित लाभ योजना तथा इण्ड एएस 19 के अनुसार लाभ और हानि तथा तुलन पत्र के विवरण में अंकित अन्य दीर्घकालीन लाभ योजनाएँ निम्नलिखित हैं :

**a) परिभाषित अंशदान योजनाएँ**

राशि (रु. लाख में)

| विवरण | 2018-19 | 2017-18 |
|---|---|---|
| **कम्पनी ने वर्ष हेतु लाभ और हानि विवरण में निम्नलिखित राशियों को मान्यता दी है** | | |
| भविष्य निधि आदि में नियोक्ता का अंशदान | 118.79 | 15.67 |
| | **118.79** | **15.67** |

**b) परिभाषित लाभ योजनाएँ तथा अन्य दीर्घकालीन लाभ योजनाएँ**

**नोट 33.1 उपदान तथा अवकाश नकदीकरण**

**नोट 33.1.1 दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन :**

राशि (रु. लाख में)

| विवरण | 2018-19 | | 2017-18 | |
|---|---|---|---|---|
| | उपदान | अवकाश नकदीकरण | उपदान | अवकाश नकदीकरण |
| प्रारम्भिक शेष | 4.85 | 15.31 | - | - |
| ब्याज की लागत | 0.37 | 1.18 | - | - |
| चालू सेवा लागत | 36.89 | 85.93 | 4.85 | 15.31 |
| लाभों/ क्षतियों में काट-छाँट सहित विगत सेवा लागत | - | - | - | - |
| प्रदत्त लाभ | (0.18) | (0.27) | - | - |
| न्यास में अंशदान | (1.00) | | | |
| दायित्व पर बीमांकिक (लाभ)/क्षति | 0.68 | (3.49) | - | - |
| **अन्तिम शेष** | **41.61** | **98.66** | **4.85** | **15.31** |

**नोट 33.1.2 नियोजन आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन**

राशि (रु. लाख में)

| विवरण | 2018-19 | | 2017-18 | |
|---|---|---|---|---|
| | उपदान | अवकाश नकदीकरण | उपदान | अवकाश नकदीकरण |
| वर्ष के प्रारम्भ में नियोजन आस्तियों का उचित मूल्य | - | - | - | - |
| नियोजन आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल | - | - | - | - |
| नियोक्ता का अंशदान | - | - | - | - |
| प्रदत्त लाभ | - | - | - | - |
| दायित्व पर बीमांकिक (क्षति)/लाभ | - | - | - | - |
| **अन्तिम शेष** | - | - | - | - |

**नोट 33.1.3 तुलन पत्र में मान्यताप्राप्त राशि**

राशि (रु. लाख में)

| विवरण | 2018-19 | | 2017-18 | |
|---|---|---|---|---|
| | उपदान | अवकाश नकदीकरण | उपदान | अवकाश नकदीकरण |
| वर्ष के अन्त में दायित्व का अनुमानित वर्तमान मूल्य | 42.62 | 98.66 | 4.85 | 15.31 |
| वर्ष के अन्त में नियोजन आस्तियों का उचित मूल्य | 1.00 | - | - | - |
| **तुलन पत्र में मान्यताप्राप्त निबल आस्तियाँ / (निबल दायित्व)** | **41.62** | **98.66** | **4.85** | **15.31** |
| चालू | 0.17 | 10.23 | 0.02 | 1.40 |
| गैर चालू | 42.45 | 88.43 | 4.83 | 13.91 |

**नोट 33.1.4 लाभ तथा हानि विवरण में मान्यताप्राप्त व्यय**

राशि (रु. लाख में)

| विवरण | 2018-19 | | 2017-18 | |
|---|---|---|---|---|
| | उपदान | अवकाश नकदीकरण | उपदान | अवकाश नकदीकरण |
| चालू सेवा लागत | 36.89 | 85.93 | 4.85 | 15.31 |
| लाभों/क्षतियों में काट-छाँट सहित विगत सेवा लागत | - | - | - | - |
| ब्याज की लागत | 0.37 | 1.18 | - | - |
| वर्ष में मान्यताप्राप्त निबल बीमांकिक (लाभ)/क्षति | - | (3.49) | - | - |
| **लाभ तथा हानि विवरण में मान्यताप्राप्त कुल व्यय** | **37.26** | **83.62** | **4.85** | **15.31** |

**नोट 33.1.5 अन्य व्यापक आय में मान्यताप्राप्त व्यय**

राशि (रु. लाख में)

| विवरण | 2018-19 | | 2017-18 | |
|---|---|---|---|---|
| | उपदान | अवकाश नकदीकरण | उपदान | अवकाश नकदीकरण |
| प्रारम्भ में निबल संचयी अमान्यताप्राप्त बीमांकिक लाभ/(क्षति) | - | - | - | - |
| वर्ष हेतु बीपीओ पर बीमांकिक लाभ/(क्षति) | (0.68) | - | - | - |
| वर्ष हेतु आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(क्षति) | - | - | - | - |
| **वर्ष के अन्त में अमान्यताप्राप्त बीमांकिक लाभ/ (क्षति)** | (0.68) | - | - | - |

**नोट 33.2 छुट्टी किराया रियायत (एलटीसी), सामान भत्ता, सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ**

**नोट 33.2.1 दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन :**

राशि (रु. लाख में)

| विवरण | 2018-19 | | | 2017-18 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | एलटीसी | सामान भत्ता | सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ | एलटीसी | सामान भत्ता | सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ |
| प्रारम्भिक शेष | - | - | - | - | - | - |
| ब्याज की लागत | - | - | - | - | - | - |
| चालू सेवा लागत | 87.64 | 11.42 | 24.70 | - | - | - |
| लाभों/ क्षतियों में काट-छाँट सहित विगत सेवा लागत | - | 1.62 | 8.86 | - | - | - |
| प्रदत्त लाभ | - | - | - | - | - | - |
| न्यास में अंशदान | | | | | | |
| दायित्व पर बीमांकिक (लाभ)/ क्षति | - | - | - | - | - | - |
| **अन्तिम शेष** | **87.64** | **13.04** | **33.56** | **-** | **-** | **-** |

**नोट 33.2.2 नियोजन आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन**

राशि (रु. लाख में)

| विवरण | 2018-19 | | | 2017-18 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | एलटीसी | सामान भत्ता | सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ | एलटीसी | सामान भत्ता | सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ |
| वर्ष के प्रारम्भ में नियोजन आस्तियों का उचित मूल्य | - | - | - | - | - | - |
| नियोजन आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल | - | - | - | - | - | - |
| नियोक्ता का अंशदान | - | - | - | - | - | - |
| प्रदत्त लाभ | - | - | - | - | - | - |
| दायित्व पर बीमांकिक (क्षति)/ लाभ | - | - | - | - | - | - |
| **अन्तिम शेष** | - | - | - | - | - | - |

**नोट 33.2.3 तुलन पत्र में मान्यतप्राप्त राशि**

राशि (रु. लाख में)

| विवरण | 2018-19 | | | 2017-18 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | एलटीसी | सामान भत्ता | सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ | एलटीसी | सामान भत्ता | सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ |
| वर्ष के अन्त में दायित्वों का अनुमानित वर्तमान मूल्य | 87.64 | 13.04 | 33.56 | - | - | - |
| वर्ष के अन्त में नियोजन आस्तियों का उचित मूल्य | - | - | 1.00 | - | - | - |
| **तुलन पत्र में मान्यताप्राप्त निबल आस्तियाँ/(निबल दायित्व)** | 87.64 | 13.04 | 32.56 | - | - | - |
| चालू | 11.53 | - | - | - | - | - |
| गैर चालू | 76.11 | 13.04 | 33.56 | - | - | - |

**नोट 33.2.4 लाभ एवं हानि विवरण में मान्यताप्राप्त व्यय**

राशि (रु. लाख में)

| विवरण | 2018-19 | | | 2017-18 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | एलटीसी | सामान भत्ता | सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ | एलटीसी | सामान भत्ता | सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ |
| चालू सेवा लागत | 87.64 | 13.04 | 33.56 | - | - | - |
| लाभों/ क्षतियों में काट-छाँट सहित विगत सेवा लागत | - | - | - | | | |
| ब्याज की लागत | - | - | - | | | |
| वर्ष में मान्यताप्राप्त निबल बीमांकिक (लाभ)/ क्षति | - | - | - | | | |
| **लाभ तथा हानि विवरण में मान्यताप्राप्त कुल व्यय** | **87.64** | **13.04** | **33.56** | **-** | **-** | **-** |

**नोट 33.2.5 अन्य व्यापक आय में मान्यताप्राप्त व्यय**

राशि (रु. लाख में)

| विवरण | 2018-19 | | | 2017-18 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | एलटीसी | सामान भत्ता | सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ | एलटीसी | सामान भत्ता | सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ |
| प्रारम्भ में निबल संचयी अमान्यताप्राप्त बीमांकिक लाभ/ (क्षति) | - | - | - | - | - | - |
| वर्ष हेतु बीपीओ पर बीमांकिक लाभ/ (क्षति) | - | - | - | - | - | - |
| वर्ष हेतु आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/ (क्षति) | - | - | - | - | - | - |
| **वर्ष के अन्त में गैर-मान्यता प्राप्त बीमांकिक लाभ/ (क्षति)** | - | - | - | - | - | - |

**नोट 33.3 तुलन पत्र की तिथि पर मुख्य बीमांकिक अभिधारणा**

| बीमांकिक अभिधारणा : | 2018-19 |
|---|---|
| मूल्यांकन की विधि : | परियोजना इकाई साख विधि |
| छूट दर : | 7.66% |
| वेतन वृद्धि दर : | 6.50% |
| सेवानिवृत्ति की आयु : | 60 वर्ष |
| आहरण दर : | 30 वर्ष तक-3%<br>31 वर्ष से 44 वर्ष तक-2%<br>44 वर्ष से अधिक-1% |
| मृत्यु दर | भारतीय सुनिश्चित मृत्यु दर (2006-08) यूएलटी. |

**नोट 33.4 संवेदनशीलता विश्लेषण**

राशि (रु. लाख में)

| विवरण | अभिधारणा में परिवर्तन | सामान भत्ते पर प्रभाव | उपदान दायित्व पर प्रभाव | अवकाश नकदीकरण पर प्रभाव |
|---|---|---|---|---|
| छूद दर | 0.50% | (1.08) | (2.76) | (6.19) |
| | (0.50%) | 1.21 | 3.05 | 6.84 |
| वेतन वृद्धि | 0.50% | - | 3.07 | 6.89 |
| | (0.50%) | - | (2.80) | (6.28) |

## नोट-34
## विदेशी मुद्रा व्यय

राशि (रु. लाख में)

| विवरण | 2018-19 | 2017-18 |
|---|---|---|
| परियोजना से सम्बद्ध व्यय (सीडब्ल्यूआईपी) | 1487.24 | 175.24 |
| विदेशी टीए/डीए | 76.45 | 9.66 |
| विदेश यात्रा व्यय | 94.95 | 17.98 |
| अन्य विदेश यात्रा व्यय | 14.00 | 5.13 |
| | **1672.64** | **208.01** |

## नोट-35
## अप्रत्यक्ष व्ययों तथा पूर्व अवधि के पूँजीकरण पर आईसीएआई की विशेषज्ञ परामर्शदात्री समिति के विचार के कारण परिवर्तन

**नोट 35.1 लेन-देन निम्नवत हैं :**

राशि (रु. लाख में)

| प्रकृति | 2018-19 |
|---|---|
| कर्मचारी लाभ व्यय | 61.22 |
| मूल्य ह्रास तथा परिशोधन व्यय | 2.99 |
| अन्य व्यय | 108.16 |
| **कुल** | **172.37** |

**नोट 35.2 तुलन पत्र पर प्रभाव सहित लेन-देनों का त्रुटि निवारण तथा लाभ और हानि मदों का विवरण**

**नोट 35.2.1 तुलन पत्र मदों पर प्रभाव निम्नलिखित है :**

राशि (रु. लाख में)

| लाइन मदें | 2017-18 |
|---|---|
| जारी पूँजीगत कार्य | 170.76 |
| **कुल आस्तियाँ** | **170.76** |
| | |
| अन्य वित्तीय दायित्व (नोट 35.2.1.1 देखें) | 1.61 |
| **कुल दायित्व** | **1.61** |
| | |
| **निबल आस्तियाँ (इक्विटी)** | **172.37** |

**नोट 35.2.1.1 :** यह वित्त वर्ष 2017-18 से सम्बदध वित्त वर्ष 2018-19 में मान्यताप्राप्त अप्रत्यक्ष व्यय में वित्त वर्ष 2017-18 में राजस्व व्यय की राशि प्रदर्शित करता है।

**नोट 35.2.2 लाभ तथा हानि विवरण पर प्रभाव**

राशि (रु. लाख में)

| प्रकृति | 2017-18 |
|---|---|
| कर्मचारी लाभ व्यय | 61.22 |
| मूल्य ह्रास तथा परिशोधन व्यय | 2.99 |
| अन्य व्यय | 108.16 |
| **कुल व्यय** | **172.37** |
| **कुल राजस्व** | **-** |
| **कर पूर्व लाभ** | **(172.37)** |

**नोट 35.2.3 प्रति शेयर आय में प्रभाव (मूल तथा डाइल्यूटेड) :**

| वर्ष | 2017-18 |
|---|---|
| इक्विटी शेयर धारकों को आरोप्य लाभ पर प्रभाव (रु. लाख में) | (172.37) |
| इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (शेयरों की संख्या लाख में) | 45.87 |
| प्रति शेयर आय पर प्रभाव (मूल तथा डाइल्यूटेड( (रु. में) | (3.76) |

## नोट : 36

कम्पनी ने प्रयोज्य वित्तीय प्रतिवेदन ढाँचे की वांछनीयता के अनुसार इण्ड एएस 115 (ग्राहकों के अनुबन्ध से राजस्व) को स्वीकार किया है, इस स्वीकरण के कारण एनएचएसआरसीएल के वित्तीय विवरण पर कोई तात्विक प्रभाव नहीं है।

## नोट : 37

पूर्व वर्ष के आँकड़ों को वर्तमान अवधि के वर्गीकरण की सुनिश्चितता के लिए जहाँ आवश्यक समझा गया वहाँ पुनर्कथित / पुनर्समूहित / पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

## नोट : 38
## वित्तीय विवरण का अनुमोदन

वित्तीय विवरणों को 5 अगस्त, 2019 को आयोजित निदेशक मण्डल की बैठक द्वारा अनुमोदित किया गया था।

# वित्तीय विवरणों पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

# नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2019 को समाप्त अवधि के लिए **नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड** वित्तीय विवरणों की तैयारी कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है । अधिनियम की धारा 139(5) के अधीन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम के अनुभाग 143(10) में निर्धारित ऑडिटिंग के मानकों के अनुसार स्वतंत्र ऑडिट के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह कहा गया है कि ऐसा उनके द्वारा उनकी ऑडिट रिपोर्ट दिनांक 05.08.2019 के आधार पर किया गया है।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से, मैंने अधिनियम की धारा 143 (6) (ए) के तहत 31 मार्च 2019 को समाप्त अवधि के लिए **नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड** के वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखा परीक्षण किया है। यह अनुपूरक लेखा-परीक्षा, वैधानिक लेखा परीक्षकों के काम के कागजात को देखे बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है और मुख्य रूप से वैधानिक लेखा परीक्षकों और कंपनी कर्मियों से पूछताछ और लेखांकन रिकॉर्डों में से कुछ की चयनात्मक परीक्षा तक सीमित है।

मेरे पूरक ऑडिट के आधार पर मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है जो अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के तहत वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर किसी भी टिप्पणी या पूरक को उत्पन्न करेगा ।

के लिए और की ओर से
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक

**हस्ता / -**
**(बी. आर. मंडल)**
**लेखा-परीक्षा के प्रधान निदेशक**
**रेलवे कमर्शियल, नई दिल्ली**

**स्थान : नई दिल्ली**
**दिनांक: 18-09-2019**

**Bird eye view of proposed HSR station at Ahmedabad.**